खण्ड-104, अंक-2
सोमवार, 24 आषाढ़, शक संवत् 1874
(15 जुलाई, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

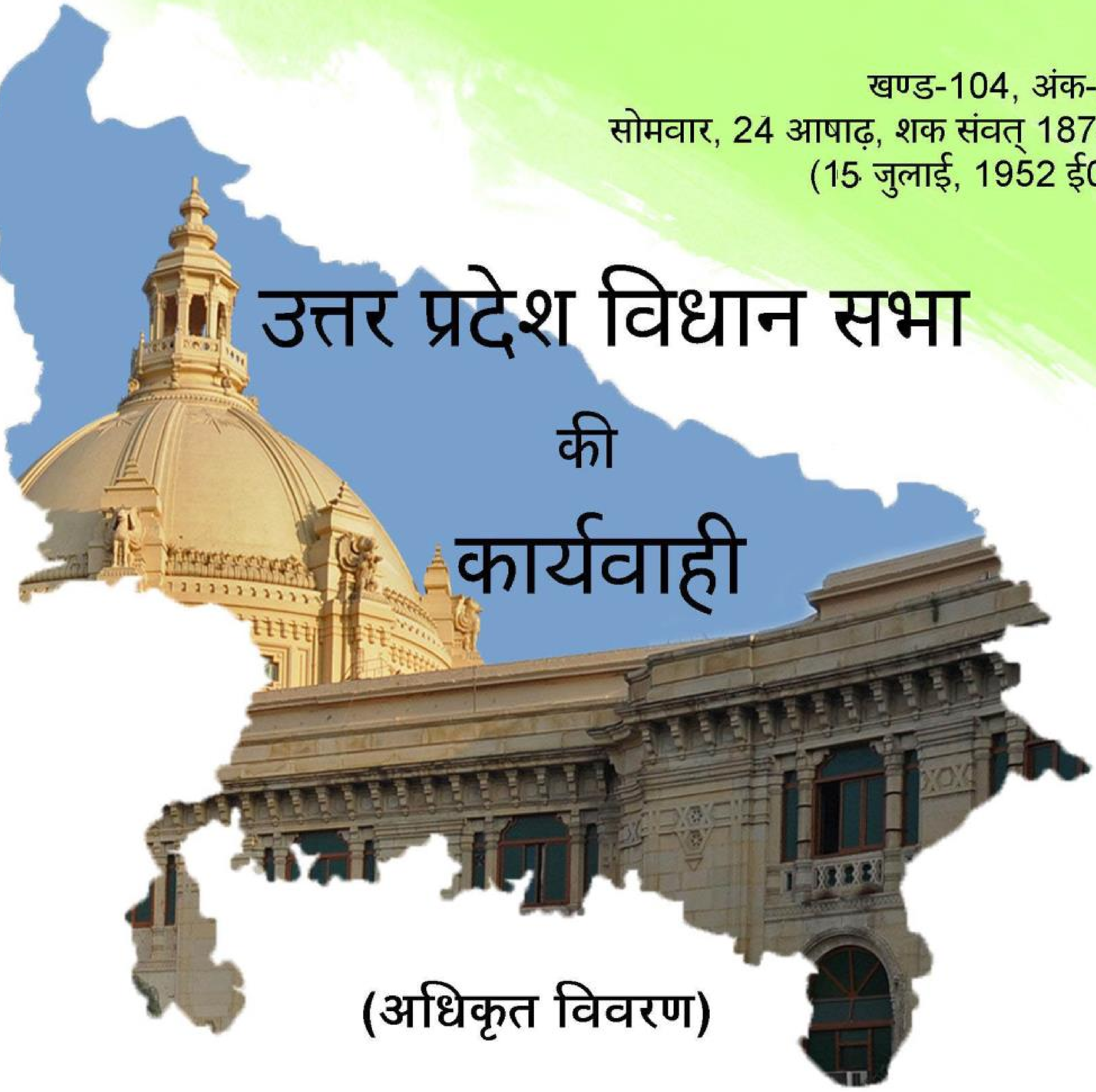

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 104 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मङ्गलवार, १५ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीजइमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाँडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाँडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गजूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाँडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाँडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाँडेय, श्री
धनुषधारी पाँडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री

बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाँडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणन्जय सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाँडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
राम शंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाँडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लोलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भरनाथ पाँडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार पाँडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाँडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवव्रक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री

श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाँडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में ट्यूब वेल लगाने की योजना

*१—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में टयूबवेल लगाने की क्या योजना है तथा उसके लिये बिजली कहाँ से प्राप्त होगी और परीक्षण कार्य कब से प्रारंभ होगा?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—जौनपुर जिले में १५ वर्षीय योजना के अन्तर्गत ४०५ ट्यूबवेल्स का निर्माण स्वीकृत है। यदि सप्लीमेंटरी प्लान के लिये भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता मिल गयी तो इनमें से कुछ कुओं का निर्माण प्रथम पाँच साल में भी संभव हो सकेगा।

ये कुएं रिहंद डैम से उत्पन्न हुई बिजली से चलाये जावेंगे। उस समय तक के लिये जब तक रिहंद डैम से बिजली नहीं मिलती, बनारस स्टीम स्टेशन की उत्पादन शक्ति को बढ़ाकर इन कुओं को बिजली देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सारे पूर्वी जिलों में सिंचाई निर्माण योजनायें जैसे नहर, ट्यूबवेल्स तथा बंधी इत्यादि के सर्वे कराने के संबंध में सरकार निश्चय कर चुकी है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय सूचना मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे सरकार की दृष्टि में जौनपुर जिले में सिंचाई के साधनों की तत्काल आवश्यकता है या नहीं है?

श्री राममूर्ति—सरकार यह महसूस करती है कि वहाँ सिंचाई की आवयश्यकता है और उसके लिये १५ वर्षीय योजना के अन्तर्गत ट्यूबवेल बनाने का इरादा है। लेकिन चूंकि रुपया कम है इसलिये यह इंतजाम अभी पूरा नहीं हो पावेगा।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या जौनपुर जिले में बंधी बनवाने के लिये सरकार सहायता देने के लिये तैयार है ?

श्री राममूर्ति--हाँ, अगर कोई ऐसा प्रोपोजल (प्रस्ताव) सरकार के सामने आवेगा तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

*२--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या ट्यूबवेल लगाने के लिये सरकार ने जो नियम बनाये हैं, उनकी वह एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--सरकार ने स्टेट ट्यूब वेल्स लगाने के लिये कोई नियम नहीं बनाये हैं।

जौनपुर जिले में नहर का प्रसार

*३--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या जौनपुर जिले में सिंचाई के लिये नहर का प्रसार करने की योजना पर सरकार पुनः विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--शारदा नहर प्रसार के सर्वे के लिये सरकार ने ७३,००० रुपये का सर्वे एस्टीमेट (पर्यालोचन प्राक्कलन) स्वीकृत किया है और सर्वे कार्य शुरू हो गया है। यदि सर्वे के आधार पर योजना संभव हुई तो शारदा नहर प्रसार से जौनपुर जिले में नहर निर्माण संभव हो सकेगा।

*४-५--श्री देवकी नन्दन विभव (ज़िला आगरा) (अनुपस्थित)--[देखिए पृष्ठ ७१ पर।]

शाहजहांपुर जिले में सामूहिक चन्दा और वार फंड का काकोरी शहीद एजूकेशन सोसाइटी को दिया जाना

*६--श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जिला शाहजहांपुर में सामूहिक चन्दा और वार फंड (Collective subscription and War Fund) का एक लाख दस हजार रुपया जो स्थानीय कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने अनरिकग्नाइज्ड (Unrecognised) काकोरी शहीद एजूकेशन सोसाइटी को देना मंजूर किया है वह किस सरकारी परिपाटी के अन्तर्गत किया है ?

वित्त मंत्री (श्री मुहम्मद इब्राहीम)--काकोरी शहीद शिक्षा समिति को अभी तक केवल ७८,६५७ रु० १० आ० २ पा० स्वीकृत किया गया है। सामूहिक चंदों के उपयोग से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा बनायी गयी कार्यविधि का अनुसरण किया गया। यह नहीं ज्ञात है कि 'मान्यता प्राप्त समिति' (Recognized Society) का क्या तात्पर्य है किन्तु काकोरी शहीद शिक्षा समिति सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन रजिस्टर्ड है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह रुपया जो सोसाइटी को दिया गया है वह किसकी सिफारिश से दिया गया है ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--यह तो गवर्नमेंट का ख्याल था कि जो रुपया इस जमाने में इस तरीके से जमा हो वह मुकामी कमेटी के जरिये से उन्हीं लोकेलिटी (क्षेत्र) के किसी न किसी काम में लगा लिया जाय। वहाँ की मुकामी कमेटी ने ही इसके लिये मंजूरी दी थी।

श्री प्रतिपाल सिंह--जब कोई शिक्षा संस्था रिकगनाइज होती है तो उसके रिकगनीशन के जो रूल्स होते हैं मेरे ख्याल में वे कैबिनेट के प्रत्येक मंत्री को मालूम होने चाहियें। तो इसका उत्तर में पोजीटिव चाहता हूं।

श्री मुहम्मद इब्राहीम--लफ्ज रिकगनाइज चूंकि सवाल में था, उसका हिन्दी में जो कुछ भी हो, और सोसाइटी के रिकगनीशन का कोई और तरीका जब है ही नहीं और सोसाइटी का रिकगनीशन जिस तरह से होता है उसको रूल्स बयान कर दिया गया है, उसी कायदे के मुताबिक ही उसको रजिस्टर्ड किया गया और वही तरीका उसके रिकगनीशन का है।

श्री प्रतिपाल सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सोसाइटी रिकगनाइज्ड कब हुई ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--मुझे ठीक वक्त तो याद नहीं है, लेकिन उसका पहिले रजिस्ट्रेशन हो चुका है।

श्री प्रतिपाल सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सोसाइटी अब रिकगनाइज्ड है या नहीं ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि सोसाइटी रजिस्टर्ड है।

श्री प्रतिपाल सिंह--क्या लोकल समिति जिसका जिक्र अभी माननीय मन्त्री ने किया उसके सामने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इस सम्बन्ध में अपनी कोई राय व्यक्त की थी ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--हाँ, जरूर की होगी।

श्री प्रतिपाल सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी राय क्या थी ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--मेरे पास वह राय इस वक्त नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि इस सोसाइटी के सम्बन्ध में जनता में असन्तोष है और उसकी क्या सरकार जाँच करावेगी ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--गवर्नमेंट के पास इस वक्त ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि उसके मुताल्लिक असन्तोष है और अगर किसी किस्म का असन्तोष है तो उसकी क्या वजह है।

श्री भगवान सिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार को इस बात का पता है कि सरकार ने इस रुपये को देने के लिये एक कमेटी बनाई थी और यह रुपया उस कमेटी को देने के लिये मंजूर किया था ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--कमेटी बनी हुई थी और उसी को यह रुपया दिया गया था।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)--सोसाइटी के पास कितने स्कूल्स हैं और यह रुपया किस निमित्त खर्च करने के लिये दिया गया था ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--इस वक्त इसके बारे में मेरे पास सिर्फ इतनी इत्तला है कि वहाँ इस वक्त एक कालिज बन रहा है, उस तहसील का नाम मालूम नहीं, उस तहसील में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था, वहीं के लिये यह रुपया भेजा गया था।

*७--श्री प्रतिपाल सिंह--क्या सरकार ने रुपया मन्जूर करने के अवसर पर यह जानने की चेष्टा की थी कि उपरोक्त सोसाइटी के पास उसका अपना कितना रुपया फंड में था ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

*८--श्री प्रतिपाल सिंह राठौर--क्या सरकार को रुपयों की मन्जूरी देने के अवसर पर यह बात ज्ञात नहीं थी कि उपरोक्त सोसाइटी के संचालक के विरुद्ध काकोरी शहीद फन्ड और कागज के कोटे के मामलों को लेकर जनता में भारी असन्तोष है, क्या सरकार इस पूरे मसले पर पुनः विचार करने का इरादा रखती है ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी। इस मामले पर फिर से विचार करने के कोई कारण नहीं प्रतीत होते।

बहराइच जिले में बांध तथा नहर बनाने की योजना

*९--श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)--क्या यह सच है कि भिनगा, तराई क्षेत्र जिला बहराइच में सूखे के कारण जो लगातार दो फसलें नष्ट हो गई हैं उसके लिये पहाड़ी कूलों से रिजर्वायर (जलशय) बनाने की एक योजना जिलाधीश, बहराइच ने भेजी है ?

श्री राममूर्ति--जी हाँ। जिलाधीश बहराइच ने ताल बघौरा बान्ध तथा ककरदारी के पास राप्ती नदी से नहर निकालने की योजनायें नहर विभाग को भेजी हैं।

*१०--श्री भगवानदीन मिश्र--क्या यह सत्य है कि उस क्षेत्र में सर्वे के लिये सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं, किन्तु अभी तक सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं। जिलाधीश, बहराइच द्वारा प्रस्तुत योजनाओं तथा अन्य योजनाओं की विस्तृत जाँच-पड़ताल पूर्ण रूप से जारी है।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि नहर विभाग के द्वारा एक इंजीनियर साहब सर्वे के लिये जिले में भेजे गये थे ?

श्री राममूर्ति--जी हाँ, सर्वे का काम हो रहा है।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार को यह मालूम है कि इंजीनियर साहब यह कह कर वापस आ गये कि सर्वे इस समय नहीं हो सकता, जाड़े के दिनों में किया जायेगा।

श्री राममूर्ति-- ऐसी कोई बात सरकार के नोटिस में नहीं आई है।

*११--श्री भगवानदीन मिश्र--यदि हाँ, तो क्या सरकार विलम्ब के कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--यह प्रश्न नहीं उठता।

आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के नियम

*१२--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या सरकार आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति में इस बात का ध्यान रखने के लिये तैयार है कि जहाँ कानूनी शिक्षा प्राप्त ईमानदारी ख्याति वाले व्यक्ति मिल सकें वहाँ उन्हें वह प्रथम अवसर प्रदान करे ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली ज़हीर)--आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति में सरकार को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उनमें से कानूनी शिक्षा तथा ईमानदारी जो बिला शुबह जरूरी विचारों में से है, का ध्यान ऐसी नियुक्तियों के समय रखा जाता है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ्फरनगर)--क्या सरकार आनरेरी मैजिस्ट्रेट बन्द करने के लिये तैयार है ?

श्री सैयद अली ज़हीर--जी नहीं, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार पंचायतों के कायम हो जाने के कारण आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की संस्था को समाप्त करने की सोच रही है ?

श्री सैयद अली ज़हीर--जी नहीं, ऐसा कोई ख्याल नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव--मैं यह जानना चाहूंगा कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या सरकार को कोई कानूनी शिक्षा प्राप्त योग्य व्यक्ति मिलने में कुछ कठिनाई होती है।

श्री सैयद अली जहीर--इसका कोई मुकम्मल जवाब इस वक्त नहीं दिया जा सकता, बाज जगह कठिनाई पड़ती है और बाज जगह नहीं पड़ती।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने का क्या तरीका है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी यह सवाल इससे नहीं उठता, लेकिन तरीका यह है कि जिले में एक कमेटी होती है जिसमें जिला मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज, वहाँ के कुछ एम० एल० ए० और पब्लिक के मेम्बर होते हैं जो नाम चुनकर गवर्नमेंट को भेजते हैं। उन्हीं में से गवर्नमेंट नामजद कर देती है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय न्याय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति में शिक्षा सम्बन्धी योग्यता होना जरूरी नहीं है।

श्री सैयद अली जहीर—जी है। उनके लिये क्वालिफिकेशन (योग्यता) मुकर्रर है। वह कम से कम हिन्दी का जानने वाला होना चाहिए और हिन्दी में लिख पढ़ लेना उसके लिये जरूरी है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार को यह मालूम है कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को मुकर्रर करने के कवायद इस भवन से तकरीबन १५ साल पहिले पास किये गये थे, अब तक उन्हीं पर अमल दरामद हो रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—उनकी तकर्रुरी के कवायद वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट बदलती रहती है और उसमें तरमीम हो जाया करती है।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या यह वाक़या है कि सन् १९३८ में जब यह कवायद पहले गवर्नमेंट ने बनाये थे तो उनको इस हाउस ने एप्रूव (अनुमोदन) किया था ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कभी कोई मजदूर भी आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख्याल में मजदूर होना कोई क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन (अयोग्यता) नहीं है।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या माननीय मन्त्री इसके लिये तैयार हैं कि इस भवन की एक कमेटी बनाई जाय जिसके सामने वह रूल्स रख दिये जायं और उस कमेटी से कहा जाय कि जरूरी तरमीमात उसमें कर दे।

श्री सैयद अली जहीर—ऐसी कोई तजवीज सरकार के जेरेगौर नहीं है।

सब-रजिस्टारों को मैजिस्ट्रेटों के अधिकार देने के सम्बन्ध में सरकारी नीति

*४—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कुल कितने सब-रजिस्ट्रार हैं और उनमें से कितनों को द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—उत्तर प्रदेश में १८८ सब-रजिस्ट्रार हैं। उनमें से ३९ सब-रजिस्ट्रारों को दरजा दोयम के मैजिस्ट्रेटों के अधिकार हासिल हैं। सरकार कुछ और सब-रजिस्ट्रारों को दरजा दोयम के मैजिस्ट्रेटों के अधिकार देने की तजवीज पर विचार कर रही है।

*५—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार अन्य उन सब-रजिस्ट्रारों को, जो योग्य और उचित शिक्षा प्राप्त हैं, द्वितीय श्रेणी तथा जिन्हें द्वितीय श्रेणी के अधिकार प्राप्त हैं और जिनका कार्य सराहनीय है उन्हें प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के अधिकार देने पर विचार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जब जिला अफसरान और इन्स्पेक्टर जेनरल रजिस्ट्रेशन, यू० पी० सब-रजिस्ट्रारों के मुताल्लिक सिफारिश करते हैं तब सरकार अलग-अलग उनकी मुनासिबत पर गौर करके उनको दरजा दोयम के अधिकार देने या न देने का फैसला करती है। सरकार की मौजूदा पालिसी के मुताबिक यह मुनासिब नहीं है कि उनको दरजा अव्वल के मैजिस्ट्रेटों के अधिकार दिये जावें।

अतारांकित प्रश्न

मुख्तारों को सिविल कोर्ट्स में वकालत करने की अनुज्ञा का दिया जाना

१—श्री प्रतिपाल सिंह—क्या सरकार को यह पता है कि यू० पी० लायर्स प्राविंशियल कान्फ्रेंस ने देहरादून के मुकाम पर यह प्रस्ताव पास किया है कि चूंकि जमीन्दारी

[श्री प्रतिपाल सिंह]

विनाश अधिनियम शीघ्र लागू होने वाला है, अतः मुख्तारों को भी वकीलों की भांति प्रैक्टिस करने की अनुमति मिलनी चाहिए ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हाँ, लेकिन उसके पहले यू० पी० लायर्स कान्फ्रेंस लखनऊ में भी इसी किस्म का एक रिज़ोल्यूशन आगरा के मुख्तारों की बाबत पास किया जा चुका है।

२--श्री प्रतिपाल सिंह--क्या यह सही है कि बनारस, रामपुर और नैनीताल में मुख्तारों को सिविल कोर्ट में प्रेक्टिस करने की अनुमति मिल गई है ?

श्री सैयद अली जहीर--रियासत बनारस में वकीलों और मुख्तारों के अदालत में प्रैक्टिस करने के कायदे वही थे जो उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में थे। चुनाँचे वहाँ मुख्तारों को कोई विशेष सुविधा हासिल नहीं है, बल्कि उनकी वही हालत है जो दूसरे जिलों में है। रामपुर और टेहरी-गढ़वाल की रियासतों में मुख्तारों को पहले से दीवानी अदालतों में प्रैक्टिस करने की सुविधा थी, इसलिये सिवाय जिला जज की अदालत के उनके लिये वही सुविधा बाकी रक्खी गई। टेहरी-गढ़वाल के मुख्तारों को यह भी अधिकार है कि कुमायूं की दीवानी अदालतों में सिवाय जिला जज की अदालत के अपने जिले से ताल्लुक रखने वाले मुकद्मों में काम कर सकते हैं।

सन् १९२६ ई० से पहिले कुमायूं में बाजाब्ता दीवानी अदालतें नहीं थीं इस लिये वहाँ मुख्तार पहिले हर अदालत में काम कर सकते थे। सन् १९२६ ई० के बाद भी जब यहाँ की अदालतें हाईकोर्ट के मातहत हुयीं तो जो मुख्तार उस वक्त काम करते थे उनको यह अख्तियार दिया गया कि वे सब फौजदारी की अदालतों में और उन दीवानी अदालतों में जिसका कि काम सब-डिवीजनल आफीसर और तहसीलदार करते थे, प्रैक्टिस कर सकते हैं।

३--श्री प्रतिपाल सिंह--क्या अन्य स्थानों में भी मुख्तारों को ऐसी सुविधा प्रदान करने का सरकार का विचार है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं।

पुलिस के एक कर्मचारी पर कथित अत्याचार तथा अलीगढ़ म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

अध्यक्ष--मेरे पास दो काम रोको प्रस्ताव आये हैं। एक तो अलीगढ़ म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में है और दूसरा इस सम्बन्ध में है कि यहाँ पर कुछ एक पुलिस के कर्मचारी के ऊपर, कुछ कथित अत्याचार, अन्याय हुआ। मैं नहीं समझता कि यह दोनों ही प्रस्ताव इतने महत्वपूर्ण हैं कि इस वक्त जब कि अनुदानों के ऊपर विचार हो रहा हो और मत लिये जा रहे हों उस समय काम रोककर उनके ऊपर विचार किया जाय। इसलिये मैं इनकी इजाजत नहीं देता।

जो प्रश्न इन दोनों में उठाये गये हैं, इनका जिक्र माननीय सदस्य अनुदानों की बहस में भी कर सकते हैं।

विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन

अध्यक्ष--अब आज के अनुदानों पर विचार होगा। जो माननीय सदस्य इन अनुदानों के सम्बन्ध में कितना समय नियत हो सकता है उसके सम्बन्ध में सुझाव देना चाहते हों वह कृपया मेरे सामने पेश करें।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि अनुदान संख्या २५ के लिये १ घंटा, अनुदान संख्या २६ के लिये ४५ मिनट, अनुदान संख्या ४७ के लिये ३५ मिनट और अनुदान संख्या ४३ के लिये सवा दो घंटे। मैंने इसका भी विचार किया है कि जिस अनुदान के अन्तर्गत कटौतियाँ ज्यादा हैं उन पर ज्यादा समय है और जिन पर कम है उन पर कम समय रखा है। इससे यह मालूम होता है कि किसमें कितनी दिलचस्पी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्य २५, २६ और ४७ लगभग एक ही विभाग से सम्बन्धित हैं। मेरा सुझाव है कि इनको एक साथ ही लिया जाय और तीनों के लिये डेढ़ घंटे रखा जाय और बाकी के लिये ३ घंटे रखा जाय।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह चारों ग्रान्ट्स एक ही आइटम्स (मदों) के मुताल्लिक हैं यानी जेल और एक ही मिनिस्टर साहब इसको डील (कार्य) करते हैं इसलिये ज्यादा मुनासिब हो अगर इन चारों पर बहस एक साथ ही ली जाय तो एक सिलसिले से तकरीर करने का भी काफी मौका मिल जाय और मिनिस्टर साहब भी पूरी स्कीम पर एक मुफस्सिल तकरीर कर दें और पूरी बात मालूम हो जाय।

अध्यक्ष--श्री केशव गुप्त जी, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर इन अनुदानों को साथ मिला दिया जाय ?

श्री केशव गुप्त--मुझे इतनी आपत्ति है कि जो अनुदान संख्या ४३ है वह तो बिलकुल अलग रखा जाय और बाकी जो अनुदान है अगर वे मिला दिये जायं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--जो प्रताव श्री सुल्तान आलम खाँ साहब का है उसका मैं विरोध करता हूं और केशव गुप्त जी ने जो बात अभी कही है वह ठीक है।

वित्त मन्त्री (श्री मुहम्मद इब्राहीम)--मैं तो जनाब के जरिये से मेम्बर साहबान की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि बिजली की जो माँगें हैं २५, २६, और २७ पर उनमें से नम्बर २५ जो है वह तो सिर्फ आजमगढ़ और कानपुर की एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी से ताल्लुक रखती है और किसी से उसका वास्ता नहीं है और उसके ऊपर जो बहस होगी वह सिर्फ उन्हीं पर होगी जो उनमें है। ऐसी ग्रांट जिसमें और मामलों पर बहस हो सकती है वह ४७ है। मेम्बरान को अख्तियार है कि पूरे मजमून के ऊपर बहस कर लें या किसी खास, एक पावर हाउस (बिजली घर) पर अगर गौर करना है जैसे कानपुर, तो उस पर कर लें। जहाँ तक ४३ का ताल्लुक है, ४३ सिर्फ बिजली की नहीं है। उसमें बिजली और इर्रिगेशन दोनों के कैपिटल एक्सपेंडीचर (पूंजी व्यय) शामिल हैं। उन पर जो बहस होनी चाहिए वह अलग होनी चाहिए, इस लिये इर्रिगेशन (सिंचाई) की बहस उन ऊपर के अनुदानों से ताल्लुक नहीं रखती है। वह सिर्फ ४३ के अन्दर है। इस लिये इस पर अलग बहस होनी चाहिए।

अध्यक्ष--यानी आप यह कहते हैं कि अनुदान २६ और ४७ मिलाये जा सकते हैं। २५ को अलग रखें, क्योंकि वह आजमगढ़ और कानपुर के मुताल्लिक है। २६ और ४७ को मिला सकते हैं ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--२६ का जहाँ तक ताल्लुक है बिलकुल बेकार सी है, क्योंकि उसमें तो एस्टेबिलशमेंट (स्थापना) का खर्चा होगा।

अध्यक्ष--तो मैं यह उचित नहीं समझता कि कोई ग्रान्ट ऐसी अवस्था में मिलायी जाय। अलहदा अलहदा ही इसके लिये समय रखने की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि पहले अनुदान के लिये पौन घंटा काफी होगा। दूसरे अनुदान के लिये भी पौन घंटा काफी होगा और तीसरे अनुदान के लिये भी पौन घंटा काफी हो जायगा। इस तरह से सवा दो घंटे हुए। बाकी जो समय है वह करीब सवा दो घंटे के बचता है, क्योंकि आज साढ़े चार घंटे समय रहेगा। तो ऐसी अवस्था में सवा दो घंटे ४३ वें अनुदान के लिये रहेंगे। पौन पौन घंटा बाकी के लिये और ४३ के लिये सवा दो घंटे।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्यय क में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-

अनुदान संख्या २५-लेखा शीर्षक ४१-विद्युत् योजनाओं पर व्यय

वित्त मन्त्री (श्री मुहम्मद इब्राहीम)--जनाब स्पीकर साहब, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५-लेखा शीर्षक ४१-विद्युत योजनाओं पर व्यय के लिये ९६,७३,७०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

[वित्त मंत्री]

यह रुपया जो माँगा जा रहा है उसके मुताल्लिक कहने के लिये तो बहुत ही थोड़ा सा है। एक तो गवर्नमेंट के पास अपना पावर हाउस (बिजली घर) कानपुर का है, जो कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के नाम से है। पहले वह एक प्राइवेट कम्पनी का था। उसे गवर्नमेंट ने १९४७ में खरीद लिया और उस वक्त से इस वक्त तक गवर्नमेंट उसका इन्तजाम करती है, उसको चलाती है। एक आजमगढ़ में छोटा सा प्लाँट था। वह भी एलेक्ट्रिट सप्लाई की मिलकियत थी और उसके जरिये से चलता था। वहाँ सप्लाई की हालत बहुत ही खराब हो गयी तो गवर्नमेंट ने उसको लेकर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को हटा दिया और उसके ऊपर खर्च करके उसको चला रखा है और एक बनारस का है। वह तो पहले स्टेट (रियासत) का था। वह अभी हमारे इन्तजाम में आ गया है।

इस रुपये में मैंने जो माँगा है ७६ हजार रुपया तो है बनारस के लिये और ५३ हजार रुपया है आजमगढ़ के लिये, ९५ लाख ४४ हजार ६ सौ रुपया है कानपुर के लिये। यह जो मेंटिनेंस (रखरखाव) उनका हो रहा है, उस सबके लिये इस रुपये की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इस रुपये को मन्जूर करेगा और अगर कोई खास प्वाइन्ट आफ इन्फारमेशन (सूचना का प्रश्न) उनमें से किसी पावर हाउस की बाबत उठाया जायगा तो मैं पूछने पर उसके मुताल्लिक अर्ज कर दूंगा कि किस पावर हाउस के मुताल्लिक क्या बात है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा समय लेने की मुझे जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मेरे इस प्रस्ताव को श्री नारायण दत्त जी मूव (प्रस्तावित) करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय वित्त मंत्री के द्वारा पेश किये गये अनुदान में से एक रुपया कम कर देने का प्रस्ताव रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था ये तीनों अनुदान जो आज के एजेन्डे में रखी गयीं, यह अधिकतर कानपुर, आजमगढ़ और बनारस के पावर स्टेशनों के मुताल्लिक थीं। तो अच्छा तो यह होता कि सभी को मिला कर वादविवाद किया जाता, लेकिन जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री ने कहा अगर अलग अलग करने की जरूरत है तो मैं एक जनरल तरीके से, आम तरीके से, अपने विचार इस सम्बन्ध में स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

सरकार ने जैसा कि अभी माननीय वित्त मन्त्री ने बतलाया, सन् १९४७ ई० में कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) को अपने हाथ में लिया और मैं समझता हूं कि सरकार ने इसी लिये इसको अपने हाथ में लिया होगा, खरीदा होगा कि कानपुर जैसे बड़े शहर में बिजली के इन्तजाम के लिये 'kesa' कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन बनाई जाय और उसका ठीक इन्तजाम किया जाय। मैं समझता हूं कि सरकार ने जैसा प्रबन्ध कानपुर या आजमगढ़ के लिये किया, वैसा प्रबन्ध सरकार को सारे प्रान्त की सभी बिजली कम्पनियों के लिये करना चाहिए। अगर आज हम प्रान्त के बिजली प्रबन्ध की ओर निगाह डालते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ दो तरह की कम्पनियाँ हैं। एक तो मार्टिन एन्ड बर्न्स ग्रुप और दूसरा नान-मार्टिन ग्रुप। एक कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन और आजमगढ़ में जो पावर हाउस है वह नान-मार्टिन ग्रुप में आती है अन्य नान-मार्टिन ग्रुप में बहुत अन्य कम्पनियाँ भी हैं जैसा कि बाराबंकी या और जिलों में है, जिनमें कुछ तो म्युनिसिपैलिटियों के प्रबन्ध में है और कुछ प्राइवेट कम्पनियों के हाथ में है।

तो मेरा कहना यह है कि एक 'प्राविंशियल एलेक्ट्रिकल कारपोरेशन' के नाम से एक ऐसा संगठन बने जो कि सारे प्रान्त की बिजली कम्पनियों का निरीक्षण व प्रबन्ध करे। वैसे तो मार्टिन एन्ड बर्न्स लिमिटेड, जिसके बड़े बड़े पावर हाउसेज उत्तर प्रदेश में हैं, उसे आल इन्डिया कंसर्न (व्यापार) कहा जा सकता है जिसका हेड आफिस कलकत्ता में है। शायद मंत्री जी को इसलिये एतराज हो, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि वह अगर उसका राष्ट्रीयकरण भी नहीं कर सकते,

प्रान्तीयकरण भी नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा तो करें जिससे जितनी कम्पनीज हैं उनकी अर्थ व्यवस्था में सरकार का नियन्त्रण रहे। एक ओर हम बजट में देखते हैं कि सरकार का इरादा है कि एलेक्ट्रिसिटी रेट्स (दरों) को बढ़ाया जाय। सरकार बिजली की दरों को बढ़ाना चाहती है ताकि उससे ज्यादा आमदनी हो। जब सरकार यह उम्मीद करती है कि बिजली की दर ज्यादा हो तो सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह देखे कि जनता को बिजली ठीक मिलती है, बिजली का इन्तजाम ठीक है और जितना जनता दरों और रेट्स के द्वारा सरकार और कम्पनियों को पैसा देती है उसका ठीक ठीक उतना ही बदला जनता को भी मिलता है। इसके लिये बहुत ही जरूरी है कि सरकार इन सब कम्पनीज के ऊपर अपना नियन्त्रण रखे और कम से कम फाइनेन्शियल कन्ट्रोल (आर्थिक नियन्त्रण) तो जरूर रखे।

मैं मार्टिन बर्न्स कम्पनी का उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले साल के अन्दर मार्टिन बर्न्स ने अपने रिजर्व (सुरक्षित धन) को कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया, उसका पूंजीकरण शुरू कर दिया और जो उसका रिजर्व फन्ड बहुत ही ज्यादा था उसका इस प्रकार नाजायज फायदा उठाकर, कैपिटलाइज करके, उसको डिवीडेंड्स (लाभ) और शेयरों (हिस्सों) में डालना शुरू कर दिया। आप यह देखिए कि यह कितनी बड़ी पूंजी थी अगर उसका उपयोग ठीक तरह से होता तो नये पावर हाउसेज बनाये जा सकते थे। सरकार नयी नयी जगह पावर हाउसेज बनाना चाहती है और उसके लिये उस रिजर्व फन्ड का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन उसके कैपिटलाइज हो जाने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हमारे प्रान्त को हुआ होगा, इसका अन्दाजा माननीय वित्त मन्त्री जी लगा सकते हैं। हमने यहाँ तक देखा कि अपने रिजर्व फन्ड को कम करने के लिये मार्टिन कम्पनी ने बड़े बड़े बंगले बनवाये, जैसे इलाहाबाद के रेजीडेंट इन्जीनियर का बंगला। आप देख लीजिए। एक उनके रॉबिंसन साहब हैं जो प्रान्त भर का दौरा करके बिजली कम्पनियों का निरीक्षण करते हैं, उनके लिये एक गेस्ट हाउस (अतिथिगृह) इलाहाबाद में बनवाया गया। उसकी शानशौकत आप देख लीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सब कम्पनीज और खास तौर से मार्टिन कम्पनी की फाइनेन्सेज (आर्थिक सम्पत्ति) पर कन्ट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। यह चाहे आप प्राविंशियल एलेक्ट्रिक कार्पोरेशन के जरिये या किसी प्रकार करिये परन्तु इसका करना आवश्यक प्रतीत होता है।

बाराबंकी के पावर हाउस को आप ले लीजिए। बाराबंकी का पावर हाउस वहां की म्युनिसिपैलिटी के नियंत्रण में है। सरकार के पास कई बार वहां से शिकायत आयी है कि इतना नुकसान हो गया। अगर उसके बारे में आप इंक्वायरी (जाँच) करें तो आप देखेंगे कि उस पावर हाउस में कितना मिसमैनेजमेंट (कुप्रबन्ध) हो रहा है। संक्षेप में मेरे कहने का मतलब यह है कि कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत हद तक कामयाब रहा है और सरकार के लिये एक बड़ा प्राफिट गिविंग सोर्स (लाभप्रद साधन) रहा है और मजदूरों को भी वहां एक आना या दो आना बोनस दिया गया है, तो क्यों नहीं सरकार कानपुर में जो अनुभव प्राप्त किया है, उसका और शहरों में भी फायदा पहुंचाती है। जब माननीय मन्त्री जी हमारे सामने यह अनुदान रख रहे हैं तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय मन्त्री जी इस बात की पूरी चेष्टा करें, वह चाहे प्रान्तीय स्तर पर हो और अगर आवश्यकता पड़े तो केन्द्रीय सरकार से कह कर भी इस बात का नियम या ऐक्ट बनवायें जिसके जरिये एलेक्ट्रिसिटी के ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) में सरकार का ज्यादा हाथ हो। मैं समझता हूं कि यहाँ की जितनी एलेक्ट्रिक कम्पनीज हैं और खास तौर से मार्टिन कम्पनी की फाइनेन्सेज (वित्त) पर कन्ट्रोल होना ही चाहिए।

साथ ही साथ जहाँ तक बिजली के मजदूरों की मजदूरी का सवाल है, उसका एक पैमाने पर होना बहुत आवश्यक है। कानपुर में मजदूरों की मजदूरी, डियरनेस और फूड अलाउन्स (मंहगाई और भोजन भत्ता) की दर में और दूसरी जो कम्पनियां हैं उनकी दरों में कितना अन्तर

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

है यह माननीय वित्त मन्त्री जी को मालूम है। जो लेबर अपीलेट का फैसला अभी हाल ही में प्रान्तीय सरकार द्वारा दोहराया गया था, उसमें कानपुर की और दूसरी बिजली कम्पनियों की मजदूरी की दरों में जो अन्तर है वह स्पष्ट हो गया है।

इस कटौती के प्रस्ताव पर अपनी बातचीत समाप्त करते हुए मैं फिर माननीय मन्त्री जी से जोरदार शब्दों में अनुरोध करूंगा कि प्रान्त की बिजली कम्पनियों की फाइनेंसेज पर और खास तौर से मार्टिन कम्पनी की फाइनेन्सेज पर सरकार का कन्ट्रोल होना चाहिए, चाहे वह प्राविंशियल एलेक्ट्रिक कार्पोरेशन के जरिये हो या किसी और जरिये से हो। मैं दोबारा फिर जोर देना चाहता हूं कि इसकी बहुत आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस ग्रांट का सम्बन्ध कानपुर और आजमगढ़ बिजली सप्लाई से है। कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई स्कीम और उसके अन्तर्गत जो कारखाना है, उसको जब से हमने लिया है, काफी रुपया हमारे बजट से उसको दिया जाता रहा है। अगर आप इस बजट को देखें तो उसके लिये तीन ग्रान्ट्स के अन्तर्गत खर्चा माँगा गया है। इसका जोड़ १,५८,५१,४०० रुपया होता है। मौजूदा अनुदान २५ जो आप के सामने है उसके अन्तर्गत ९५,४४,६०० रुपया है। अनुदान संख्या २६ के अन्तर्गत १५,६६,८०० रुपया है और अनुदान संख्या ४७ के अन्तर्गत ४७,४०,००० रुपया है।

तो इस सब का जोड़ १,५८,५१,४०० होता है और सन् १९५०–५१ ई० में हमने अपने बजट से १,१५,७४,००० रुपये दिये थे और सन् १९५१–५२ में १,४४,५८,००० रुपये दिये थे। इस तरह से इन तीन साल के अन्दर कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई वर्क्स के ऊपर करीब ४,१८,८४,००० रुपये हमारे खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा इस कम्पनी को लेने में भी खर्च हुआ और उससे पहले भी खर्च होता रहा। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी रकम इसके ऊपर खर्च हुई। मैं अपने मान्य मन्त्री से यह आशा करता था और अब भी करता हूं कि वह, इस कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के एसेट्स (सम्पत्ति) और लायबिलिटीज (देय) की हमारे सामने एक रूपरेखा रखते कि इसमें अब तक इतना रुपया खर्च हुआ और इसकी इतनी आमदनी हुई जैसा कि और लिमिटेड कन्सर्न्स में होता है और इतनी डिवीडेन्ड (लाभ) के रूप में बचत हुई जो कि हम जनरल बजट के अन्दर मुल्क की भलाई के लिये लगाते हैं।

यह तो मैंने परसों भी विधान सभा के सामने निवेदन किया था कि जैसे लेनिन के लिये सोवियट की एलेक्ट्रिसिटी देश को स्थिर करने के लिये आवश्यक थी वैसे ही हमें भी अपने प्रदेश को स्थिर करने के लिये बिजली और पंचायत की आवश्यकता है और उसी पर हमारा विस्तार निर्भर करता है। इसलिये बिजली को हमें बहुत महत्व देना है और बिजली के जितने काम हैं उनमें बड़ी सतर्कता रखने की आवश्यकता है। क्या ही अच्छा होता, शायद यह पहले बजट के समय भी कहा गया था कि जितने भी नेशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) के काम हैं, जो ऐसे कारखाने हैं जिनका सम्बन्ध सरकार की व्यापारिक नीति से है, जो कि व्यापार के लिये ही काम किये जाते हैं, जिनमें नफा नुकसान को देखना पड़ता है उनके लिये इस बात की जरूरत है और माँग भी चल रही है कि एक एक कारपोरेशन मुकर्रर किया जाय और उस कारपोरेशन के हाथ में यह सब कारोबार सौंप दिया जाय। केवल सरकारी तौर पर काम करने से देरी होती है और जिनके हाथों में काम दिया जाता है उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि वे लोग तो बर्ड्स आफ पैसेज (मार्ग पक्षी) होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि आप इन सब कामों के लिये एक अलग कार्पोरेशन बनायें। उसमें आप एम्पलायर्स (मालिकों) और एम्पलाईज (नौकरों) को रिप्रेजेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) दें। गवर्नमेन्ट का तो उसमें हिस्सा होगा ही क्योंकि वह उसी का कन्सर्न होगा। इसके अलावा जो विशेषज्ञ

हों उनको भी शामिल किया जाय और तब रेड टेपिज्म से ऊपर उठ कर इन चीजों को देखा जाय। हमने पहले देखा है कि कानपुर में जो निजी लोगों के कारखाने थे उनको तो कोयले के वैगन्स (गाड़ियां) मिल जाते थे लेकिन हमारे कारखाने इसलिये बन्द हो जाते थे कि हमें वेगन्स नहीं मिल सकते थे, क्योंकि हम वह तरीका ही नहीं इस्तेमाल कर सकते जो कि दूसरे लोग इस्तेमाल करते थे। इसलिये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस-लिये मैं कहता हूं कि सरकारी तौर पर काम करने में और उसकी मंजूरी लेने में बहुत बड़ी देर लगती है। इसलिये मैं अपने माननीय मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि आप यह जो कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी है इसके एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे सामने रखें और बतायें कि इन सालों में गवर्नमेन्ट को कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान, कितनी बिजली पैदा हुई और कितनी खर्च हुई, कितना पैसा मिला, क्या इंट्रेस्ट (व्याज) देना पड़ा आदि आदि। यह रूपरेखा देने की कृपा करें और साथ में एक कार्पोरेशन बनाने पर भी ध्यान दें जो कि बहुत आवश्यक है। यदि आप ऐसा करेंगे तो जो आगे की कठिनाइयां हैं वे सब दूर हो जायंगी और नेशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) के काम में हम तेजी के साथ बढ़ें इसी के ऊपर देश की आशा निर्भर करती है। इससे जनता को यह मालूम होगा कि हम नेशनलाइजेशन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और उसको चलाने की हममें शक्ति मौजूद है। इन्हीं सुझावों के साथ में अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करके इस वजह से बोलना चाहता था कि सीतापुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के प्रबन्ध के ऊपर वादविवाद कर सकूं। मुझे मालूम हुआ और जहां तक मेरी इत्तिला है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो कुछ सरकारी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनीज के बारे में कहा है उसमें सीतापुर की कम्पनी का नाम नहीं लिया। मेरा जहां तक खयाल और इत्तिला है गवर्नमेंट सीतापुर पावर हाउस के सुपीरियर प्रोप्रायटर (उच्चतर स्वामी) के रूप में है। एक प्रासीक्यूशन (मुकदमा चलाने) का केस चला था उसमें कुछ कागजात वहां के मैनेजिंग एजेन्ट्स सैन एन्ड सान्याल की तरफ से पेश हुये।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य पहले यह स्पष्ट समझ लें कि इसमें सीतापुर का जिक्र नहीं है। यदि वह आम बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं लेकिन सीतापुर के विषय में उनको कहना है तो वह अप्रासंगिक होगा।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना--मैं यह समझता हूं कि विवाद उस एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के बारे में जिसका सरकार ने प्रबन्ध किया है उसके बारे में है। इसलिये सीतापुर भी इसमें आ जाना चाहिये।

अध्यक्ष--क्या माननीय वित्त मंत्री इसको स्वीकार करेंगे कि यह सरकारी कम्पनी है?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं, सरकारी नहीं है।

अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप जो सीतापुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के बारे में कह रहे हैं वह रेलेवेंट (सम्बद्ध) नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना--यदि रेलेवेंट नहीं है.....।

अध्यक्ष--आप आम बहस में भाग लेना चाहें तो लें। लेकिन एक ही बात पर बोलने के लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना--यदि अनुदान ४७ पर मुझे इजाजत दी जाय....।

अध्यक्ष--हां, उसमें इजाजत मिल जायगी।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मुझे इस अनुदान के संबंध में कोई विशेष बात नहीं कहना है केवल इतना बतलाता हूं कि आज देश के अन्दर औद्योगिक

[श्री हरबंशलाल सिंह पिपल]

विकास के लिये यह जरूरी है कि बिजली के वितरण के ऊपर हमारी सरकार अपना पूरा कब्जा रखे। जहां तक प्राइवेट कम्पनीज का संबंध है मैं देखता हूं कि प्राइवेट कम्पनीज बिजली के वितरण में अनुरुचि से काम करती हैं। जहां पर कि यह जरूरी है कि देश में औद्योगिक विकास के लिये और देश में अन्न के उत्पादन के लिये सिंचाई की व्यवस्था लागू की जाय वहां पर हमारी प्राइवेट कम्पनीज सिंचाई के लिये किसी तरीके से पूरी पावर नहीं दे पा रही हैं। इससे देश के अन्दर उत्पादन में कमी होती है। इन बातों को देखते हुये यह जरूरी है कि हमारे मंत्री इस बात की कोशिश करें कि बिजली की सप्लाई का प्रबंध जो प्राइवेट कम्पनीज को दे रखा है वह अपने हाथ में ले लें और उसके वितरण के ऊपर अपना पूरा पूरा अधिकार रखें जिससे देश के अन्दर औद्योगिक विकास और अन्न के उत्पादन के लिये सिंचाई की व्यवस्था ठीक तरह से लागू की जा सके।

मैंने देखा है कि अलीगढ़ में जो बिजली कम्पनी है वह सरकारी नहीं है और ट्यूब वेल्स चालू करने के लिये बिजली देने में वह हील हुज्जत करती रहती है। वह कहती है कि हमारे कौपर वायर (तांबे के तार) की बहुत ज्यादा कमी है। जब सरकार ने ट्यूब वेल्स की अनुमति दी थी तो क्या यह नहीं देखा गया था कि कौपर वायर नहीं है? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी वजह से उत्पादन बढ़ाने में दिक्कत होती है। लिहाजा मैं सरकार से आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि ऐसी अवस्था में बिजली के उत्पादन के लिये और डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) के लिये वह अपनी पूरी जिम्मेदारी समझे और उसको समझते हुये जितनी भी प्राइवेट कम्पनीज हैं उनको अपने हाथ में ले ले।

दूसरी बात जो मुझे आप से कहना है वह डोमेस्टिक (घरेलू) कनेक्शन्स के बारे में है यह देखा गया है कि हम जितना खर्चा और टैक्स वगैरा बिजली के ऊपर वहन करते हैं उसके अनुपात के हिसाब से बिजली का उपयोग नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है कि जो डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं उन पर सेल्स टैक्स (बिक्री-कर) अधिक लिया जाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री इस व्यवस्था को बन्द कर दें क्योंकि आजकल के समय में बिजली हमारे जीवन के उपयोग की वस्तु हो गई है। सरकार ने सेल्स टैक्स के अन्दर यह नियम बनाया है कि जो चीजें मनुष्य की दिनचर्या की हैं उनमें सेल्स टैक्स नहीं लगाया जायगा तो क्या वजह है कि बिजली के डोमेस्टिक कनेक्शंस पर जो कि दिनचर्या की चीजों में है सेल्स टैक्स लिया जाता है?

मैं वित्त मंत्री से यह भी कहूंगा कि हरिजन बस्तियों की ओर भी उनका ध्यान नहीं गया है। बिजली देकर उनके आर्थिक विकास की योजना की तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया है। जितने पावर कनेक्शंस दिये जाते हैं उनमें सरकार ने हरिजनों को बिल्कुल छोड़ दिया है। जहां पर हरिजन बस्तियां हैं वहां उनकी बस्तियों में अन्धेरा छाया रहता है और उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिन शहरों में हरिजन बस्तियों में पावर कनेक्शंस नहीं दिये गये हैं उनको कनेक्शंस दिये जायं ताकि वे भी उस लाभ से वंचित न रह सकें जिस तरह से शहर के दूसरे सवर्ण जाति के लोग वंचित नहीं रहते। हरिजनों के आर्थिक विकास के लिये यह जरूरी है कि हमारी सरकार बिजली के पावर कनेक्शंस उनको दे।

श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चन्द जगहों के पावर हाउस के बारे में कहना चाहता था। लेकिन यह अनुदान कानपुर और आजमगढ़ के लिए सीमित कर दिया गया है। इसलिए जब अनुदान संख्या ४३ लिया जायगा उस वक्त मैं अपने विचार प्रकट करूंगा।

श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कट मोशन (कटौती प्रस्ताव) के जरिये बनारस बिजलीघर की ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान

आकर्षित करना चाहता हूं । एक प्रश्न के उत्तर में सिंचाई मंत्री ने कहा था कि अगर बनारस बिजली घर से कुछ अधिक बिजली मिल सके तो जौनपुर जिले में इससे अधिक फायदा हो सकता है। सिंचाई योजना देखने से मालूम होता है कि बनारस और जौनपुर के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। इसलिये सरकार को बनारस बिजली घर पर कुछ अधिक खर्च करने की जरूरत है। सुल्तानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया, गाजीपुर सभी में कुछ न कुछ सिंचाई की योजना है। जौनपुर और बनारस का भाग्य बनारस बिजली घर पर ही निर्भर करता है। बनारस बिजली घर के प्रसार के लिये ट्रांसमिशन लाइंस के लिये बहुत कम रुपया रखा गया है। जहाँ तक आबादी का ताल्लुक है यह दोनों जिले किसी पूर्वी जिले से कम नहीं हैं। इन दोनों जिलों की किसी पूर्वी जिले से प्रतिद्वंदिता नहीं है, लेकिन यहाँ जो कमी है उसे पूरा करना चाहिये। इस संबंध में मैं दूसरे कटमोशन पर बोलूंगा, लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री और माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान इन दोनों पूर्वी जिलों की तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री राधा मोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल किसी भी शहर या जिले या ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति के लिये जितनी बिजली की आवश्यकता है उसके लिये बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा उन्नति उस पर निर्भर करती है। मैं एक छोटे से जिले बलिया का रहने वाला हूं और यह बलिया जिला गंगा के किनारे बसा हुआ है, जो पिछले वर्षों में बाढ़ के कारण दो बार गिर चुका है। वहाँ पर एक बाँध बनाया जा रहा था और ऐसी आशा की जाती थी .....।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य जो अनुदान है उसी के संबंध में अपने विचारों को सीमित रखें तो अच्छा है।

श्री राधा मोहन सिंह--जी हाँ, मैं वही निवेदन करना चाहता हूं। इस अनुदान के अन्दर जो कार्य होता है उसकी आलोचना हो सकती है और जो नहीं हुआ है उसकी भी हो सकती है।

अध्यक्ष--कृपा करके आप इसी पर अपने विचार प्रकट करें। इसमें बाँध नहीं आता है। बिजली से बाँध नहीं पैदा होता है।

श्री राधा मोहन सिंह--मैं यही कहना चाहता हूं कि बलिया के अन्दर बिजली की नितान्त आवश्यकता है। वहाँ पर बिजली सप्लाई कम्पनी का प्रबन्ध होना चाहिये, इस बात पर मैं बहुत जोर देता हूं। पिछले तीन सालों में लोगों ने दो बार दरख्वास्त दी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से वहाँ पर बिजली का इंतजाम होना चाहिये। वहाँ पर बिजली की बहुत ज्यादा कमी है। इस लिये मैं बहुत जोर देकर यह बात कहना चाहता हूं कि बिजली की योजना को लेकर हमारे पूर्वी जिलों में काम होना चाहिये। आजमगढ़ में गवर्नमेंट का बिजली का कारखाना चल रहा है। गाजीपुर में भी स्कीम है। बलिया एक ऐसा जिला है जहाँ पर अभी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बलिया के अन्दर सरकार खुद अपना एक बिजली का कारखाना चलाये क्योंकि जनता के लाभ के लिये उद्योग को बढ़ाना आवश्यक है। बलिया के अन्दर जल्द से जल्द एक बिजली सप्लाई कम्पनी खोलने का प्रयत्न करना जरूरी है। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान बलिया जिले की तरफ दिलाना चाहता था और मैं आशा करता हूं कि वह ध्यान देंगे।

श्री मुहम्मद इब्राहीम--जनाब स्पीकर साहब, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। बनारस का जो इसमें जिक्र है वह पावर हाउस नहीं है वह तो बनारस स्टेट में जो पावर हाउस है उसका जिक्र इसमें है।

हमारे दोस्त नारायण दत्त जी ने जो कट मोशन दिया उस पर उन्होंने तकरीर की। उसमें जहाँ तक कि इस बात का ताल्लुक है कि जो कोई भी इस स्टेट के अन्दर बिजली सप्लाई करता हो उसके ऊपर काफी कंट्रोल सरकार का होना चाहिये और खास कर उसकी जो फाइनेन्शियल (आर्थिक) हालत है उसके ऊपर जरूरी है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता और यह एक रूही बात है और उनका यह सुझाव अपनी जगह पर बिलकुल माकूल है। लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सन् १९४८ ई० में बिजली के मुताल्लिक एक नया कानून बना दिया है। वह कुछ यह भी कह रहे थे कि उसके ऊपर कोई बोर्ड कायम किया जाय, जिसका कंट्रोल उस पर रहे। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस कानून का नाम है "एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट, १९४८ ई०"। उसमें उन्होंने हर स्टेट के लिये एक प्राविंशियल बोर्ड तजवीज किया है और प्राविंशियल एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसका नाम है और उस कानून के मातहत वह बोर्ड बनेंगे और उस कानून में जो अख्त्यारात बोर्ड को दिये गये हैं, जो पावर हाउसेज यहाँ पर हैं और बिजली के जितने काम हैं उन सब के ऊपर उस बोर्ड का कंट्रोल होगा। लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसी कानून में इसके साथ ही साथ यह भी तय कर दिया है कि किसी बिजली से कमाने वाली कम्पनी को नफा उसके कैपिटल (पूंजी) के ऊपर ५ फीसदी से ज्यादा न होगा। इसकी देखभाल की जाती है और कंपनियों से हिसाब माँगा जाता है और देखा जाता है। उसकी जाँच होती है। साथ ही इसके इसी सन् १९४८ के ऐक्ट में उन्होंने यह भी तज-वीज कर दी है कि किसी मामले की वजह से या गवर्नमेंट अपनी किसी वजह से अगर चाहती हो तो वह एक कमेटी बना दे जो उनके हिसाब वगैरा को देख कर इस बात का फैसला कर सकती है कि उनके यहाँ जो कीमत चार्ज हो रही है वह ठीक है या नहीं और वह उसमें कोई कमी या बेशी चाहे तो कर सकती है। इसलिये इसी कानून के मुताबिक बिजली कम्पनियों के रेट्स के लिये रेटिंग (दर नियत करने वाली) कमेटी बैठी हुई है। खुलासा यह है कि जहाँ तक कंट्रोल का ताल्लुक है उस कंट्रोल का इंतजाम इस कानून में, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सन् ४८ में बनाया है बहुत कुछ किया है। उसमें फर्क इतना ही है कि इस तरह से वह बिजली कंपनियां जिन्दा रहेंगी, न कि यह कि उनको खत्म करके सब को नेशनलाइज (राष्ट्रीय) कर लिया जायगा। यह चीज उससे बिलकुल मुख्तलिफ है।

जहाँ तक हमारे सूबे का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक मैं कह सकता हूं कि बिजली की सप्लाई का इंतजाम इस स्टेट में तीन-चौथाई ऐसा होगा जो बिलकुल नेशनलाइज्ड है और प्राइवेट सोर्सेज (साधनों) से नहीं है। सप्लाई कम्पनीज जैसा कि नारायण दत्त जी ने कहा मार्टिन ग्रुप की हैं और जब हाईड्रो-एलेक्ट्रक स्कीम (जल विद्युत योजना) जारी हुई थी उसी वक्त इनको लाइसेंस दिया गया था। उस वक्त इस बात की तलाश हुई कि बिजली बाँटने का इंतजाम किसको दया जाय, जेनरेशन (उत्पादन) तो उस बिजली का भी गवर्नमेंट के पास है और सरकार खुद ही इसको तैयार कराती है। लेकिन चन्द जगहों पर कम्पनीज को ठेका दे दिया गया कि तुम इन जगहों पर बिजली तकसीम करो। इस वक्त इस हाउस में उसके खिलाफ एक एडजर्नमेंट मोशन (कार्यस्थगन प्रस्ताव) भी आया था मार्टिन कंपनी के मुताल्लिक। उस पर मुबाहिसा हुआ। मैंने भी उसमें कुछ कहा था जिसका रेकार्ड मौजूद है। तो उस कम्पनी को शुरू से ही यहाँ के लोगों ने फेवर की नजर से नहीं देखा। लेकिन चूंकि उनसे मुआहिदे हो गये थे और जब तक उनकी मियादें हैं उस वक्त तक उनको कानूनी हक हासिल है। जहाँ तक इस

दौरान में उनके ऊपर निगरानी रखने का सवाल है उसके मुताल्लिक मैंने अर्ज किया ही है कि प्राविंशियल बोर्ड बनेंगे जो उनकी निगरानी करेंगे। इस वक्त जो हालत है उससे मैं अन्दाजा करता हूं कि जो कुछ इंतजाम इस वक्त है वह काफी है। बिजली एक ऐसी चीज है कि उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आगे आने वाले टाइम में नेशनलाइज हो जाना है। तो उस पर मेरे नजदीक कुछ इत्मीनान रखना चाहिये। हमारे दोस्त केशव साहब ने एक जगह के मुताल्लिक कहा मगर वे बावजूद हाउस में मौजूद होने के ठीक नहीं सुन पाये पूरा हिसाब यहाँ सुनाया गया था। इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की एक्सटेंशन के मुताल्लिक जब मुझे यहाँ कुछ कहने का मौका हुआ था तो उस वक्त मैंने इसके मुताल्लिक पढ़कर सुनाया था।

हमारे दोस्त नारायण दत्त जी ने यह बात ठीक कही कि कामर्शल कनसर्न्स में से कानपुर की बिजली को लेकर सरकार ने चलाया। मैं अर्ज करता हूं कि जिस तरह से वह कामयाब हुआ है वह सबूत है इस बात का कि हम ऐसी चीजों को कहाँ तक नेशनलाइज कर सकते हैं और कामयाबी के साथ चला सकते हैं। मैं उसमें से दो-तीन बातें अपने दोस्त को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इतना खर्चा हुआ मगर उन्हें यह नहीं मालूम है कि यह खर्चा काहे में हुआ। यह पावर हाउस पहले सितम्बर सन् १९४७ में जब हमने इसे लिया, ३०,०००किलोवाट बिजली पैदा करता था और आज वह ३७,००० किलोवाट है। जिस वक्त हमने लिया है उस वक्त उसके कनज्यूमर्स (उपभोक्ताओं) की तादाद १४,००० थी और अब वह २४,००० हो गयी है। कनेक्टेड लोड उसका पहले ६८,००० किलोवाट था, आज ९३,८५० किलोवाट हो गया है। सन् १९४९ में उसका पूरा खर्चा ७३ लाख ७८ हजार रुपये था और उससे ग्रौस रेवेन्यू (आय) ९७ लाख ३५ हजार थी। सन् १९५२ में खर्चा ८३ लाख है और रेवेन्यू है १ करोड़ २९ लाख रुपया। इससे अन्दाजा मिलता है कि आमदनी कहाँ से कहाँ पहुंच गयी है, जैनेरेशन कहाँ से कहाँ गया और जो खर्चा हुआ है उसके हिसाब से जितनी तरक्की होनी चाहिये थी वह हुई या नहीं।

जो करोड़ों रुपये का खर्च मेरे दोस्त ने फरमाया है उसके अन्दर इन्स्टैलेशन्स (मशीनें लगाना) का खर्चा भी शामिल है। १५ हजार किलोवाट बिजली का जहाँ उत्पादन है उसका भी सारा का सारा खर्चा इसमें शामिल है। इसमें एक्सटेंशन की और भी चीजें शामिल हैं। उसमें जेनरेशन भी बढ़ा है, आमदनी भी बढ़ी है, कन्ज्यूमर्स भी बढ़े हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--समय कम होने के कारण कोई विशेष बात तो मैं नहीं कहूंगा मगर फिर भी जो माननीय मंत्री जी ने एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के बारे में हवाला दिया तो कम से कम इतना तो वह जरूर मानेंगे कि ऐक्ट की धाराओं को लागू करने में कुछ न कुछ ढील जरूर हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना या नहीं। अच्छा बोर्ड अभी तक नहीं बना है और इस ऐक्ट को पास हुए तीन साल से ऊपर हो गये, लेकिन बोर्ड नहीं है। इसी से पता चलता है कि कहाँ तक ऐक्ट की धाराओं का पालन हुआ है। फाइनेंसेज़ के कंट्रोल करने के लिये कमेटी नहीं बनी है सिर्फ रेट्स कमेटीज़ ही बनी हुई है और वह काम कर रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि वह रेट्स पर ही मिलती होगी और जहाँ तक फाइनेंसेज़ का ताल्लुक है वह नहीं कर सकती। आडिट (लेखा परीक्षा) वगैरह नहीं होता है।

श्री मुहम्मद इब्राहीम--आडिट होता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इस ग्रांट का समय खत्म हो गया है और समय की कमी की वजह से यह जो कानपुर एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी के बारे में बातें आई हैं उनका सिलसिला आगे आने वाली ग्रांट में आवेगा। मैं समझता हूं कि यह कटौती का प्रस्ताव अपनी जगह पर कायम रहता है और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे इसको स्वीकार करें।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावित सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि "अनुदान संख्या २५--विद्युत् योजनाओं पर व्यय-लेखा शीषक ४१ के अन्तर्गत ९६,७३,७०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान सं० २६--लेखा शीर्षक ४१ और ८१--क--विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय

वित्त मन्त्री (श्री मुहम्मद इब्राहीम)--जनाब स्पीकर साहब, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६--लेखा शीर्षक ४१ और ८१--क--विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १६,०७,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

यह इन्हीं पावर हाउसेज (बिजली घरों) के खर्चे के बारे में है। उनका जो इस्टैब्लिशमेंट (स्थापना) है जिनके मुताल्लिक़ अभी बहस हुई है, जो स्टाफ है, जो उनके मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहें इसके अन्दर शामिल है और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य योजनाओं पर वादविवाद करना तथा सुझाव देना है।

आदरणीय स्पीकर महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो यहां पर अनुदान प्रस्तुत किया है इसके संबंध में मैं यह चाहता तो नहीं था कि इन विकास की योजनाओं पर कोई कमी का प्रस्ताव उपस्थित किया जाय, लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी उनकी योजनाओं की जो कमियां और खामियां हैं उनको सर्वदा छिपाने की कोशिश करते हैं, इसलिये मुझे बाध्य होकर इस कटौती के प्रस्ताव को उपस्थित करना पड़ा है। कानपुर में सरकार ने बिजली का नेशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) किया और उसके बाद मिर्जापुर में बिजली के कारखाने को खोलने के लिये, जहां तक मुझे मालूम है, किसी अमरीकन कंपनी को ठेका दिया।

श्री मुहम्मद इब्राहीम---मैं जनाब स्पीकर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त जो अनुदान जेरे गौर है उससे यह बहस बिलकुल गैर मुताल्लिक़ है। अगर वे ऐसी बहस करना चाहते हैं तो वह आगे चल कर हो सकती है, लेकिन इस वक्त वह बिलकुल अनयूजुअल (प्रथा के प्रतिकूल) है और उसके खिलाफ है जो क़ायदा अभी तक इस हाउस में रहा है। यह अनुदान उन आदमियों की तनख्वाह के मुताल्लिक़ है जो पावर हाउसेज में काम करते हैं। नेशनलाइजेशन के सवाल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है।

अध्यक्ष---कानपुर और आजमगढ़ में जो सरकारी नौकर हैं यह अनुदान उनकी तनख्वाहों से संबंधित है, अगर आप उनके संबंध में कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री राजनारायण---आदरणीय स्पीकर महोदय, वित्त मंत्री जी का आशय तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन अनुदान संख्या २६ में लिखा हुआ है "विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय" जब विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय है तो स्थापना कहां हो और कितने व्यय से हो? यह भी सवाल उठाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं जो कह रहा

हूं वह विषय के अन्दर है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि इन योजनाओं की स्थापना की स्कीम्स सरकार की थीं। ऐसी एक स्कीम सरकार की मिर्जापुर में थी। एक अमरीकन कम्पनी को इस योजना के चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नहीं मालूम अभी तक वह योजना क्यों कार्यान्वित नहीं की गई।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य इस बात का ख्याल रखें कि इससे पहिले जो अनुदान पास हो चुका है उसमें इस प्रकार की चीज रखी गई थी, लेकिन इस अनुदान में केवल हिसाब दिखाया गया है जिसमें केवल क़रीब क़रीब इंतजाम का ही सवाल है। नेशनलाइजेशन (राष्ट्रीय-करण) एक उसूल का सवाल है। इसलिये मैं समझता हूं कि उसका ज्यादा विस्तार न किया जाय। जो आम बहस के और भी अनुदान हैं उनके सिलसिले में वह बहस आ सकती है उनके साथ आप इसका भी जिक्र कर सकते हैं। कृपा करके इस समय बहस को सीमित रखिये।

श्री राजनारायण--आदरणीय स्पीकर महोदय, मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है जब माननीय वित्त मंत्री की ओर से यह कहा जाता है कि कानपुर और मिर्जापुर के बारे में फलां अनुदान में जिक्र है फिर जब विद्युत् योजनाओं पर बोला जाता है तो कहा जाता है इस वजह से यहां कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब ४७ नम्बर की ग्रांट आयेगी तो कह दिया जायगा कि यहां भी आप यह बहस नहीं कर सकते। अगर हमारा कुछ कहना जायज ही नहीं तो फिर मेरा बोलना ही बेकार है। इससे अच्छा हो कि.....

अध्यक्ष--सावधान! मैं रूलिंग इस बारे में दे चुका हूं। जो असंगत बात होगी उसकी इजाजत मैं नहीं दे सकता। इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने विचार प्रकट न करें। जिस बात का संबंध जिस अनुदान से होगा उस बात पर उसी अनुदान में विचार हो सकेगा। इस चीज पर इससे पहिले के अनुदान में कुछ विचार किया गया था, लेकिन यहां पर इस्टैब्लिशमेंट (स्थापना) का सवाल है। आप इस्टैब्लिशमेंट पर बोलने के बजाय अपने सिद्धान्तों को इस वक्त भी लाने का प्रयत्न करें तो मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा। तो इसके बाद आप बोलना चाहें तो अपना भाषण जारी रखें, नहीं तो अपने स्थान पर शोभा दें तो अच्छा है।

श्री राजनारायण--तो जैसा कि स्पीकर महोदय ने कहा, मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि जब अनुदान संख्या ४७ आयगा तो उस समय मुझे इस समय का भी पूरा समय दिया जायगा क्योंकि ऐसी स्कीम पर पूर्ण रूप से डिबेट (विवाद) होना चाहिये। आदरणीय स्पीकर महोदय के जरिये मैं वित्त मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने एक विकास समिति बनायी है जो सारी विकास योजना केन्द्रीय सरकार के सामने रखेगी। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी भी उस समिति के साथ जायं। सन् १९४७ में सरकार ने कानपुर की बिजली कम्पनी को बिजली का काम बढ़ाने के लिये अपने हाथ में लिया। जहां तक मुझे मालूम है पार साल इस सदन में, कानपुर के कारखाने में जितनी गड़बड़ियां हुई हैं, उन पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। अभी हमारे सामने एक ट्रिब्यूनल का फैसला है। आदरणीय स्पीकर महोदय, वित्त मंत्री जी समझते हैं कि यह फैसला प्रान्तीय सरकार की नीति में और जन हित में नहीं है। जो काम नहीं करना है उसे केन्द्रीय सरकार की बात कह कर छिपायें तो उसे हम समझ सकते हैं, अपीलेट कोर्ट जो फैसला करती है उसे केन्द्रीय सरकार नहीं लागू करती बल्कि प्रान्तीय सरकार लागू करती है। फिर प्रान्तीय सरकार यह कहे कि अपीलेट कोर्ट फैसले को हम इसलिये नहीं लागू करते हैं कि इससे इस समय सरकार की जो योजनायें चल रही हैं वे कुंठित हो जायंगी, आजमगढ़ में जो योजना चल रही है वह कुंठित हो जायगी, बनारस में जो योजना चलने वाली है वह कुंठित हो जायगी और उत्तर प्रदेश के जिन जिन जिलों में बिजली योजना चलने वाली हैं वे कुंठित हो जायंगी। आदरणीय स्पीकर महोदय, यह एक बड़ा ही व्यापक प्रश्न है। शायद हमारी सरकार के मस्तिष्क में राष्ट्रीयकरण और सरकारी-करण एक ही बात मालूम होती है। जब राष्ट्रीयकरण और सरकारीकरण एक में मिल जाते हैं तो इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सम्बन्ध

[श्री राजन रायण]

में जो फैसला किया है उसे मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। "इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्रान्तीय सरकार निम्नलिखित कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि लोक हित में इस निर्णय को--अपीलेट कोर्ट के फैसले को, पूर्णतः लागू करना अनुचित है। आदरणीय स्पीकर महोदय, क्या वित्त मंत्री जी यह बतला सकते हैं कि अपीलेट कोर्ट के फैसले को कार्यान्वित किया जायगा तो वह लोकहित के लिये कैसे अनुचित होगा? राष्ट्रीयकरण के माने यह होते हैं कि प्रोडक्शन (उत्पादन) सरकार के हाथ में, जनहित, में आ जाय। आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं निहायत अदब के साथ वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि वे हिटलर की राष्ट्रीयकरण वाली नीति पर न चलें। इसकी वजह से बड़ी गड़बड़ी होती है। कानपुर में भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। जब कारखाने वालों को मालूम हुआ कि सरकार इस योजना को अपने हाथ में लेने जा रही है तब उन लोगों ने मशीनों में गड़बड़ी पैदा करनी शुरू कर दी, बहुत सी मशीनें खराब कर दीं और यह बात माननीय वित्त मंत्री जी को भी मालूम होगी ही। तो मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि इस तरह से मशीनों के खराब होने से पैसे का, अर्थ का, बहुत नुक़सान था। इसलिये मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब अनुदान नं० ४७ आवे तब उस पर व्यापक, विस्तृत विवेचना हो ताकि सारे सवाल सदन के सामने आ जायं।

श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)--माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ बिजली के वितरण का जहाँ तक प्रश्न है उसमें एक बहुत बड़ा असंतुलन पाया जा रहा है। आजकल हमारी सरकार यह दावा करती है कि हमारे देश का विकास, किसानवादी विकास, होना चाहिए, खेती के संबंध में विकास होना चाहिए। हमारी सरकार किसान और मजदूर की दुहाई हर जगह देती है। लेकिन जब हम विद्युत् योजना और विद्युत् के वितरण पर विचार करते हैं तब हमारी समझ में यह आता है कि बिजली के वितरण से जो फायदा है वह सिर्फ शहरों तक महदूद है। इस स्कीम से या बिजली की योजना से १५ फीसदी जो शहरों में आबादी बसती है सिर्फ उसी के आराम और आसाइश के लिये बिजली दी जाती है और देहात के जो किसान और मजदूर हैं, जो खेती के विकास में लगे हुए हैं, जिनसे हमारे देश की रोजी चलती है, उनको बिजली से कोई फायदा नहीं है। यह असंतुलित वितरण बहुत खटकने वाला है। शहरों के आदमी जो दिन ब दिन आराम तलब होते जाते हैं बिजली से, वे यही रात दिन सोचते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन को और भी आरामतलब बना लें जिसमें किसानों और मजदूरों के लिए, खेती के विकास के लिए, कोई बचाव न हो सके। तो हमारी सरकार को देखना चाहिए कि बिजली का जितना विकास है वह बजाय शहरों के देहात की तरफ बढ़ाया जाय, या इसके अलावा जहाँ जहाँ बिजली की योजना इस वक्त मौजूद है या भविष्य में होने जा रही है उसमें मैं तो यह समझता हूं कि शहरों के लिए बहुत ही या बिलकुल ही कम बिजली कर दी जाय। क्या जरूरत है कि शहरों में बिजली इतनी ज्यादा दी जाय कि वहाँ के आदमियों की आरामतलबी की बाबत सोचा जाय और गांव के किसान जो कि हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, उनकी तरफ हम कतयी न सोचें? तो न्याय ऐसा कहता है कि बिजली की जितनी शक्ति है या सम्पूर्ण योजना है बजाय इसके कि शहरी जीवन को हम ज्यादा आरामतलब बनाएं वह पूर्णतया खेती के विकास में लगायी जानी चाहिए जिससे वास्तव में देश का लाभ हो सकता है। हमारे देश की ८५ फीसदी आबादी देहात में बसती है और शहरों में केवल १५ फीसदी आबादी है। तो ८५ फीसदी आबादी का, विशेषकर गरीब लोगों की आबादी का, हमें ध्यान रखना है क्योंकि इन गरीब लोगों का एक तो स्तर ऊंचा होगा। उसके साथ ही साथ उनमें एक कल्चरल (सांस्कृतिक) विकास होगा। ये सब विकास जो होंगे ये हमारे देश की उन्नति में सहायक होंगे। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जहाँ सरकार १५ फीसदी आबादी की आरामतलबी की बाबत सोचती है वहाँ पर ८५ फीसदी आबादी की तरफ वह ध्यान दे।

दूसरी चीज यह है कि बिजली के वितरण में बड़ा पक्षपात हो रहा है। वह पक्षपात दो तरह का हो रहा है--एक तो राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से पक्षपात हो रहा है। अगर इसके ऊपर खोज की जाय तो हमारी जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनमें जो राजसत्ता से सम्बद्ध पार्टी है उसके सिफारिशी लोगों को बिजली ज्यादातर मिल सकती है। कारोबार के संबंध में यदि सच्चे हिसाब से देखा जाय तो या तो राजसत्ता सम्बद्ध लोगों को या वह, जिनकी सिफारिश करते हैं, उन्हीं को बिजली ज्यादा मिलती है। तो एक तो पक्षपात यह है। दूसरी तरह का पक्षपात यह है कि ज्यादातर बिजली ऊंची जात के लोगों को कारोबार के सिलसिले में मिलती है। तीसरी बात यह है कि यह बिजली पूंजीवादी लोगों के हाथ में ज्यादा है, जिनके हाथ में रुपया-पैसा है उनके पास ज्यादा है।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य विषय से आगे बढ़ रहे हैं। असंगत सा हो रहा है। वह पूंजीवादियों के हाथ में नहीं हैं, जिसका जिक्र इस अनुदान में है। यह सरकार के हाथ में है।

श्री वंशीदास धनगर--मेरे कहने का मतलब यह है कि उनकी पहुंच सरकार तक भी बहुत आसानी से हो जाती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान जिला कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन और आजमगढ़ बिजली सप्लाई कारोबार के कर्मचारियों के वेतन की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सभी अगर देखें तो जब पिछले साल अधिकारियों का वेतन १ लाख ७३ हजार रुपया था तो कर्मचारियों का वेतन १ लाख, ७२ हजार था। अगर वास्तविक रूप से देखा जाय तो १,५० हजार अधिकारियों का वेतन था, लेकिन जब दोहराया हुआ तखमीना आया तो १,७३ हजार हो गया और कर्मचारियों का उतना ही रहा। तो इस बात का पूरा पूरा अन्देशा है कि इस साल भी जो यह बजट का तखमीना है वह १,४५ हजार का लगाया गया है, वह सरकारी अधिकारियों का तो बढ़ जायगा, लेकिन कर्मचारियों का वैसा ही रहेगा। जहाँ तक बोनस का सवाल है मैं समझता हूं कि कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) से सरकार को जितनी आमदनी होती है उसके अनुपात से कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया है। आप सभी यह देखेंगे कि १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ में साढ़े तीन लाख रुपया बोनस और प्रावीडेंट फंड मिलाकर कर दिया गया है और किसी प्रकार का बढ़ती नहीं हुई। इसके साथ ही जबकि कानपुर में बोनस और प्रावीडेंट फंड की सहूलियत दी गयी है, इस बात को देखकर सभी माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा कि आजमगढ़ बिजली सप्लाई कारोबार में बोनस का आइटम (मद) तो लिखा है, लेकिन सब शून्य है, बोनस और प्रावीडेंट फंड का पता नहीं। तो सरकारी अधीनता में ही जो दो प्रशासन हैं उनमें भी इस तरह की खामी शोभा नहीं देती। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार कानपुर में बोनस और प्रावीडेंट फंड की सहूलियत है उसी प्रकार आजमगढ़ और बनारस और दूसरी जगह जहाँ सरकार का नियंत्रण है वहाँ इस प्रकार की आज्ञा जारी करें कि वहाँ बोनस और प्रावीडेंट फंड की सहूलियत हो।

श्री खूब सिंह (जिला बिजनौर)--अध्यक्ष महोदय, श्री राजनारायण जी ने जो कटौती का प्रस्ताव इस अनुदान के सम्बन्ध में इस भवन में उपस्थित किया है मैं उसकी मुखालिफत करने के वास्ते खड़ा हुआ हूं। यह बात बड़े खेद की है और बड़ी दुःखजनक है कि अपोजीशन पार्टी (विरोधी दल) के लीडर (नेता) जो इत्तिफाक से सोशलिस्ट पार्टी के भी लीडर हैं, तीन मर्तबा मंत्री महोदय ने उनका ध्यान रेलिवेंसी (संगति) की तरफ दिलाया, बावजूद इस ध्यान दिलाये जाने कि वे इस भवन के मेम्बरों के सामने इसका प्रदर्शन नहीं कर पाये कि वाकई तौर पर उनका कटमोशन क्या है। ऐसा होते हुये जब इस कट मोशन की सही रूप-रेखा हमारे सामने नहीं है, तब फिर वह कट मोशन कोई खास अहमियत नहीं रखता है। इस सिलसिले में जब वे फेल हुये तो उनकी इमदाद के वास्ते डिप्टी लीडर साहब तशरीफ लाये। उन्होंने भी इस बात की कोशिश की कि जहाँ तक इस कटौती के प्रस्ताव का सम्बन्ध है इसकी रेलिवेंसी (संगति)

[श्री खूब सिंह]

को इस भवन के सामने थोड़ा बहुत इस्टैब्लिश (स्थापित) कर दें। अध्यक्ष महोदय, यह तो खैर वे जानें। उनका कर्त्तव्य शायद बोलने का है और वे बोलते हैं। कटौती के प्रस्ताव को पेश करने का उनको हक है और वे कर सकते हैं।

जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं यह कह देना चाहता हूं आप के सामने और इस भवन के सामने कि गवर्नमेंट ने जिस खूबसूरती से इन दोनों बिजली की कम्पनियों के काम को संभाला है वह क़ाबिल तारीफ है और मैं इसके लिये इस सरकार को धन्यवाद देता हूं। पहले कानपुर के पावर हाउस (बिजली घर) में इन्तजाम अच्छा नहीं था, वहाँ पर काफी गड़बड़ियाँ थीं। जो वहाँ के कर्मचारी थे उनमें काफी असंतोष रहता था और इसका नतीजा होता था कि जितनी बिजली पैदा हो सकती थी उतनी पैदा नहीं होती थी और उसका वितरण भी अच्छी तरह से नहीं होता था। परन्तु नये इन्तजाम में आने के बाद, जिसका श्रेय हमारे मौजूदा वित्त मंत्री जी को है, उस पावर हाउस में कई नुक्ते निगाह से तरक्की हुई, नये प्लाँट्स लगाये गये और उसकी बिजली पैदा करने की ताकत को बढ़ाया गया। और कई बातें हैं जिनका कोई ताल्लुक़ इस अनुदान से नहीं है, इसलिये मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ के जो मजदूर हैं, जहाँ तक उनकी तनख्वाह का ताल्लुक़ है, जहाँ तक उनको सन्तुष्ट रखने का ताल्लुक़ है, जहाँ तक उनसे काम लेने का ताल्लुक़ है, हमें इस बात का गर्व है और हमें इस बात पर संतोष है कि हमारी गवर्नमेंट की प्रेरणा से वे लोग संतुष्ट हैं। सब लोग अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं और उसके नतीजे के तौर पर हम उनकी मेहनत का अच्छा फायदा उठाते हैं। वहाँ पावर अच्छी पैदा की जाती है और उसका इन्तजाम अच्छा होता है। इसलिये मैं गवर्नमेंट को इस सिलसिले में बधाई देना चाहता हूं। जिन साहब की तरफ से यह कट मोशन पेश किया गया है उनको मैं यह सलाह देना चाहता हूं कि जब भी आइन्दा और अनुदानों के सिलसिले में वे अपने कट मोशन्स पेश करें तो ज़रा सोच समझ करके और स्टडी (अध्ययन) करके पेश करें, तो बेहतर होगा।

श्री मुहम्मद इब्राहीम---जनाब वाला, मैं चूंकि यह अर्ज कर चुका था कि इस क़िस्म की कोई बहस इस अनुदान के मातहत नहीं होनी चाहिये क्योंकि उसके लिये आगे मौका है, इसलिये मैं उस बात का जवाब देना नहीं चाहता। इसके अलावा राजनारायण साहब ने जो बात ट्रिब्युनल के मुताल्लिक कही है मैं उसका जवाब अभी नहीं अगले मौके पर दे दूंगा और इस वक्त उसके ऊपर हाउस का वक्त नहीं लूंगा।

अध्यक्ष---माननीय राजनारायण जी कुछ कहना चाहते हैं या अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

श्री राजनारायण---जी नहीं, इस पर वोटिंग (मतदान) हो जाना चाहिये।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया, और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६---विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय (लेखा शीर्षक---४१ और ८१-क) के अन्तर्गत १६,०७,३०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७---लेखा शीर्षक ८१---क विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत

वित्त मन्त्री (श्री मुहम्मद इब्राहीम)---मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७---विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (लेखा शीर्षक ८१-क) के अन्तर्गत ७९,६७,००० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

ये जो दो सरकारी पावर हाउसेज़ (बिजली घर) एक कानपुर में और एक आजमगढ़ में हैं उनके ऊपर लोन (ऋण) से खर्च होने वाला जो रुपया है उसके मुताल्लिक यह माँग है।

मैं अभी जब पहले अर्ज़ कर रहा था तो उस वक्त मैंने यह बतलाया था कि कानपुर पावर हाउस खरीदारी के वक्त ३० हज़ार और अब ३६,३७ हज़ार किलोवाट्स बिजली पैदा करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी जरूरत समझी कि यहाँ पर और जनरेशन (उत्पादन) का इन्तज़ाम किया जाय। चुनांचे एक स्कीम वहाँ पर १५ हज़ार किलोवाट्स का जनरेशन बढ़ाने के लिये शुरू की गयी और इस वक्त जो रक़म इस ग्रांट में माँगी गयी है उसमें इस १५ हज़ार किलोवाट के बढ़ने का जो खर्चा है वह शामिल है। चूंकि इस पावर हाउस से शहर के अन्दर ही बिजली दी जाती है तो यह १५ हज़ार किलोवाट बढ़ने के बाद इसकी भी जरूरत होगी कि यह शहर के अन्दर तक़सीम हो। तो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में और बिजली पहुंचेगी और वहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन (संचारक तार) बिछेगी। उस सब का खर्चा भी इसके अन्दर शामिल है।

इसके अलावा १५ हज़ार रुपये आज़मगढ़ के लिये है और वह इस वजह से कि वहाँ जो प्लाँट था वह एक बहुत ही पुराना प्लाँट था उसको लेकर और बहुत ठीक करके और उसमें कुछ नयी चीज़ें लगा कर काम किया जा रहा है और इस वक्त वहाँ गालिबन १९ घंटे की सप्लाई है बजाय २४ घंटे के। तो हमने यह चाहा है कि आज़मगढ़ में भी २४ घंटे की सप्लाई पूरी कर दी जाय और उसमें एक और मशीन लगा दी जाय। तो उस मशीन के लगाने के वास्ते बजट में खर्च रखा गया है। ये दो खर्च इस अनुदान के अन्दर हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

आदरणीय स्पीकर महोदय, चूंकि आपने इसके पहले ही आदेश दे दिया था कि जनरल टाइप (सामान्य प्रकार) का कुछ डिस्कशन (चर्चा) इस अनुदान के ऊपर हो सकता है। इसलिये आपके आदेशानुसार ही मैं वित्त मंत्री से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि मिर्ज़ापुर.....

श्री मुहम्मद इब्राहीम--मैंने कई दफा बतलाया है कि इन सब बातों के लिये मौका है और आगे आ रहा है। उसके लिये सवा दो घंटे का वक्त है.....

अध्यक्ष--अब सवा दो घंटे के बजाय इस अनुदान के समय में से जो समय बचेगा वह सब दूसरे में शामिल कर दिया जायगा। उस वक्त आप उस दूसरे अनुदान में काफी बोल सकेंगे।

श्री राजनारायण--ठीक है। मैं वित्त मंत्री जी का आशय समझ गया और अब मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। सब जगह तो आपने कानपुर और आज़मगढ़ रख दिया है, इसीलिये हमारी तरफ से यह रखा गया था कि इन तीन को एक में शामिल कर दिया जाय। खैर, मैं बैठता हूं और इसमें कुछ नहीं कहता हूं।

अध्यक्ष--आप क्या अपना प्रस्ताव पेश नहीं करते ?

श्री राजनारायण--आदरणीय स्पीकर महोदय, प्रस्ताव हमारा पेश है, लेकिन उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैज़ाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान में आजमगढ़ बिजली कम्पनी के संचालन की जो व्यवस्था की गई है उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह पावर हाउस (बिजली घर) सन् १९४८ में सरकार ने किसी प्राइवेट कम्पनी से लिया था, लेकिन तब से इस साल भी और पिछले साल भी दो अनुदानों में ५३ हजार और शायद ४० हजार रुपया खर्च किया गया और कुछ रुपया इस अनुदान में भी है। लेकिन १९४८ से लेकर जहां तक विद्युत् योजना की लागत का सवाल है इस पावर हाउस की कोई वृद्धि नहीं हुई है। मुझे ठीक पता नहीं है कि इस पावर हाउस से कितनी बिजली निकलती

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

है लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जब बिजली सारे शहर में जलती है तो रेडियो नहीं चलाये जा सकते हैं। अगर रेडियो चलाये जाते हैं या चक्की चलाई जाती है तो शहर में बिजली नहीं जल सकती है। यह सरकार की इस पावर हाउस के प्रति उपेक्षा है। इसलिये इस अनुदान की रकम नाकाफी है। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि इस रकम को काफी बढ़ा दिया जाय जिससे काफी संख्या में बिजली पैदा हो, जो आजमगढ़ के शहर और आस पास के गांवों के लिये उपयोगी हो।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले प्रस्ताव पर बोलने वाला था। जहां तक सरकारी योजना का ताल्लुक है और सरकार ने इस अनुदान में पैसा रखा है, उसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कि सरकार के अन्तर्गत इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी काम कर रही हैं परन्तु उनके लिये इसमें कोई स्थान नहीं रखा गया है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीतापुर इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी एक अदालत के जरिये से जिसका यह फैसला हो चुका है कि उसकी सुपीरियर प्रोपरायटर (उच्च स्वामी) गवर्नमेण्ट ही है उसके लिये सरकार को इस अनुदान में कुछ स्थान रखना चाहिये था। मैं यह कहना चाहता हूं कि सीतापुर बिजली कम्पनी की स्थिति साफ कर दी जाय कि जो कंट्रैक्टर्स (ठेकेदार) या मैनेजिंग एजेण्ट्स हैं उनका सरकार से ताल्लुक है। जिस वक्त वे अदालत में जाते हैं वहां ऐसे कागजात पेश करते हैं कि उनका कोई मालिकाना ताल्लुक नहीं है और कहते हैं कि सरकार से ताल्लुक है, और सरकार कहती है कि वह प्राइवेट कम्पनी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार स्थिति साफ कर दे कि वहां प्राइवेट कम्पनी काम कर रही है और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वर्ना जब जनता समझती है कि सरकार की जिम्मेदारी है और जनता में यह भ्रम फैला हुआ है और वह यह कहती है कि जब कानपुर और आजमगढ़ के लिये रकम रखी जाती है तब हमारे साथ यह स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट (विमाता का बर्ताव) क्यों किया जाता है और इस बिजली कम्पनी से जिसका सरकार से ताल्लुक है उसके लिये पैसा क्यों नहीं रखा जाता है।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सीतापुर इलैक्ट्रिक कम्पनी का क्या हाल है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री को बतला देना चाहता हूं कि वहां पर हर ४८ घंटे बाद ब्रेक डाउन होता है। सरकार के अधिकारी और इंसपैक्टर्स वहां गये और उन्होंने भी रिपोर्ट दी, बराबर रिप्रेजेंटेशन (प्रार्थनाएं) आये, जनता ने भी रिजोल्यूशन्स किये, प्रस्ताव भेजे और डेपूटेशन्स भेजे। इसके बाद भी अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया और इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट के ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाब से अर्ज करूंगा कि अगर यह तकरीर आगे भी करनी है और मैं समझता हूं कि करनी है इसलिये इसको इसी वक्त मुल्तवी कर दिया जाय। तकरीर का मौका अभी आ रहा है।

अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि भवन का काफी समय वह ले चुके हैं और तकरीर उन्होंने खत्म ही कर ली है, इसलिये उसे जारी रक्खें और शीघ्र समाप्त करें। उसका जवाब माननीय मंत्री जी इसी वक्त बाद में दे देंगे।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना--मैं यह सरकार से निवेदन कर रहा था कि सीतापुर के पावर हाउस में बड़ी इर्रेगुलेरिटीज हैं और वहां की मैनेजिंग कम्पनी अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। मैं समझता हूं कि अगर सरकार यह समझती है कि उसकी कुछ हद तक जिम्मेदारी उस पर भी है और जैसा कि डाक्युमेंट्स (लेख्यों) से जो कि अदालत में पेश हुए उनसे साबित होता है तो निश्चय ही यह सरकार जिम्मेदार है उस पावर स्टेशन को सही तौर पर चलाने के लिये। मैं समझता हूं कि सारा का सारा स्टाफ इस कदर इनएफिशियेंट (अयोग्य) है कि वे ब्रेक डाउन होने पर तीन तीन रोज तक बिजली सप्लाई नहीं कर सकते। इसलिये

सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि माननीय वित्त मंत्री पिछली बार सीतापुर तशरीफ ले गये थे और वहां नागरिकों का एक डेपुटेशन उनसे मिला तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि मार्टिन कम्पनी द्वारा सप्लाई का प्रबन्ध किया जा रहा है। एक ग्रिड बनाया जा रहा है और उसके अन्दर सीतापुर का पावर हाउस आता है और तब तक मार्टिन कम्पनी उस एलेक्ट्रिक सप्लाई को जारी रखेगी। लोगों के पूछने पर कि कब तक मार्टिन कम्पनी बिजली सप्लाई करने लगेगी उन्होंने यह आश्वासन दिया कि गालिबन जुलाई से आ जायगी। मैं देखता हूं कि लखनऊ से ट्रान्समिशन लाइन्स (संचारक तार) तो खिंच गई हैं लेकिन जो कानूनी कार्यवाही होनी चाहिये थी वह कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। अगर डी० सी० को ए० सी० से ट्रान्सफर (परिवर्तित) करना है तो उसके लिये दूसरे मेन्स लगाने पड़ेंगे और अगर ए० सी० को डी० सी० में कनवर्ट (परिवर्तित) करना है तो उसके लिये ट्रान्सफार्मर्स (रूपान्तर कारक) लगाने पड़ेंगे। मगर यह सब कुछ नहीं हुआ है। वित्त मंत्री जी ने जो एश्योरेंस (आश्वासन) सीतापुर के नागरिकों को दिया था उसको अगर पूरा करना है तो सरकार को इस पर गौर करना चाहिये। सीतापुर की जनता की फीलिंग (भावना) इस सम्बन्ध में बहुत स्ट्रांग (गहरी) है लेकिन यह सरकार उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। सेन एंड सान्याल जो वहां के मैनेजिंग एजेंट्स हैं उनका इन्तजाम बड़ा असंतोषजनक है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सीतापूर पावर हाउस के बारे में वह अपनी नीति साफ करें और शीघ्रातिशीघ्र कोई ऐसा कार्य करें जिससे जनता में कोई असन्तोष न बढ़े।

श्री मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला, जहां तक सीतापुर का ताल्लुक है उसकी बाबत एक बात तो मैं साफ तौर पर ऐवान में गवर्नमेन्ट की तरफ से तसलीम किये देता हूं कि वहां पर बिजली का जो इन्तजाम है वह बहुत खराब है। वहां की पब्लिक को यकीनन तकलीफ है। जो सप्लाई कम्पनी वहां हैं सन् १९४६ में जब यह गवर्नमेन्ट आई थी उसके आने से पहले उसका इन्तजाम हो चुका था जिसका हवाला कि मेरे दोस्त दे रहे हैं। सेन एन्ड सान्याल जो वहां काम करते हैं वह गवर्नमेन्ट के कोई एजेन्ट हैं या इंडिपेंडेंट लाइसेन्सी (स्वतंत्र लाइसेंसदार) हैं जैसे कि और जगहों पर लाइसेंसी होते हैं, उनकी पोजीशन (स्थिति) क्या है। मैं खुद अर्ज कर दूं साफ तौर पर कि कागजात और फाइल्स के बढ़ने के बावजूद भी पूरे तौर पर मैं नहीं समझ सका कि उनकी हैसियत क्या है। लेकिन जहां तक सीतापुर के लिये बिजली सप्लाई का ताल्लुक है जैसा कि अभी मेरे दोस्त ने जिक्र किया, हमने उस इन्तजाम को खत्म कर दिया इस मायने में कि लखनऊ में जो पावर हाउस (बिजलीघर) है उसमें बिजली बढ़ाई गई है और जो यह बिजली बढ़ाई गई है उसमें से गवर्नमेन्ट ने उनसे बिजली ली है और उस बिजली के लिये हमने एक नई लाइन बनाने की स्कीम रखी है जो सीतापुर, लखीमपुर और बिसवां तक जायगी। उस लाइन के जरिये से वहां बिजली ले जाई जायेगी जो यहां से हम उनको देंगे। वह मार्टिन कम्पनी का इन्तजाम है लेकिन वैसे गवर्नमेन्ट के मातहत ही वह सब काम हो रहा है। शारदा पावर हाउस जो सन् १९५३ या ५४ के शुरू में तैयार होगा यह लाइन उस पावर हाउस की लाइन से कनेक्ट (संयोजित) कर दी जायगी और वहां पर शारदा पावर हाउस की बिजली आजायगी और सीतापुर को मुस्तकिल तरीके पर बिजली मिल जायगी और उसके लिये यह इन्तजाम किया जा रहा है। जहां तक वहां की जनता के दुखी होने का ताल्लुक है जिसका उन्होंने हवाला दिया है वह सब सही है और मैंने इसको चाहा है कि इसका इन्तजाम होना चाहिये। अब यह इन्तजाम हुआ है और उनको मुस्तकिल तरीके पर बिजली मिल जायगी। मैंने यह नहीं कहा था कि जुलाई तक बिजली उनको मिल जायगी या तब तक काम शुरू हो जायगा। वह काम हो रहा है और उसमें कुछ अरसा लगेगा। सीतापुर के लोगों को तकलीफ हुई इसका मुझे अफसोस है और साथ ही दुख भी है। लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

थोड़े दिनों के बाद मुस्तकिल बिजली का इन्तजाम वहां पर हो जायगा और उनकी जो तकलीफ है वह रफा हो जायगी । इसलिये मैं समझता हूं कि सीतापुर के लिये जो इन्तजाम किया जा रहा है उससे उनको बिजली मिल जायगी ।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझको इस प्रकार की बात सुनकर आपत्ति होती है । मैं यह बतला देना चाहता हूं कि इस तरह की आपत्ति मुझको बार बार सदन में पेश करनी पड़े, यह उचित बात नहीं है । मिर्जापुर के बारे में कहा जाता है तो कह दिया जाता है कि कानपूर और आजमगढ़ में जो इन्तजाम हो रहा है उसके अन्दर मिर्जापुर नहीं आता है । यह तो वही बात है कि "मीठा मीठा गप और कड़ुवा कड़ुवा थू" । ऐसा मालूम होता है कि मिर्जापुर का जिक्र किया जाता है तो माननीय मंत्री जी को रंज होता है । इसलिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

अध्यक्ष--माननीय नेता विरोधी दल ने अभी एक प्रश्न उठाया । यह गलतफहमी उनको हो सकती है, क्योंकि मिर्जापुर और सीतापुर के सम्बन्ध में थोड़ा सा अन्तर है । मैंने इसलिये माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दी क्योंकि सीतापुर के विषय में जो उनकी शंका थी कि वह सरकारी है या गैरसरकारी है वह शंका दूर हो जाय । मैंने सोचा कि जब वह दो दफा वक्त ले चुके हैं और जब और अनुदान आयेगा तो उसमें भी यदि तिबारा हिस्सा ले लेंगे उससे अच्छा यह हो कि वह इसी समय उसको खत्म कर लें । यह भी माननीय वित्त मंत्री स्वयं कहते हैं वह इस बात को नहीं कह सकते हैं कि सीतापुर की बिजली सरकारी है या नहीं और उसकी क्या पोजीशन (स्थिति) है । ऐसी हालत में किसी माननीय सदस्य को यह भ्रम हो जाय कि यह सरकारी है तो उचित ही है और उसको उस पर बोलने का अधिकार हो सकता है । मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य का जो अधिकार है उस अधिकार को अगर वह इस्तेमाल करता है तो उसको रोकना उचित नहीं हालांकि उसका भाषण कुछ असंगत हो जाता था इसलिये इजाजत दी गई । यह ठीक नहीं है कि माननीय नेता विरोधी दल को इसलिये इजाजत नहीं दी गई कि उनकी प्रतिष्ठा कम है । माननीय सदस्य जानते हैं कि उनको मौका मिलता है और उनका यह अधिकार स्वीकार किया जाता है कि वह पहले बोलें और उनको मौका मिल भी जायगा क्योंकि जब कटौती का प्रस्ताव आवेगा तब वही बोलेंगे लेकिन माननीय हरिश्चन्द्र जी को मौका मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता और अगर वह इस कटौती के प्रस्ताव पर मौका ले लेते हैं तो मुझे उनका भी लिहाज करना पड़ता है । मैं समझता हूं कि राजनारायण जी अब अपने क्रोध को शान्त कर लेंगे और आगे फिर उनको बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री राजनारायण--जहां तक आप ने इजाजत दी उस पर मुझे कुछ आपत्ति नहीं है परन्तु वित्त मंत्री ने जो सफाई दी उनकी उस सफाई के बाद भी सफाई नहीं हुई । मेरा कहना यह है कि उन्होंने क्यों समय नष्ट किया । बाकी आपका इजाजत देना तो उचित ही था ।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तुत अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७ विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत (लेखा शीर्षक ८१-क) विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ७९,६७,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

(वित्त मंत्री) श्री मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३, राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई और जल विद्युत्

निर्माण कार्यों का सम्पादन--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों के निर्माण के अन्तर्गत ७, ५०,०३,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

इस मांग में ६ करोड़ ९ लाख ९२ हजार ५ सौ रुपया सिंचाई के काम के लिये और १ करोड़ ४० लाख ११ हजार १ सौ रुपया बिजली के काम के लिये है और यह वह खर्चा है जो लोन या कर्जे से होगा जिसको केपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजी व्यय) कहते हैं । जहां तक कि बिजली का ताल्लुक है मैं जनाब की इजाजत से हाउस का थोड़ा सा वक्त लूंगा। मेम्बरों को बहस शुरू करने से पहले कुछ बातें इस बारे में पहले से मालूम हो जानी जरूरी हैं, ताकि वह उन पर आलोचना या क्रिटिसिज्म कर सकें । इस स्टेट के अन्दर बहुत कुछ स्टेट खुद बिजली पैदा करती है और खुद ही उस को तकसीम भी करती है और जेनरेशन (उत्पादन) और डिस्ट्रिब्यूशन (वितरण) दोनों स्टेट के हाथ में है। गंगा ग्रिड का जहां तक ताल्लुक है, जो पावर हाउसेज गंगा नहर पर बने हैं या अब बनाये गये हैं उनको गंगा ग्रिड कहते हैं। उनमें जितनी बिजली बनती है उसमें से जो कस्बों या टाउन्स में जाती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिये तो कम्पनियों को बटवारे का लाइसेन्स दिया गया है, लेकिन जितने रूरल एरियाज (ग्राम्य क्षेत्र) हैं उनमें जितनी बिजली सप्लाई होती है वह हाईड्रो एलेक्ट्रिक (जल-विद्युत) डिपार्टमेंट की तरफ से ही डिस्ट्रीब्यूट (वितरित) होती है । किसी चक्की के चलाने के लिये या किसी और काम के लिये बिजली लेनी होगी तो वह उसे डाइरेक्ट (सीधी) गवर्नमेंट से मिलेगी, किसी लाइसेंसी (लाइसेंसदार) से नहीं मिलेगी। जहाँ तक पैदा करने का ताल्लुक है, वे तमाम सरकारी पावर हाउसेज हैं और उनसे वह बिजली बनती है । उसके अलावा लाइसेंसीज हैं, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, आगरा, झांसी वगैरह में बिजली सप्लाई कम्पनीज हैं, जिनको पिछले जमाने में उस वक्त के कानून के मातहत अच्छी लम्बी-लम्बी ३०-३० और ५०-५० बरस की या इससे भी ज्यादा अर्से की मियाद के लिये उस गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिये हैं, इसलिये कि वे वहाँ बिजली बनावें और तकसीम भी करें, जैसा कि लखनऊ में है। इसके अलावा फैजाबाद के लिये सरकारी पावर हाउस सोहावल में है । वह गंगा ग्रिड का पार्ट है अगर्चे उस एरिया से बाहर है । इन्तजाम में वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट (जल-विद्युत विभाग) के मातहत है । इस माँग में सोहावल पावर हाउस के लिये भी रकम रखी गई है । उसकी जो नई पोजीशन (स्थिति) है वह भी मैं अर्ज कर दूं । ग्रिड एरियाज का जितना डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) है वह गवर्नमेंट के पास है । आजमगढ़ की बाबत आप काफी सुन चुके हैं । वहाँ का पावर हाउस गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट ही वहाँ तकसीम भी करती है । हमारे सूबे का कुछ थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट की जनरेट की हुई बिजली नहीं है, बल्कि दूसरों की है । लेकिन उसके साथ अगर आप ५ साल वाले प्लान को देखें या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स बिजली पैदा करने की हैं उन्हें मुलाहिजा फरमावें तो आपको मालूम होगा कि जितना हिस्सा इस सूबे का वेस्टर्न (पश्चिमी) उत्तर प्रदेश के अलावा है उसके लिये बिजली का इन्तजाम गवर्नमेंट के हाथ में है । गवर्नमेंट ही वहाँ बिजली पैदा करेगी और वही देगी । मसलन् रिहंद डाम का जिक्र आता है । उसके लिये मैंने बजट स्पीच में अर्ज किया था कि १० लाख रुपया इस साल रखा गया है । वह डैम इन तमाम ईस्टर्न (पूर्वी) जिलों को बिजली देगा । वह बिजली सरकार की जैनरेट की हुई होगी । यह जो पूर्वी जिलों के लिये ट्यूब वैल बनाने की स्कीम है उनके लिये जो बिजली की जरूरत होगी उसके लिये जब तक रिहंद डाम बने तब तक उस बिजली की जरूरत को सोहावल का पावर स्टेशन पूरा करेगा। वहाँ ७,५०० हजार कीलोवाट बिजली के जनरेशन का इजाफा कर दिया जायगा और गोरखपुर के पावर हाउस में, जिसकी वजह से वहाँ १०० ट्यूबवेल चल रहे हैं, वहाँ १०,००० कीलोवाट का इजाफा करने जा रहे हैं । एक नया पावर हाउस १०,००० कीलोवाट का मऊ में बनने जा रहा है । यह आजमगढ़ जिले में एक मुकाम है । ये तीन जगहें ऐसी हैं जहाँ हम बिजली सरकारी पावर हाउसेज से

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

बनाने जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ बिजली रिहंद डैम से मिलेगी। वह खाली सरकारी होगी।

जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि कंपनियों के जरिये से बिजली दी जाय या नेशनलाईजेशन (राष्ट्रीयकरण) हो या न हो, इस सवाल की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं रहती, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त जिन लाइन्स पर काम कर रही है उसके असल मानी यही हो सकते हैं कि उसकी यह पालिसी नेशनलाइजेशन की रही है। हाँ, यह चीज जरूर बरदाश्त की जाती रही है कि जो इंतजाम पहिले से किसी प्राईवेट कम्पनी के हाथ में था वह रहने दिया जाय। एक तो इसलिये कि उनसे जो मुआहदा था उस मुआहदा के मातहत उनका वक्त बाकी है और दूसरी यह बात भी काबिले गौर है कि हमें तो इस वक्त पूरी स्टेट को बिजली देना है। अगर सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ही वह सब खर्चा किया जाता तो वह बहुत ज्यादा होता। इसलिये कुछ अपनी तरफ से ज्यादा खर्चा करके और कुछ दूसरे जरिये से खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने की कोशिश की गई है। सन् १९४६ में ग्रिड एरिया का जनरेशन (उत्पादन) ३४ हजार किलोवाट का था। यह उस वक्त था जब कि यह गवर्नमेंट आई। दूसरे कान र में जेनरेशन ३० हजार के करीब था। सुहावल पावर हाउस को भी शामिल किया जाय तो करीब १ लाख किलोवाट के बिजली का जनरेशन था। इसके अलावा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में जो ट्यूबवेल्स बने उनके लिये भी बिजली का इंतजाम किया गया। बनारस पावर हाउस का भी जिक्र किया गया। मेरा मतलब उस पावर हाउस से नहीं है जो बनारस स्टेट में बिजली सप्लाई करता है। मेरा मकसद बनारस की बनारस इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से है। उसमें भी हमने बिजली बढ़ाने पर जोर दिया और उसका नतीजा यह है कि बनारस में बिजली पर कंट्रोल नहीं है जो कि कमी की वजह से हुआ करता है। मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि हमसे कहा गया कि जौनपुर के लिये बनारस से बिजली ले ली जाय, लेकिन इसका जिक्र मैं बाद को करूंगा जब कि इसका जिक्र आयेगा। जब मैं इर्रीगेशन (सिंचाई) का जिक्र करूंगा तब मैं इस पोजीशन में हूंगा कि जौनपुर और बनारस का जिक्र करूं। उस वक्त मैं बताऊंगा कि बनारस की पोजीशन क्या है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की, अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मुहम्मद इब्राहीम--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब हम यहाँ से उठे थे तो उस वक्त मैं बिजली की योजनाओं के मुताल्लिक अर्ज कर रहा था और उसमें सोहावल पावर स्टेशन, गोरखपुर और मऊ के मुताल्लिक मैंने अर्ज किया था। और नतीजा उसका यह था कि फाइव इयर्स प्लान (पंच वर्षीय योजना) के मातहत जितनी बिजली बनेगी, वह सब गवर्नमेंट का जेनरेशन होगा इन पावर हाउसेज के जरिये से और रिहान्द डाम के जरिये से। तो इस रुपये में जो इस वक्त इस अनुदान के मातहत माँगा गया है, नहरों की स्कीम और ट्यूबवेल्स की स्कीम जो आबपाशी की हैं उनका खर्चा और बिजली का खर्चा शामिल है।

जहाँ तक इर्रीगेशन [सिंचाई] का ताल्लुक है, बजट स्पीच में यह अर्ज किया गया है कि गवर्नमेंट ने फूड (खाद्य) के मसले को यह समझ कर कि वह ऐसी बात है कि जिसको सब बातों के ऊपर प्रायरिटी (प्राथमिकता) होनी चाहिये, प्रायरिटी दी है और अब से पहले जो कुछ काम इर्रीगेशन का इस स्टेट में हुआ उसके जरिये से १३ लाख एकड़ आबपाशी अब तक बढ़ायी जा चुकी है। अब इन स्कीम्स के जरिये से जो खसूसियत के साथ इस स्टेट के पूर्वी जिलों में जारी होंगी उसमें तमाम जगहों के लिये आबपाशी का इन्तजाम होगा। पाँच साल का जो प्लान इस सूबे की गवर्नमेंट का है उसके अन्दर जहाँ तालीम के, मेडिकल डिपार्टमेंट के, इंडस्ट्रीज (उद्योग) डिपार्टमेंट के और और मुख्तलिफ जगहों के जो काम हैं, उनके लिये अगर रुपया रखा गया है वहाँ अधिकतर रुपया और पहले से बहुत ज्यादा रुपया आबपाशी और बिजली के लिये इसी गरज से रखा गया है। ये स्कीम्स बजट की किताब के अन्दर तफसील में लिखी हुई है कि वे कौन कौन सी योजनायें हैं

और स्कीम्स हैं जिनके ऊपर यह ६ करोड़ रुपया जो इर्रीगेशन के लिये है खर्च किया जायगा और बिजली की किन किन स्कीम्स पर खर्च किया जायगा।

जहाँ तक ५ साल की स्कीम का ताल्लुक है, जब कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का प्लान बनाने का इरादा भी जाहिर नहीं हुआ था उस वक्त हमारी स्टेट ने एक इर्रीगेशन प्लान (सिंचाई योजना) और पावर प्लान (शक्ति योजना) १५ साल के वास्ते इस स्टेट के लिये अपने यहाँ तैयार कराया था। उसका एक तिहाई हिस्सा यानी ५ साल की प्लान में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अपने प्लान में शामिल कर लिया है और वह वही प्लान है जिसके मुताल्लिक इस ऐवान में पहले मैं अर्ज कर चुका हूं कि हमको ९२ करोड़ रुपये की जरूरत है और यह रुपया जो ६ करोड़ जायद इस आबपाशी स्कीम के लिये माँगा गया है यह उसी ९२ करोड़ का एक जुज है जो इस बजट के अन्दर शामिल है। इर्रीगेशन की जरूरत और उसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं हो सकता है और जो कुछ जनरल बजट पर डिस्कशन (चर्चा) हुआ उससे भी हर शख्स को सफाई के साथ यह अन्दाजा होता है कि हममें से हर शख्स को, जितने भी इस ऐवान के मेम्बर हैं, इस बात से इत्तिफाक है। इर्रीगेशन के ऊपर हमको काफी तौर से रुपया खर्च करना चाहिये और जिस कदर रकम ज्यादा से ज्यादा अगले सालों के लिये दी जा सकती है। तो पावर प्लान और इर्रीगेशन प्लान दोनों के ऊपर ही वह रुपया खत्म है जो इस अनुदान के जरिये से माँगा गया है। उसकी अहमियत को देखते हुये मैं समझता हूं इस सदन के सभी सदस्य इस बात को जरूरी समझेंगे और इस रकम को मंजूर करेंगे। उसके बाद जो बातें दरियाफ्त तलब हैं उनको अपने जवाब में तमाम पोजीशन को जिसे साफ करना होगा उनको साफ कर दिया जायगा। इतना गुजारिश करते हुये मैं इस बात को खत्म करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि यह हाउस इस माँग को बहुत खुशदिली से मंजूर करेगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कटौती के प्रस्ताव को श्री राजनारायण जी मूव करेंगे और मैं यह चाहता हूं कि बाद को मुझे भी समय दिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)––मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो वित्त मन्त्री ने हमारे सामने यह अनुदान उपस्थित किया है उस पर हमें यह निवेदन करना है कि जिस नीति पर सरकार अपनी विद्युत् विकास योजनाओं को चला रही है उससे काम चलने वाला नहीं है। हमारे वित्त मन्त्री ने भी बताया कि १९४८ के ऐक्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकार की गतिविधि में कुछ बाधायें उपस्थित की हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि उत्तर प्रदेश जो सारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है उसकी सरकार अगर कोई निश्चित योजना बनाकर चले तो केन्द्रीय सरकार इसके रास्ते में बाधक नहीं हो सकती बावजूद सन् १९४८ के ऐक्ट के और इसीलिये मैंने पहले निवेदन कर दिया था कि विरोधी पार्टी की ओर से, सोशलिस्ट पार्टी की ओर से, हमारे उत्तर प्रदेश के विकास की जितनी योजनायें हैं केन्द्रीय सरकार से जो बाधायें उसकी ओर से आती हैं उनको दूर करने के लिये हमारा डेपुटेशन मिलना चाहता है। हमें आशा है कि हमारे वित्त मन्त्री भी हमारे डेपूटेशन में हमारे साथ चलेंगे। मगर जहाँ तक प्रान्तीय सरकार को काम करने का अधिकार कानूनन प्राप्त है वहाँ अगर प्रान्तीय सरकार काम नहीं करती है तो मुझे अफसोस होता है।

मैंने पहले जिक्र किया था कि मथुरा बिजली कम्पनी के मामले में जब अपीलेंट कोर्ट ने एक फैसला दिया तो उस फैसले को प्रान्तीय सरकार ने कार्यान्वित नहीं किया। वह मामला प्रान्तीय सरकार का था, केन्द्रीय सरकार का नहीं। उसको भी प्रान्तीय सरकार ने कार्यान्वित नहीं किया। जब पूछा गया तो यह जवाब दिया गया कि प्रान्तीय सरकार ने लोक हित को दृष्टि में रखते हुये ऐसा किया है, इसलिये वह फैसला कार्यान्वित नहीं किया जायगा। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय के जरिये निहायत अदब के साथ अपने वित्त

[श्री राजनारायण]

मन्त्री से जानना चाहता हूं कि लोकहित के क्या मानी होते हैं ? लोकहित के मानी सरकार हित नहीं हुआ करते । सरकारें आती हैं और जाती हैं । देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है । अगर कोई सरकार राष्ट्र और देश को प्रगति के रास्ते पर नहीं ले जाना चाहती तो वह सरकार हटती है और दूसरी सरकार आती है । मगर देश और राष्ट्र तो स्थिर होता है । इसलिए राष्ट्रीयकरण और सरकारीकरण यह दोनों दो हैं इनमें बहुत बड़ा फर्क हुआ करता है । मैं समझता हूं कि इस सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वे केवल इसलिए हुआ करती हैं कि सरकार किसी तरह स्थापित रहे । वे लोकहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए, देशहित के लिए नहीं हुआ करती हैं ।

रिहन्द डैम स्कीम कार्यान्वित नहीं हो पायी । मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रिहन्द डैम की स्कीम क्यों नहीं चली । मुझे अफसोस है कि जिस क्षेत्र से, रिहन्द डैम के आसपास के किसानों का प्रतिनिधित्व करके मैं तीन साल पहले सरकार के सामने आया था, उस समय वहाँ के किसानों को उजाड़ा गया था । इसलिए उजाड़ा गया था कि वहाँ बहुत बड़ी योजना चलेगी और सारे सूबे में बिजली दी जायगी । मगर किसानों को उजाड़ने के बाद भी वह स्कीम स्थगित कर दी जाती है । तो यह सरकार की दकियानूसी और उसके मस्तिष्क के दिवालियापन के सिवा हम क्या कह सकते हैं मैं जानना चाहता हूं कि अभी सोहावल में बिजली पैदा करने का यंत्र तो सरकार का होता है मगर जो डिस्ट्रिब्यूटर्स (वितरण कर्त्ता) है, वह प्राइवेट कम्पनी है । हमें वित्त मंत्री बताएंगे कि प्राइवेट कम्पनी से डिस्ट्रिब्यूशन (वितरण) क्यों करवाया जाता है ? प्राइवेट कम्पनी अगर वितरण करती है तो मैं जानता हूं कि वह उसमें कितना ज्यादा मुनाफा खा लिया करती है । मगर सरकार की कोई सुनिश्चित योजना होती तो सारे सूबे के अन्दर बिजली किस तरह से और कहाँ पानी से पैदा होगी और कहाँ दूसरे तरीके से पैदा होगी इसको रखकर सरकार एक नीति बनाती । मगर वह नीति सरकार के सामने नहीं है । आज ३०, ३५ म्युनिसिपैलिटीज की माँग है कि सरकार हमें बिजली लगवाने के लिए इजाजत दे, मगर मुझे मालूम है कि सरकार की ओर से अब तक कोई निश्चित कदम नहीं उठाया गया है और हमें यह भी मालूम है कि बुंदेलखंड में बेतवा नदी के बाँध से बिजली की स्कीम चलायी जा सकती है, लेकिन सरकार की दृष्टि वहाँ नहीं जाती है ।

उपाध्यक्ष--(श्री बेचनराम गुप्त के खड़े होने पर) क्या आप कोई प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना (विधान का प्रश्न उठाना) चाहते हैं ?

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--जी हाँ । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल ८१ की तरफ दिलाना चाहता हूं । यह रिजोल्यूशन (संकल्प) जो है कटमोशन की लिस्ट में श्री गजेन्द्र सिंह के नाम से है । कोई दूसरा सदस्य रिजोल्यूशन को नहीं पेश कर सकता जब तक कि वह लिख कर न दे दे कि वह दूसरा सदस्य इस रेजोल्यूशन को पेश करेगा ।

उपाध्यक्ष--यह रिजोल्युशन (संकल्प) नहीं है । यह तो केवल कट मोशन है और अभी तक हमारे स्पीकर महोदय ने इस प्रकार की कार्यवाही के लिए अनुज्ञा दे दी है । इसलिए मैं समझता हूं .....

श्री बेचनराम गुप्त--स्पीकर महोदय ने उस हालत में इस प्रकार की आज्ञा दे दी है जब कि दूसरे सदस्य का नाम कट मोशन में हो । तो जो कट मोशन सूची में है उसमें श्री राजनारायण जी का नाम नहीं है । ऐसी सूरत में श्री राजनारायण इसको पेश नहीं कर सकते । अगर उनका नाम लिस्ट में होता.....

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस बात पर विचार कर लूंगा जब उनका नाम आयेगा कि उनको मौका देना चाहिए या नहीं ।

श्री राजनारायण--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि ललितपुर, बाँदा, उरई, जालौन, कालपी आदि की म्युनिसिपैलिटियों ने सरकार को लिख कर भेजा है कि सरकार म्युनिसिपैलिटी को बिजली लगाने का आदेश दे। मगर अभी तक उधर कदम उठाया नहीं गया।

इसी के साथ साथ मैं आपके जरिये वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आजमगढ़ की जो सरकार की बिजली की स्कीम है और जितनी बिजली आज वहाँ पैदा होती है जरा वहाँ भी खयाल करेंगे कि उसका वितरण कैसे होता है। आजमगढ़ में जहाँ तक मेरी जानकारी है ११ और १२ बजे के बाद बिजली नहीं मिल पाती है। आज सरकार के पास किस बात की कमी है कि सरकार उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अपने हाथ में नहीं रखती है? आगे के लिये भी मैं इसलिये चेतावनी देना चाहता हूं कि जहाँ जहाँ सरकार बिजली पैदा करे वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकार को प्राइवेट कम्पनी के हाथ में देकर उसका भाव मंहगा न करे। अगर सरकार इस तरह की स्कीम नहीं करेगी तो मैं समझता हूं कि जो गाँव गाँव में बिजली पहुंचाने का एक सुन्दर स्वप्न था वह तो पूरा हो नहीं हो सकता, शहर के अन्दर भी बिजली नहीं मिल पायेगी जैसी कि सरकार की नीति है और सरकार जो बहुत बड़ी योजना इस बिजली की पूरा करना चाहती है वह योजना तो बिलकुल कल्पना की एक बात हो जायगी। जिस तरह से ६ साल इस सरकार के पहले बीत गये वैसा ही आगे भी हो सकता है। मगर यहाँ मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं वित्त-मंत्री जी से कि उनके मंत्रित्व का ५ वर्ष का जमाना हर हालत में इस सरकार के लिये बीत ही जाय ऐसी परिस्थिति नहीं भी पैदा हो सकती है। ऐसी परिस्थिति आ सकती है जबकि इस सरकार की बुनियाद में ही एक ठोकर लगे और सरकार की योजनाएं जो आज उसकी कल्पना, दिमाग और मस्तिष्क में हैं वे जहाँ की तहाँ पर रह जायं। इसलिये द्रुतगति से, तेजी से चलना है, सुनिश्चित योजना को लेकर चलना है। अगर चलना है तो सुझाव को लेना चाहिये और सुझाव को कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिये। यहाँ पर आकर के अगर जितनी बातें दिमाग में पहले से रखी गयी हैं उन्हीं बातों को हर समय कार्यान्वित करने की हठवादिता की नीति पर सरकार जायगी तो निश्चय मानिये उपाध्यक्ष महोदय, कि वित्त मंत्री मंत्री पद पर रहते हुए भी लोक-कल्याण और देश-हित नहीं कर सकते।

फिर मैं उपाध्यक्ष महोदय के जरिये वित्तमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वित्तमंत्री जी जो एक प्रान्तीय बोर्ड बनाने वाले हैं सन् १९४८ ई० के केन्द्रीय ऐक्ट के अनुसार, जो सारे सूबे की बिजली की योजना को नियंत्रित करने के लिये निर्मित होगी वह कैसे बनाया जायगा? क्या उसमें वर्कर्स का भी रिप्रेजेंटेशन (प्रतिनिधित्व) रहेगा, क्या उसमें [उपभोक्ताओं] कंज्यूमर्स का भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा, यह वित्त मंत्री अपने बयान में साफ करेंगे। क्योंकि यह एक स्पष्ट बात हो गयी है कि अगर वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता, कंज्यूमर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता, केवल सरकार अपने कुछ व्यक्तियों को लेकर योजना चलाने की स्कीम रखेगी तो योजना ऐसे व्यतिक्यों से कभी नहीं चल सकती जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाले हों।

यहाँ पर एक हाइडिल रेट्स (जल विद्युत् की दर नियत करने वाली) कमेटी कायम हुई थी जिसके चेयरमैन थे श्री वेंकटेश नारायण तिवारी और एक सम्मानित सदस्य थे श्री निहालुद्दीन साहब सोशलिस्ट। अगर सरकार की नीति थी हमारे सूबे में बिजली पैदा करके ठीक से काम चलाने की तो आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने क्यों नहीं रखी गयी? एक तरफ तो सरकार कहती रहती है कि केन्द्रीय सरकार बाधा डालती है, मगर सरकार को जो काम खुद करना है वह काम जब सरकार खुद नहीं करती तो मैं क्या सोचूं? यह सरकार ठीक तरीके से, दिल और दिमाग से, होश से इस योजना को चलाना चाहती है या सिर्फ शब्द आडम्बर और वाग्जाल में सम्मानित सदस्यों को फंसा करके अपनी उस नीति को हर समय, हर स्थान पर रखना चाहती है?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सदन के सामने प्रस्तुत अनुदान के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री और मंत्रिमंडल को प्रान्त की सर्वतोमुखी उन्नति के लिये, जो उन्होंने विकास योजनायें रखी हैं, उन पर उन्हें बधाई दूं। साथ ही साथ मैं प्रदेश के उस भाग की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करूंगा जिसकी उपेक्षा विद्युत एवं अन्य विकास योजनाओं के संबंध में अंग्रेजी शासन काल से आज तक चली आ रही है। जब से हम यहाँ आये उसके पूर्व से अपने प्रदेश को पश्चिम और पूर्व इन दो भागों में बंटा हुआ पाते हैं। इसके पहिले खेती के संबंध में, विद्युत योजनाओं के संबंध में जितनी योजनायें बनीं उसमें सरकार का विशेष ध्यान पश्चिम के जिलों की ओर रहा। आज जितनी योजनायें बन रही हैं, सब पूर्व के जिलों के लिये बन रही हैं। इस प्रान्त में एक ऐसा भी भाग है जिसका नाम न पूर्व में मिलता है और न पश्चिम में मिलता है और वह भाग है इलाहाबाद और उसके समीपवर्ती जिले विशेषकर बुन्देलखंड के जिले, जिन पर प्रकृति की भी विशेष अकृपा रहती है। उनके विकास के लिये कोई योजना सरकार की ओर से इस बजट में नहीं है। जो नल-कूपों की योजना रखी गयी है और जो पंद्रह वर्षीय योजना में पाँच वर्ष की योजना है वह उन जिलों के लिये है जो पूर्वी जिलों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें इलाहाबाद, बनारस और बुन्देलखंड के बाँदा हमीरपुर इत्यादि जिलों का कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता है।

इस अनुदान में नौचालन योजना का भी उल्लेख है। बजट से ऐसा नहीं प्रतीत होता कि नौचालन की कोई योजना बनायी गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नौचालन का यहाँ क्या अभिप्राय है। यदि इसका अभिप्राय गंगा और अन्य नदियों में नौचालन की कोई व्यवस्था से हो तो मुझे उसके संबंध में कुछ सुझाव देना है।

बाँधों के संबंध में जहाँ तक मैंने आय-व्ययक में देखा कोई भी सुनिश्चित योजना मुझे नहीं दिखाई पड़ी। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कहीं इस जिले में कुछ ले लिया गया, कहीं उस जिले में कुछ ले लिया गया। बुन्देलखंड में बहुत से ऐसे भाग हैं जहाँ बाँधों की योजना से खेती की बहुत तरक्की हो सकती है। इलाहाबाद का एक-तिहाई हिस्सा बुन्देलखंड में शामिल है। वहाँ पहाड़ी नदियाँ और छोटे छोटे-नाले कसीर तादाद में हैं। यदि उनके पानी को बाँध के द्वारा रोका जाय और उसकी एक सुनिश्चित योजन बनायी जाय तो वहाँ की खेती की बहुत तरक्की हो सकती है। विशेषकर गंगा नदी में जो बहुत से नाले वर्षा का पानी बहा ले जाते हैं वे केवल उपजाऊ मिट्टी ही नहीं बहा ले जाते हैं बल्कि बाढ़ का कारण भी बन जाते हैं। यदि उन नालों को बाँधने की योजना बनायी जाय, उसके लिये सरकार सर्वे कराये और कोई सुनिश्चित योजना बनाये तो उससे तीन काम हो सकते हैं, एक तो उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिये पानी मिल सकता है, दूसरे उन क्षेत्रों में जो भूमि पानी से कटती जा रही है वह भी खेती के काम आ सकती है और तीसरे इन बाँधों के बांधने से बाढ़ का पानी रोका जा सकता है और प्रान्त के उस भाग को बाढ़ से बचाया जा सकता है। इसी तरह से प्रान्त में बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ अति वर्षा के पानी का निकास न होने से बाढ़ आ जाती है और खेती को बहुत क्षति पहुंचती है। इलाहाबाद, मिर्जापुर और आसपास के जिलों में बहुत से ऐसे स्थल हैं जिनका इस थोड़े समय में उल्लेख करना संभव नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रान्त में जहाँ जहाँ ऐसे स्थल हैं उनके लिये सरकार की ओर से कोई योजना बनायी जाय और पानी के निकास के लिये नालियाँ बनाई जायं।

माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो विकास संबंधी योजनायें बनाई जायं, उनका ऐसा संतुलन हो कि सारे प्रान्त को उनसे लाभ हो सके। हम जब नये-

नये कर लगाते हैं और करों के संबंध में जब हम कहीं अपने क्षेत्र की जनता के सामने सरकार की नीति रखते हैं तो वहाँ के लोग हमसे पूछते हैं कि यह जो नयी नयी योजनायें आप बना रहे हैं जिनके लिये कर देने के लिये आप सरकार की नीति का समर्थन कर रहे हैं उनके संबंध में आप बताइए कि हमको क्या लाभ हुआ। बुलन्दशहर जिले में, मेरठ जिले में या गोरखपुर जिले में जो विकास हो उससे इलाहाबाद और मिर्जापुर के किसानों को कोई लाभ प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता तो वहाँ के लोग हमसे पूछते हैं और हमारे लिए उत्तर देना कठिन हो जाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि विकास संबंधी जितनी योजनायें बनायें उसमें इन अभागे जिलों का भी ध्यान रहे।

श्री शिवदान सिंह (जिला अलीगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने देश के निर्माण के कामों के लिये जो सूबे को बिला शुबहा आगे ले जायेंगे जो रुपया रखा है उसके लिये वे धन्यवाद के अधिकारी हैं। यह वैज्ञानिक युग है। मानव को सुख पहुंचाने के लिये और उसकी जरूरतों को जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिये जो साधन हैं उनमें बिजली का प्रमुख स्थान है। हमारे देश की जो परिस्थिति है और जो हमारा सूबा इन बातों में पिछड़ा हुआ है उस दशा को सुधारने के लिये बिजली के उत्पादन की बड़ी आवश्यकता है। आज हर देश इस बात को महसूस करता है कि बिजली की बड़ी भारी जरूरत है। इसको महसूस करते हुए जो क़दम वित्त मंत्री ने उठाया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

आज हमारी सबसे बड़ी समस्या अन्न की है। अन्न-संकट जो हमारे सामने है उसको हमें जल्दी से हल करना है। उसको हल करने के लिये पानी की जरूरत है। किसान के पास कितनी अच्छी से अच्छी खेती हो, वह खेती करने में कितना ही काबिल हो, उसके पास बढ़िया से बढ़िया बीज भी हों और खाद भी हो लेकिन अगर उसके पास पानी नहीं है तो सब चीजें बेकार हैं। बगैर पानी के खेती हो नहीं सकती और पानी के लिये बिजली की जरूरत है। इसलिये बिजली उत्पादन में जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह सही तरीके से खर्च किया जा रहा है। आजकल जो आधुनिक तरीके सिंचाई के हैं उनमें से दो खास हैं--एक नहर का और दूसरा बिजली का। जो पुराना तरीका कुएं से आबपाशी का है वह बड़ा खर्चीला और महंगा पड़ता है। एक किसान जो कुएं से आबपाशी करके खेती से पैदा करता है और दूसरा जो नहर और बिजली से आबपाशी करके पैदा करता है उसके मुकाबिले में कुएं से आबपाशी करने वाले का ज्यादा खर्च होता है। इसलिये नहर और बिजली की आबपाशी की बड़ी जरूरत है, क्योंकि इससे पैदावार भी बढ़ेगी और किसान की, जो लागत लगती है वह भी घटेगी जिससे उसको ज्यादा पैसा बचेगा और वह खुशहाल होगा।

जो रुपया इस मद में रखा गया है उसमें से ज्यादा हिस्सा पूर्वी जिलों में खर्च होगा और खर्च होना भी चाहिये, मुझे इससे कोई ईर्ष्या नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि पश्चिमी जिलों के बारे में भी यह खयाल होना कि वहाँ सब खुशहाल हैं यह जरा सही न होगा। वहाँ भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी की बड़ी भारी जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो काम अंग्रेजी गवर्नमेंट के जमाने में होता रहा वह किसी योजना के अनुसार नहीं हुआ। उस गवर्नमेंट में तो जिसका असर था वह अपना काम करा लेता था और बाकी इलाके महरूम रह जाते थे। इसी तरह से जिला अलीगढ़ में भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जो पानी से महरूम हैं। तो मेरी यह प्रार्थना आपसे है कि इनको न भूल जायं और जो योजना आप आगे पाँच साल के लिये बनाने जा रहे

[श्री शिवदान सिंह]

हैं उसमें इनका भी खयाल रखें और वहाँ भी बिजली के कुएं बनवा कर उनको आबपाशी करने के साधन दें। इसके अलावा मुझे यह अर्ज करना है कि जो नहर हमारे जिले में बहती है उसके दोनों तरफ हजारों बीघा जमीन जाया जाती है क्योंकि नहर में से पानी निकल कर उस जमीन में इकट्ठा होता है जिससे वहाँ कोई खेती नहीं हो सकती। तो उसकी तरफ जरूर तवज्जह देनी चाहिये और कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिससे वह जमीन काश्त में लायी जा सके।

जहां हम कोशिश करते हैं कि जंगलों को तोड़ कर जमीन को खेती के काम में लाया जाय वहां जिस जमीन में पहिले से खेती होती आ रही है और अब वह नहर के पानी की वजह से खराब हो गयी है उसकी तरफ खास तौर से ध्यान देना है और ऐसे तरीके निकालने हैं जिससे वहां से पानी निकाला जा सके और जमीन काबिले काश्त बन सके। इसके अलावा तहसील इगलास में बहुत सी जमीन जलमग्न रहती है। दो झीलें हैं और त्यौरस साल भी मैंने अर्ज किया था और सरकार ने एक नाला वहां पर खुदवाया भी था, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस नाले से मकसद पूरा नहीं हुआ। वहां नाला भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है। मैंने आपको लिखकर दिया था कि वहां आदमी जांच के लिये भेजें, मेरी रिपोर्ट पर आदमी गया भी और उन्होंने रिपोर्ट भी दी है कि नाला बेकार है। जो इंजीनियर साहब वहां गये थे आप उनका जवाबतलब करें कि जिस मकसद से नाला खोदा गया वह मतलब क्यों हल नहीं हुआ। इसके अलावा तोशीगढ़ एक बहुत बड़ा मौजा है। वहां भी किसान परेशान हैं। वहां भी पानी निकाल कर जमीन को काबिले काश्त बनाने की बड़ी भारी जरूरत है।

इसके अलावा एक खास बात मुझे यह कहनी है कि अलीगढ़ में ट्यूब वेल्स बने हैं, वहां पर ११ हजार सीमेंट की बोरियां गायब कर दी गयीं। इससे काम वहां पर खराब हो गया और नालियां रेत से चुनवाई गयीं। इसलिये ऐसे कामों पर अच्छी तरह से सुपरवीजन [निरीक्षण] होना चाहिये। जहां सीमेंट लगती है वहां पर रेत से क्यों काम लिया जाय? इसके अलावा जो नालियां होती हैं उनको किसान लोग साफ नहीं करते हैं। अगर उनको साफ करें तो आबपाशी बढ़ सकती है। उनकी सफाई न होने से वह कट जाती हैं। इसलिये इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। इसलिये इस तरफ भी अगर ध्यान दिया गया तो आबपाशी जरूर बढ़ेगी।

(वित्त मंत्री को हंसते हुए देखकर)

मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि हंसने की बात नहीं है। मैं एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) तो नहीं हूं लेकिन मैंने, जो एक्सपर्ट हैं, इस संबंध में उनसे बात की है और उन्होंने बतलाया है कि नालियों की सफाई हो जाय तो आबपाशी यकीकन बढ़ सकती है।

श्री मुहम्मद इब्राहीम—माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं मैं उनकी तरफ हंसते हुए देख रहा था। उन्हें शुबहा हुआ कि मैं उनकी बातों पर हंस रहा हूं, लेकिन हंस इसलिये रहा था कि जिस बात को वह कह रहे थे उसके कहने का मौका इर्रीगेशन [सिंचाई] की डिमांड के वक्त है। इससे उन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मौका आयेगा। उस समय वह सब कुछ कह सकते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज फिर कुछ सुझाव देने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि इस प्रान्त के पास कुछ और भी रुपया इन योजनाओं के लिये हो तो वह अवश्य दे दिया जाय, क्योंकि हमारे प्रान्त की दशा तभी सुधर सकती है जबकि इस किस्म की बिजली की

योजनायें हमारे प्रान्त में हों। आप और प्रान्तों में चले जाइये जैसे बम्बई, पूना वगैरह में तो उधर चारों तरफ बिजली की चहल-पहल दिखाई देती है। रेल चलती है और बहुत सी बातें बिजली से होती हैं और बड़े बड़े कारखाने भी चलते हैं। इससे पता लगता है कि हमारा प्रान्त भी तरक्की कर सकता है। हमारे प्रान्त में भी बहुत से पहाड़ी इलाके हैं जिनके बारे में मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि हम तरक्की कर सकते हैं और वहां बिजली वगैरह की स्कीम भी अच्छी तरह से और कम कीमत पर हो सकती है। वास्तव में मैं टेकनीकल आदमी नहीं हूं, लेकिन पहाड़ों की तरफ जब अंग्रेज थे तो उन्होंने काफी ध्यान दिया था, बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई थीं, लेकिन फिर बाद में रुपये की कमी की वजह से वे स्थगित कर दी गयीं।

इस साल के बजट के देखने से पता चलता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक (जल विद्युत) वगैरह की कुछ स्कीम पहाड़ों पर चलने वाली है। लेकिन उसके पहले ही लोगों ने फैसला कर लिया है कि कहां इमारत बनेगी और कहां क्या होगा। हम वहां के प्रतिनिधि हैं और हमें पता तक नहीं है। उन जगहों में हमारे जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स हैं, वे गये तक नहीं, उन्होंने देखा तक नहीं। मैं उनको बहुत सी जगहें और बहुत सी स्कीम्स बतलाऊंगा, जिससे सस्ती बिजली हमारे यहां पैदा हो सके और देश की तरक्की हो सके। पहाड़ी एरियाज (प्रदेश) में अगर बिजली पैदा करने के लिये प्लांट्स लगा दिये जायं और बिजली पैदा होने लगे तो हमारी रोडवेज का काम, अच्छी तरह से होने लगे और बहुत से रास्ते खुल जायं और वहां की उत्पन्न की हुई चीजें हमारे देश के मैदानी इलाके में आ सकती हैं। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, उसकी उन्नति तो इसी बात पर निर्भर करती है कि जब तक वहां पावर नहीं होती, जब तक वहां पहाड़ों की चोटी पर पानी नहीं पहुंचाया जाता पावर के जरिये से, तब तक वह क्षेत्र उन्नति नहीं कर सकता। इसलिये जहां मैं इन स्कीम्स का समर्थन करता हूं वहां साथ ही साथ यह भी बतला देना चाहता हूं कि कहीं यह न हो कि जो रुपया दिया जाय वह बरबाद हो जाय। अभी रिकपाथर, देहरादून में एक स्कीम चालू होने वाली थी, जब वित्त मंत्री जी वहां गये थे तो उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था, लेकिन अफसोस है कि वह पत्थर जिस पर लिखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों से उद्घाटन हुआ, वह भी फेंक दिया गया। इस तरह से उस पर लाखों रुपया बरबाद किया गया। इसलिये मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जिस स्कीम को शुरू किया जाय पहले उस पर विचार कर लिया जाय। उसके बाद अगर चालू की जाय तो अच्छा होगा ताकि लोगों को यह कहने का मौका न रहे कि स्कीम तो बहुत बनती है, अखबार में चित्र तो ऐसा आता है कि उत्तर प्रदेश स्वर्ग बनने जा रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

बिजली के बटवारे की भी बात है। बिजली के बटवारे में बहुत सी इंडस्ट्रीज (उद्योगों) को बन्द कर दिया गया है, जैसे कि चक्की के लिये बिजली नहीं दी जायगी, दूसरी स्पेशल इंडस्ट्रीज के लिये बिजली दी जायगी। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कागज पर तो यह चीज है और जब बिजली बंटती है तो वह बात भुला दी जाती है। मैं माननीय मंत्री से एक बात कहूंगा, बिजली उन इंडस्ट्रीज को दी जाय जिनकी हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं एक चीज की मिसाल देता हूं। प्लास्टर आफ पेरिस हमारे यहां बहुत कम बनता है। लाखों रुपये का बाहर से ही मंगाया जाता है। वित्त मंत्री बतलायेंगे कि कितनी अर्जियाँ इस प्लास्टर आफ पेरिस के बनाने के लिये पड़ी हुई हैं और उनको पावर ग्रान्ट क्यों नहीं की गई। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस किस्म की बहुत सी योजनायें हैं जिन पर हमारे माननीय वित्त मंत्री को विचार करना चाहिये और इसी तरह से हमारे देश की इंडस्ट्रीज की उन्नति हो सकती है।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

लाल रोशनी हो गई है। मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि पहाड़ों में बजाय इसके कि बड़े बड़े पावर प्लांट्स एक ही जगह लगाये जायं, जहाँ जहाँ भी नेचुरल फाल्स (प्राकृतिक झरने) हैं, जहाँ भी चोटी पर से नीचे पानी गिरता है, उनको इस्तेमाल किया जाय और वहाँ छोटे छोटे प्लांट्स लगा कर बिजली पैदा की जाय। अगर इंजीनियर्स की इसमें मदद मिल सके तो मैं समझता हूं कि इससे देश की ज्यादा तरक्की हो सकती है।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले के देहातों के एक विशेष रवैये की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे जिले फैजाबाद के पच्छिमी क्षेत्र से ऐसी खबर आई है और यह सही भी है कि वहाँ पर जो लोग ट्यूबवेल के सम्बन्ध में जमीन की पैमाइश करते हैं, वे जमीन में लाल झंडियाँ गाड़ दिया करते हैं और किसी के कुछ कहने पर दूसरी जगह गाड़ देते हैं और जमीन इस तरह से बदल दिया करते हैं। इस तरह से वह उन आदमियों से तरह तरह से पैसा ले लिया करते हैं। यह बहुत विशेष बात है जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस तरह से वहाँ के ट्यूबवेल का काम करने वाले लोग कर रहे हैं और गांववालों से पैसा खींच रहे हैं। हमारे जिले के लिये आपके इस मौजूदा बजट में जो रक़म रखी गई है उससे काफ़ी उन्नति की गुंजायश रहती है और आगे बढ़ने का काफ़ी अवसर है। हमारे जिले में जो ट्यूबवेल बनाने की योजना है और घाघरा प्रोजेक्ट बढ़ाने की जो बात कही गई है वह बहुत ही सन्तोष-जनक है और हमारे जिले की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है। एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान और दिलाना चाहता हूं और वह यह कि बिजली की जो शरह है वह बहुत ज्यादा है, जब कि उसका उत्पादन भी बढ़ गया है फिर भी रेट कम नहीं किया गया है। इसलिये मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि बिजली कम्पनी की पावर बढ़ने पर भी उसके रेट बहुत ज्यादा हैं और उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि हमारे जिले में नहरों की जो कार्यवाही है वह ठीक नहीं है। एक एरिया ऐसा है जिसके अन्दर काफ़ी नहरें चलती हैं लेकिन किसानों को पानी समय पर नहीं मिलता है। अक्सर १०–१५ दिन के बाद पानी मिलता है जब कि उनकी जरूरत नहीं रहती है। इसलिये मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप इस तरफ अपनी तवज्जह दें।

श्री भगवतीदीन तिवारी (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई के संबंध में अपने पूर्वी जिलों में से जौनपुर की तरफ खास तौर से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं पर और खेतीबारी की तरफ जितना ध्यान दिया है उसके लिये मैं उनकी बधाई देता हूं। साथ ही अन्य मंत्रियों ने जो समय समय पर इस सदन में पूर्वी जिलों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है, उसके लिये भी मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन जब मैं बजट के विस्तार को पढ़ता हूं और खास तौर से अपने जिले की तरफ ध्यान देता हूं तो बजट में वहाँ शून्य ही शून्य नजर आता है। माननीय उपाध्यक्ष, इस सरकार ने पहले सन् १९५० में एक कमेटी ५ आदमियों की मुकर्रर की थी जिसमें खास तौर से एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) लोग थे और जिसका यह काम था कि वह इस सूबे में छानबीन करे और देखे कि किन किन साधनों से सिंचाई का प्रबन्ध हो सकता है। उस कमेटी ने तमाम सूबे की जाँच करके एक अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में ५ हजार और कुछ ट्यूबवेल्स की व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। ५–५ वर्ष की स्कीम १५ वर्ष के अन्दर पूरा करने के लिये उसने सिफारिश की थी। उसमें [illegible] जिलों के लिये २ हजार कुवें बनाने की बात थी और उसके लिये कुल लागत ४ करोड़ रुपये [illegible] थी और १ करोड़ कुछ हजार रुपया पावर हाउस (बिजली घर) के बनने पर खर्च होता।

उस कमेटी ने यह सिफ़ारिश की थी कि जब पावर हाउस बना दिया जायगा तो उससे काफ़ी सिंचाई होगी। जब रिहन्द डाम बन जायगा तो यह पावर स्टेशन स्टैन्ड बाई स्टेशन रहेंगे। हमारी सरकार ने एक योजना बनाई है उसमें भी मैंने देखा कि उस प्लान में हमारी सरकार की पूर्वी जिलों के लिये एक हजार कुवें (ट्यूबवेल) बनाने की व्यवस्था थी और केन्द्रीय सरकार ने भी १,००० कुवों (ट्यूब वेल) पूर्वी जिलों में बनाने की व्यवस्था अपनी पंच वर्षीय योजना में की है, लेकिन इन तमाम कुवों की व्यवस्था में हम देखते हैं कि अन्य जिलों को तो हिस्सा मिला जैसे कि गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, फैज़ाबाद और सुल्तानपुर आदि और गोंडा–बहराइच को भी कुछ हिस्सा मिला है, लेकिन जौनपुर के लिये कुछ भी नहीं मिला है। जिन जिलों के लिये कुछ व्यवस्था की भी गई है वह भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी जिनके लिये कुछ हिस्सा दिया गया है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा। इन जिलों को भी और ज्यादा दिया जाय तभी लाभ हो सकता है। मुझे दुख है कि जौनपुर जिले के लिये कहीं एक ट्यूब वेल की भी व्यवस्था नहीं की गई है।

रहा केनाल (नहर) के बारे में। तमाम बजट की छानबीन करने के बाद एक जगह जौनपुर कैनाल का जिक्र है, लेकिन आज जो पैम्फलेट (पुस्तिका) बाँटा गया है, उसमें दस लाख रुपये का जिक्र है, लेकिन वह भी जायस लाइन के लिये है, वहाँ भी जौनपुर जिले का जिक्र नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस जौनपुर के जिले ने कौन सा कसूर किया है कि इसके लिये न कुवाँ है और न कोई नहर है। यह जिला १६ लाख की आबादी रखता है और कम से कम ५ लाख मन और ज्यादा से ज्यादा ७ लाख मन गल्ला हर साल घटता है। यह जिला डेफिशिट (कमी का) है। इतनी बड़ी आबादी के जिले को अवहेलना की दृष्टि से देखा जाय तो अफसोस होता है और जब सरकार की तरफ से उसकी अवहेलना होती है तो और अफसोस होता है।

कहा जाता है कि हमारे जिले के बहुत से मंत्री भी तो हैं और इसलिये आप की सरकार है। मंत्री हैं, ठीक हैं, लेकिन वहाँ की जनता ने कौन सा कसूर किया है कि वहाँ की जनता का खयाल नहीं किया जाता है? मेरे निकट जो माननीय मेम्बर बैठे हैं वे बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम जनता को क्या जवाब देंगे, अगर उसके लिये इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जायगी। मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे जिले में कुछ झील और छोटे–छोटे ताल हैं। उनमें से एक धुरेला ताल है बादशाहपुर के पास। उसकी खुदाई सरकारी तौर पर हुई थी, लेकिन वह काम अधूरा ही रहा है और उसका पानी अभी पूरा नहीं निकल पाता है और अगर उसको ३ फुट और गहरा कर दिया जाय तो उसका पानी निकल जायगा और वह आगे जा कर धान की खेती के काम में आ सकता है। बार बार इस ओर ध्यान दिलाया गया, लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं हो सका है।

मैं अन्त में एक ओर और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस ताल के अलावा और कई छोटे–छोटे ताल हैं, उनका भी कोई खुदाई आदि का प्रबन्ध कर दिया जाय तो बहुत लाभ हो सकता है और जिले का फायदा हो सकता है।

श्री बलवंत सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने बिजली के सम्बन्ध में बजट रखा है, बधाई देता हूं। बिजली किसान के लिये ही जरूरी नहीं, बल्कि वह रईस और गरीब सब ही के लिये जरूरी है। वजह यह है कि यह सब लोगों की जरूरत को पूरा करती है, मगर यह देखने में आता है कि अक्सर इस तरह की जो बिजली की और बाँध वगैरह की योजनायें होती हैं उनमें बहुत देर लग जाती है और उनके लिये सरकार से जो सामान मिलता है उसका दुरुपयोग होता है। मंत्री जी या तो शिलान्यास के समय पर जाते हैं या फिर आखिर में उद्घाटन के समय पर जाते हैं। मैं उनसे

[श्री बलवन्त सिंह]

प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसे कामों को कभी कभी ऐसे मौके पर जाकर देखें कि जब उनका वहाँ जाने का प्रोग्राम न हो, ताकि ऐसी चीजें रोकी जा सकें। एक खास बात मुझे और देखने को मिली, वह यह है कि बिजली का काम तो काफ़ी तेजी से बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन उसके लिये मशीनों का कोई प्रबन्ध या कोई फैक्टरी नहीं लगाई जा रही है ताकि बिजली की मशीनें बनाई जा सकें। हम कितनी ही बड़ी योजनायें क्यों न बनावें, अगर हमारे पास मशीनें नहीं हैं तो हमारा काम चालू नहीं हो सकता और इसी वजह से हमारी बहुत सी योजनायें असफल रही हैं। दूसरी मुश्किल टैक्निशियन्स [विशेषज्ञों] की है। यदि हमारे पास जानकार आदमी भी नहीं हैं तो भी चाहे सब चीजें बन जावें, हमारा काम नहीं हो सकता है। इस बजट में ड्रेनेज का एक आइटम रखा हुआ था, मगर वह ऊपर सुर्खी में ही रहा और अन्दर कोई ड्रेनेज का प्रावीजन (उपबन्ध) नहीं है। जहां खेती की आबपाशी करना आवश्यक है, वहां खेतों से फालतू पानी निकालना भी अत्यन्त आवश्यक है। अकसर यह देखने में आता है कि वर्षा के दिनों में जब अधिक पानी बरस जाता है तो खेत पानी से भर जाते हैं। हमारे बहुत से देहात भी ऐसे हैं, जहां साल में ६ महीनों तक पानी भरा रहता है। वहां खेतों तक आने जाने में भी बहुत असुविधा होती है।

एक बात मैं और माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारी गंगा की बड़ी नहर में अक्सर पानी की कमी जाड़ों में हो जाती है। इसके लिये सौलानी नदी पर बांध बनाने की योजना बनी थी ताकि वहां का पानी पम्प करके नहर गंगा में जाड़ों में पहुंचाया जा सके। सौलानी में वर्षा का पानी बहुत जमा हो जाता है और वह बेकार जाता है। वर्षा के दिनों में वहां के बहुत गांवों को बाढ़ का शिकार भी होना पड़ता है। बहुत पहिले उस नदी में बांध बनाया जाने वाला था जिसके जरिये से बहुत सा पानी इकट्ठा हो जाता, जिसे पम्प द्वारा नहर गंगा में पहुंचाया जाता। इससे हमें गेहूं की फसल में बड़ी सहायता मिलती। कह नहीं सकते कि वह योजना बांध बनाने की अब कहां है और उसके बारे में क्या हो रहा है।

एक बात मुझे यह और कहनी है कि यहां कोई जिलेवार योजना नहीं बनाई गई है। जिले के लोग तो यह जानते हैं कि कहां पर, किस चीज की जरूरत है, मगर नहर के बड़े कर्मचारी जिनके हाथ में योजनायें बनाने का काम होता है, उसे नहीं समझ सकते हैं। अक्सर इस वजह से परेशानियां होती हैं। मैं अपने वित्त मंत्री और कैनाल मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह ज्यादा मुनासिब हो अगर हर जिले में प्लानिंग कमेटीज (नियोजन समितियां) जैसी हो नहर की भी कमेटी जिलावार बनाई जायें। उससे यह फायदा होगा कि जहां जहां पानी की कमी है या जहां पानी की ज्यादती है वे सब बातें महकमे के अफ़सरों के सामने आ सकेंगी। इससे जिले की सिंचाई और निकासी का प्रबन्ध ठीक ढंग से हो सकता है।

श्री झारखन्डे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि इस अनुदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये किसी भी नहर की व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर एक बहुत बड़ी नहर, गंगा की नहर की तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना दी जाय तो पूर्वी जिलों की खेती की कठिनाइयां, जो हर साल उपस्थित हुआ करती हैं, हमेशा के लिये हल हो जावें। लेकिन इस अनुदान में इसका कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था की गई है, खास कर ट्यूबवेल्स की, उसकी एक अजीब दर्दनाक कहानी है। सरकार इस अनुदान में १०० ट्यूबवेल्स की व्यवस्था आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया में करने जा रही है। १०० कुओं से ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक लाख एकड़ की सिंचाई हो सकती है। इस एक लाख एकड़ से क्या हो सकता है? मैं समझता हूं कि माननीय वित्तमंत्री इस ओर ध्यान देंगे और इन तीन जिलों में जो पानी की कठिनाई है, उसको दूर करने की कृपा करेंगे। पिछले ३ सालों से जो वहां पर अकाल की स्थिति रही है, उसको इन १०० ट्यूबवेल्स से कुछ भी नहीं हो सकता।

जो पक्के कुवें बनाये गये हैं उनके विषय में मैं जानता हूं। उनमें से बहुत से कुवें ऐसे हैं जो वास्तव में काग़ज़ पर ही हैं और सचमुच खोदे नहीं गये। दूसरी बात यह है कि बहुत से कुवें व्यक्तिगत तौर पर ही खुदवाये गये हैं। किसी बड़े आफिसर या एम० एल० ए० के मित्र अथवा सम्बन्धी ने सरकारी तौर पर उस कुवें को बनवा लिया। उससे या तो उनके घर में पानी आता है या आसपास के घरों में पानी जाता है या अपने ही खेत में खुदवा लिया है जिससे उस कुवें से और किसी की भलाई नहीं होती। उस कुवें का पानी घर वाले ही पीते हैं, एक इंच भी सिंचाई नहीं होती। अगर होती भी है तो अपने ही खेत की होती है। घोसी तहसील, जिला आज़मगढ़ में अब्बास नामक चपरासी हैं जो वहां के मौजूदा तहसीलदार साहब का बहुत "पेट" कृपापात्र है उन्होंने एक कुवां सरकारी खर्चे पर ठीक अपने दरवाज़े पर खुदवा लिया है इसी नाम पर कि इससे सिंचाई होगी। उससे सिवाय इसके कि घर के लोगों के पेट की सिंचाई हो, एक इंच भी ज़मीन की सिंचाई नहीं होती। इस तरह बहुत से केसेज़ हैं जो बताये जा सकते हैं लेकिन समय का अभाव है। तीसरी बात जो आपसे कहना चाहता हूं, यह है कि गोरखपुर डिवीज़न में सारी जोत की ज़मीन ४५ लाख एकड़ है। इस ४५ लाख एकड़ में सरकारी साधनों से सिंचाई सिर्फ ६०८३ एकड़ की होती है। ४५ लाख एकड़ में इस ६०८३ एकड़ का क्या स्थान है? यह कितना नाकाफी है इसको आप खुद ही सोच सकते हैं।

मेरा विचार है कि हमारे प्रान्त का सर्वे (पर्यालोचन) होना चाहिये। हर ज़िले में ज़िले की हर तहसील में, तहसील की हर क़ानूनगोई में, हर क़ानूनगोई के हर पटवारी के हल्के में यह देखा जाय कि कौन सा इलाक़ा ऐसा है जहां सिंचाई की ज़रूरत है। इन जगहों पर सरकार की ओर से कुवें खुदवाये जायं। सरकार की यह व्यवस्था कि कुछ पैसा पब्लिक दे और कुछ सरकार दे यह बिलकुल लंगड़ी व्यवस्था है। इससे इस व्यवस्था को पूंजीवालों के हाथ में ही देना है। देहात की जो ग़रीब जनता है उसको इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो ग़रीब किसान है उसके पास पैसा नहीं है। वे आपकी शर्त को पूरा नहीं कर सकता। इसलिये इस बात की ज़रूरत है कि सरकार सर्वे कराये और वहां पूरी तौर से अपने पैसे से कुएं खोद दे। नहर के बनने में भी काफ़ी समय लगेगा।

रिहन्द डैम का ज़िक्र किया गया उसकी जो गति आज तक हुई कहीं वैसी ही आगे भी न हो। कल माननीय उद्योग मंत्री ने बताया था कि सन् १९५४ तक रिहन्द बांध पूरा हो जायगा। अगर ५४ तक भी पूरा हो जाय तो भी उसके लिये दो बरस बाक़ी है। उस समय तक काम कैसे चलेगा? इस विषय पर आपको बड़े ध्यान से सोचना चाहिये। चीन में नहर बंधे और बड़े बड़े ट्यूबवेल्स बनाने की स्कीम थी लेकिन उन्होंने ५० लाख कच्चे और पक्के कुएं सारे चीन में खुदवा दिये जिससे वहां की सिंचाई की व्यवस्था पूरी हो गई है और जब नहरों की व्यवस्था हो जायगी, ट्यूबवेल्स की व्यवस्था हो जायगी, बंधियों की व्यवस्था हो जायगी तो ये कच्चे कुयें बेकार हो जायंगे। अभी फिलहाल जो काम हाथ में लिया गया है वह काम भी पूरा नहीं हुआ है बल्कि काग़ज़ के ही ऊपर है। मैं समझता हूं कि पहले आप उन छोटी-छोटी स्कीमों को लागू करके जो तत्कालीन समस्यायें हैं, उन्हें हल करने की कोशिश कीजिये।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने जो अनुदान सदन के सामने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। गत पांच वर्षों में पावर मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने राज्य के लिये जो कार्य किये हैं वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। हमारा छोटा सा जिला उन्नाव है। तो ऐसे छोटे-छोटे ज़िलों को उन्होंने अपने कार्यकाल में एलेक्ट्रिफाइ (सविद्युत्) करके, विद्युत् साधनों से सुसज्जित करके एक प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं चाहता हूं कि उसका और भी प्रसार हो, इस कार्य की ज्यादा समुन्नति हो। हम विरोधी दल से इस बात की आशा करेंगे कि जहां वे इस विभाग की या इस अनुदान की आलोचना करते हैं तो आलोचना करने के साथ ही साथ वे इस बात को भी ध्यान

[श्री देवदत्त मिश्र]

में रखें कि निर्माण कार्य में जो शक्ति और सहायक उपादेय अंग हो सकते हैं उनमें विभाजन नीति से काम न लें। आप जानते हैं कि बिजली एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शक्ति है जिसके सम्बन्ध में हमारा देश, विदेशों में जो समुन्नत देश अमेरिका, इंगलैंड, जर्मनी, रूस आदि हैं उनकी अपेक्षा कहीं ज्यादा पिछड़ा हुआ है। और अगर देखा जाय तो हमारे देश में हमारा प्रान्त, हमारा राज्य बम्बई और पश्चिमी बंगाल की अपेक्षा बिजली के मामले में ज्यादा पिछड़ा हुआ है। हमें कम से कम उन देशों की तुलना में नहीं किन्तु इस देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके समकक्ष अपने राज्य को करना है और वह तब हो सकता है जब इस कार्य में बिजली कम्पनियां संलग्न हों और उनमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं उन दोनों का सहयोग प्राप्त हो। किन्तु यह देखा जाता है कि लोकतंत्र और लोकहित की रात-दिन दोहाई देने वाले, लोकहित की रात-दिन चर्चा करने वाले इस प्रकार के कार्यों में भी हमेशा व्यवधान और अड़ंगेबाजी से काम लेते हैं जिससे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बिजली, जो निर्माण कार्य के लिये सबसे आवश्यक चीज है, उसके उत्पादन में रुकावट पड़ जाती है। हमारी ५ वर्ष की जो योजना है, उसे देखते हुए और उसकी जो उपयोगिता है उसे देखते हुए जो इस प्रकार के कार्य-विरोधी दल की ओर से होते हैं वे कहां तक समीचीन हैं यह विचारणीय है।

मार्टिन कम्पनी के मातहत या और व्यावसायिक संस्थाओं के मातहत जो बिजली का काम हो रहा था उनके तथा कर्मचारियों के बीच या मथुरा इलेक्ट्रिक कम्पनी और उसके कर्मचारियों के बीच इस प्रकार के इंडस्ट्रियल डिसप्यूट (उद्योग-विषयक झगड़े) पैदा किये गये, वैयक्तिक मजदूरी को लेकर प्रश्न पैदा किये गये और यह सवाल पैदा किया गया कि उन मजदूरों को भी रिलीफ (सहायता) मिलने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे राज्य में हमारे जो कंसिलिएशन (सामंजस्य) के मामले हैं वे जब इस बोर्ड के हाथ में गये तो उसने दोनों में सामंजस्य स्थापित कराने की कोशिश की लेकिन उसका निर्णय यह हुआ कि जो डिमांड (मांग) थी उसको कंसीलिएशन बोर्ड ने उचित नहीं समझा। इनकी एक अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने गई। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उनके पक्ष में फैसला किया लेकिन सरकार के सामने मजबूरियाँ थीं। सरकार के सामने यह दृष्टिकोण था कि बिजली जैसी उपयोगी वस्तु महंगी न होने पावे और यह अधिक से अधिक हर एक आदमी को प्राप्त हो सके और सुविधा के साथ जनसाधारण को प्राप्त हो जाय। लिहाजा वह अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय को नहीं मान सकती थी क्योंकि यदि यह वह स्वीकार करती तो एक तरफ तो कम्पनी का खर्च बढ़ता, जिसके माने थे बिजली के दाम दो-तीन पैसे फ़ी यूनिट बढ़ जाते और दूसरे इसकी प्रतिक्रिया जो इसी प्रकार के दूसरे प्रतिष्ठान हैं उनके ऊपर भी होती। इसके अलावा इस निर्णय के मानने से कर्मचारियों के बहुत छोटे से अंश को उससे लाभ हो सकता था लिहाजा सरकार उस निर्णय को न मानने के लिये मजबूर थी। हमारे राज्य में बिजली के काम में इम्प्लायर्स (मालिकों) की भी सारी शक्ति लगनी चाहिये और उसी के साथ-साथ जो काम करने वाले हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन्स (अंश) उतना ही अधिक होना चाहिये। इसके लिये हमारे सामने दूसरे देशों के उदाहरण हैं। आस्ट्रेलिया में आप जानते हैं कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट (निम्नतम पारिश्रमिक विधान) के अनुसार लेबर गवर्नमेन्ट ने भी इस बात की कोशिश की कि हमें अपनी और अपने देश की समुन्नति करने के लिये यह आवश्यक है कि इसको एन्फोर्स (लागू) किया जाय और इसके अनुसार अपने राष्ट्र को समुन्नत करना चाहिये। इसी तरह से मैं समझता हूं कि यहां भी करने की आवश्यकता है और सरकार को करना चाहिये।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द सुझाव पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मन्त्री को इस अनुदान के पेश करने के लिये बधाई देता हुआ यह सुझाव रखना चाहता हूं कि सारे प्रान्त में आज बिजली जगमगाने लगी

है केवल गढ़वाल ही एक ऐसा अभागा जिला है जिसने अभी तक बिजली नहीं देखी है। माननीय वित्त मंत्री मेरे नेक्स्टडोर नेबर (निकट के पड़ोसी) हैं और एक जमाने में हमारे प्रतिनिधि भी रहे और जब कोटद्वारे में आप तशरीफ ले गये थे तो आपने वहाँ के लोगों को आश्वासन दिया था कि जहाँ तक हो सकेगा वह गढ़वाल के अंधकार को दूर करने में कोई कमी नहीं करेंगे। मैं आज आपके द्वारा (उपाध्यक्ष जी) उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गढ़वाल जिले में सरकार ने मरोरा डैम पर लाखों रुपया खर्च किया है पर हम सरकार की मजबूरियाँ अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे यह भी पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वह मरोरा डैम बनवाया जा सके। इसलिये मैं इस सदन से नम्र निवेदन करूंगा कि इस मरोरा डैम के प्रोजेक्ट को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास रिकमेंड (सिफारिश) करके भेज दिया जाय ताकि हमारी सेन्ट्रल सरकार उस डैम के प्रोजेक्ट को टेकअप (आरम्भ) कर सके जिससे हमारे तीन जिलों में बिजनौर, मुरादाबाद और बरेली तक पानी की बड़ी-बड़ी नहरें चालू हो जायेंगी और सारे प्रान्त में बिजली चारों ओर फैल जायेगी।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गढ़वाल जिले में खेती के विकास की बात करना बिलकुल बेकार है, क्योंकि न तो वहाँ कुवें खोदे जा सकते हैं न तो टयूबवेल लगाये जा सकते हैं और न नहरें ही बनवाई जा सकती हैं, केवल विद्युत् शक्ति के जरिये ही हमारे गढ़वाल जिले में छोटे-मोटे उद्योग-धंधे पनपाये जा सकते हैं और गाँवों को पानी पीने के लिए और थोड़ा-बहुत हार्टीकल्चर के लिए पानी मिल सकता है। इसलिये सरकार ने राँदी नदी का परीक्षण किया है। उसमें प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण एक झरना है जिसको गठीछड़ा कहते हैं। सरकारी अधिकारियों ने उसको रिकमेंड करके यहाँ भेजा है। लेकिन मुझे पता नहीं कि उस स्कीम की बाबत यहाँ क्या हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस गठीछड़ा की स्कीम को तैयार करवा दिया जाय। उससे आपके श्रीनगर, पौड़ी और देवप्रयाग को काफी बिजली मिलेगी।

दूसरी स्कीम जो सरकार ने गढ़वाल में चालू कर दी है, जिसका परीक्षण किया है वह पिंडर वैली (घाटी) है। पिंडर वैली में बहुत सा रुपया खर्च कर दिया गया और बड़े ऊंचे-ऊंचे अधिकारियों ने जाकर वहाँ इस बात की जाँच की कि यहाँ बिजली पैदा की जा सकती है या नहीं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि गढ़वाल जिले में पेपर मिल के लिए और मैच इंडस्ट्री (दियासलाई का उद्योग) के लिये कच्चा माल बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। वहाँ गंधक है, वहाँ चीड़ की लकड़ी है और बाँस आदि बहुत बड़ी तादाद में मिलता है। अगर सरकार पिंडर वैली प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर उसे कायम करती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक तो आप गढ़वाल के हजारों नौजवानों को दाल रोटी देंगे, दूसरे जिला उन्नति करेगा और तीसरे सरकार के प्रति जनता का विश्वास आकृष्ट करने में आप फलीभूत होंगे।

मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि गढ़वाल जिला आदि काल से एक संतरी की तरह इस राज्य की सेवा करता आया है। दूसरे उसने जमुना गंगा जैसी धाराओं को बहाकर उत्तर प्रदेश के मैदानों से लेकर बंगाल तक इस देश को सरसब्ज करके समृद्धिशाली बनाने में सहायक हुआ है। हमारे गढ़वाल ने बद्रीनाथ और केदारनाथ के द्वारा सारे भारतवर्ष की हिन्दू जनता को केवल उनके जीवन ही में उनके पापों से उनको मुक्त करके शान्ति प्रदान नहीं करता है वरन् मरने के बाद भी और उनके पूर्वजों तक को जो इस दुनिया से कूच कर गये हैं उनकी आत्माओं को शान्ति प्रदान करता है और उन्होंने जो भी पाप किए हैं उनको उनसे मुक्त कर देता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी माननीय सदस्य इस सदन में हैं गढ़वाल की जो मांग है उसका एक आवाज से समर्थन

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

करेंगे । मैं वित्त मंत्री जी से फिर एक बार सविनय प्रार्थना करूंगा कि बिजली की स्कीम को गढ़वाल में चालू कर दिया जाय ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से महाराजा टेहरी के परिवार की तरफ से और टेहरी-गढ़वाल जिले के जो बड़े बड़े कर्मचारी हैं, जिनको इस अनुदान से मुख्य लाभ होता है, उनकी तरफ से माननीय वित्त मंत्री को इस मद 'ख' के लिए धन्यवाद देता हूं ।

यह पचास हजार रुपये की मद टेहरी और नरेन्द्रनगर के पैलेस और टेहरी और नरेन्द्र नगर में कर्मचारियों के दफ्तरों में बिजली देने के लिये है ।

मैं टेहरी-गढ़वाल की पाँच लाख जनता की ओर से वित्त मंत्री से कुछ कहना चाहता हूं । सेक्रेटरी साहब की रिपोर्ट पढ़ते समय जब मैंने यह सेंटेंस (वाक्य) पढ़ा तो मुझे बड़ी शंका हुई । सेक्रेटरी साहब लिखते हैं कि "नरेन्द्रनगर और टेहरी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यह रिपोर्ट मिली है कि लोड में उल्लेखनीय वृद्धि होने की कोई सम्भावना नहीं है जिससे राजस्व बढ़ सके" । इसको पढ़ने के पश्चात् मुझे यह भय हुआ कि यह ५० हजार रूपया केवल उसी प्रकार की बिजली देने के लिये खर्च किया जा रहा है जैसी कि इस समय वहाँ पाई जाती है । जो बिजली के बल्ब टेहरी या नरेन्द्रनगर में रोशनी देते हैं उस रोशनी को देखने के लिये एक चिराग जलाने की आवश्यकता है । यदि इतना रुपया खर्च होने के बाद भी केवल उतना ही लोड टेहरी और नरेन्द्रनगर को मिले तो मेरा कहना यह है और हालाँकि उससे मुझे मेरे भाई साहब को और टेहरी-गढ़वाल के कर्मचारियों को नुकसान होगा फिर भी मेरी यही अर्ज होगी कि यह रूपया इधर न खर्च किया जाय बल्कि किसी और अनुदान में डाल दिया जाय, हालाँ कि सेक्रेटरी साहब की राय यह है कि लोड बढ़ाने की कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती, मैं वित्त मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि वह भविष्य में जरा दूर देखें और जिस समय लोड देने का सवाल उठता है उस समय भी वे अपनी उदारता दिखावें ताकि जब मौका आवे और टेहरी या नरेन्द्रनगर में किसी प्रकार के उद्योग-धंधे खोलने की सम्भावना आवे तो फिर टेहरी-गढ़वाल के निवासियों को यह न कहना पड़े कि अब लोड की कमी के कारण हमारी योजनाएं असफल और अधूरी ही रह गयीं । इस समय जबकि यह शुरू में खर्च हो रहा है लोड देने में कोई खास कठिनाई महसूस नहीं होगी । अभी एकाएक टेहरी-गढ़वाल में कोई नई योजनाएं असम्भव सी हैं । यह तो उद्योगमंत्री जी ने अपने भाषण में इस जिले के बारे में कुछ न कहकर हमको साफ-साफ कह दिया, किन्तु अब वित्त मंत्री जी से यह अर्ज है कि अगर वह लोड के सिलसिले में काफी गुंजाइश रखें तो कभी न कभी यह लोड टेहरी-गढ़वाल जिले के लोगों के काम में अवश्य आयेगा । खासकर अगर लोड काफी दिया गया तो टेहरी-गढ़वाल में टूरिस्ट ट्रैफिक (भ्रमणकारियों का आना-जाना) काफी बढ़ सकता है । इसी प्रकार जो वहाँ स्कूल हैं, जो अस्पताल हैं उनकी अभी माँगें भले ही कम हों, किन्तु जबकि टेहरी और नरेन्द्रनगर के अस्पताल बाकी सब जगहों के अस्पतालों की तरह बन जायेंगे जिसके अनुसार हर एक जिले के अस्पताल में एक एक्स-रे सेट होना आवश्यक है फिर उस समय यह लोड जो इस समय दिया जायगा, वह काम अवश्य आयेगा । इसी प्रकार टेहरी को जो कि आप जानते है एक घाटी में हैं अगर अधिक लोड दिया जाय तो उस लोड का भी उचित प्रयोग भविष्य में अवश्य हो सकता है ।

अब अन्त में मैं फिर दोहरा करके यह कहता हूं वित्त मंत्री जी से मेरी यह प्रार्थना है कि लोड देते समय भी वह खास तौर पर इस पर ध्यान रखें ताकि इस समय दिखाई गयी उदारता निष्फल न रह जाय ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के अन्तर्गत काफी रुपया रखा गया है और मैं समझता हूं कि जो काम इसके अन्दर रखे गये हैं वह इतने जरूरी और महत्वपूर्ण हैं कि उनके लिये जितना भी रुपया हो वह थोड़ा है। इसमें से ज्यादा रुपया तो या अनुत्पादक कार्यों के लिये है और उसका थोड़ा सा भाग उत्पादक कार्यों के लिये है।

अनप्रोडक्टिव (अनुत्पादक) कार्यों से हमें यह नहीं समझना चाहिये कि हमारे रुपये का अपव्यय हो रहा है क्योंकि बहुत से काम हमारी सरकार को अपने प्रदेश के वेलफेयर (कल्याण) को सामने रखते हुये ऐसे करने पड़ते हैं जो आवश्यक होते हैं, चाहे उनसे कोई रिटर्न (लाभ) हो या न हो। इस अनुदान के अन्तर्गत कुछ ट्यूबवेल्स इस प्रदेश के पश्चिम भाग के लिये रखे गये हैं। उनमें से दो सौ ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जो अनप्रोडक्टिव कार्यों के अन्तर्गत हैं। मैं यह समझता हूं कि जो भी ट्यूबवेल्स बने हैं वे काफी प्रोडक्टिव रहे हैं उनसे काफी रिटर्न हमको मिलता रहा है। इसलिये उनका अनप्रोडक्टिव हेड (अनुत्पादक) में रखना उचित नहीं है।

दूसरी बात मुझे आप से यह निवेदन करनी है कि अक्सर कामों के तैयार होने में देर लगती है। मिसाल के तौर पर मैं आप के सामने मुहम्मदपुर पावर हाउस (बिजली घर) रखना चाहता हूं। उसकी वजह से बहुत से रजबहे तोड़ने पड़े। उनके तोड़ने से, जो पानी उनसे काश्तकारों को मिल सकता था, वह नहीं मिला। इससे काश्तकारों को बड़ा कष्ट हुआ। उनको पानी देने के अभी तक साधन नहीं बन पाये हैं आपने हुकुम भी दिया कि वहाँ पर माइनर्स (रजबहे) बन जायं, लेकिन बावजूद आप के हुक्म के भी तीन साल गुजर गये वे माइनर्स वहाँ पर नहीं बन सके। इससे वहाँ के काश्तकारों को जितना कष्ट है उसको वे ही जानते हैं। वहाँ की जमीन बड़ी उपजाऊ थी, लेकिन वहाँ गेहूं नहीं पैदा हो सका, धान नहीं पैदा हो सका। वहाँ के काश्तकार जो समृद्धिशाली थे, वे गरीबी की तरफ जा रहे हैं। आपके हुक्म को दिये हुये दो वर्ष से अधिक हो चुके हैं लेकिन पता नहीं हमारे इंजीनियर उसको कार्यान्वित करने में क्यों देर लगाते हैं। इस-लिये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो आप प्लान (योजना) बनायें वह समय के अन्दर अवश्य खत्म होना चाहिये। उसमें देर होने से जो लाभ होने को होता है वह नहीं हो पाता है। दूसरे देशों ने भी अपने यहाँ प्लान्स बनाये हैं, लेकिन उन्होंने अगर पाँच वर्ष का समय रखा तो उन्होंने चार साल या साढ़े चार साल में ही पूरा करने की कोशिश की। हमारे देश में अगर किसी प्लान का समय चार या पाँच साल का रखा जाता है तो उससे कहीं अधिक समय उसके कार्यान्वित होने में लग जाता है। मुहम्मदपुर के पावर हाउस पर समय भी अधिक लग गया है और एस्टिमेट (प्राक्कलन) से ज्यादा रुपया भी व्यय हो गया है। उसमें बिजली बनाना शुरू हो गयी है, लेकिन अभी तक वह उत्तर प्रदेश के रहने वालों के काम में नहीं आ रही है। इसलिये मुझे आपसे दरख्वास्त करनी है कि जो प्लान आप बनायें उसके लिये आप ऐसा करें कि वह समय और एस्टिमेट के अन्दर पूरा हो जाय। कभी कभी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जिनके कारण समय अधिक लग जाय या एस्टिमेट ज्यादा हो जाय, लेकिन इतनी देर का होना मेरी समझ में नहीं आता है।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि आप ने जो एक बहुत ही उपयोगी काम लिया था वह यमुना स्कीम का था। यमुना जल विद्युत् योजना के अन्तर्गत कोई भी रुपया इस साल नहीं रखा गया है। यमुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम एक बहुत ही अच्छी स्कीम थी। उससे बहुत ही आशायें थीं और बहुत ही आसानी से हमारे प्रदेश को उससे बिजली मिल सकती थी और उससे सिंचाई के लिये पानी मिल सकता था, लेकिन उस यमुना स्कीम को आप छोड़ रहे हैं। रेहैड डैम से ज्यादा जरूरी वह स्कीम थी क्योंकि रेहैड डैम पर बहुत

[श्री केशव गुप्त]

रुपया व्यय होगा और बहुत दिनों में उसका फल निकलेगा। इंजीनियर्स का कहना है कि बहुत आसानी से और सफलता के साथ वह स्कीम कार्यान्वित हो सकती थी, इसलिये उसका छोड़ देना मुझे उचित नहीं मालूम होता। इसलिये मैं अपने माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस स्कीम के ऊपर गौर करें और आइन्दा इसका ध्यान रखें कि जल्द से जल्द वह कार्यान्वित हो। इसके साथ ही मैं अन्त में अपने वित्त मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मद के अन्दर काफ़ी रुपया रखा, जिसका रखना सूबे के हित को देखते हुये जरूरी था। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी यह स्कीम सफल हो और उनकी भावनायें जो पवित्र हों वे पूरी हों और हमारे प्रदेश का भला हो।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—श्रीमान् जी, मैंने यहां बैठे बैठे कई दिन से जो माननीय सदस्यों की बातें सुनीं उनमें मैंने यह पाया कि कोई माननीय सदस्य पूर्व की बात कहते हैं तो कोई पश्चिम की बात कहते हैं। मेरी समझ में यह न आया कि यह पूर्व और पश्चिम का डिवीजन (विभाग) कहां से समझा जायगा। मैं यह भी न समझ पाया कि मेरा जिला रायबरेली किस डिवीजन में सम्मिलित होगा। बड़ी कोशिश के बाद, पूछने-जांचने के बाद और लोगों से सलाह करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद इस जिले को मध्यवर्ती जिला कह सकते हैं। जो पहले की दो तरफ की बातें हैं उनमें वहां की ग़रीबी और भुखमरी की बातें जोरदार शब्दों में कही गयीं। इससे यही साफ हुआ कि जो बीच के जिले हैं वे बहुत ही मालामाल और बहुत ही धन सम्पन्न हैं। लेकिन मैं आपके सामने यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि वहां की भी समस्यायें हैं, वहां भी भुखमरी है, वहां भी निर्धन लोग रहते हैं, वहां भी ग़रीबी है।

मैं अपने वित्त मंत्री जी के उस भाषण का जहां पर कि उन्होंने अपने भाषण के पांचवें पैरा में बड़े जोरदार शब्दों में यह कहा है, हवाला देना चाहता हूं।

"यदि खेती की सब जमीनों की सिंचाई के लिये सुविधायें मिल जायं और अगरचे मानसून की मौज पर इतना अधिक भरोसा न करें, इसलिये सिंचाई के नये निर्माण कार्यों का बनाया जाना आजकल की आर्थिक स्थिति के विचार से भी बहुत जरूरी है और वह ऐसी प्रभावकारी या पुरअसर कार्रवाई भी है जिसे हम अपनी भावी सम्पन्नता की नींव डालने के लिये कर सकते हैं। इसलिये यह मद हमारे विकास कार्यक्रम में बहुत ऊंचे स्थान पर रखी गयी है।" साथ ही उन्होंने यह भी कहा है—

"हर एक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि यह खर्च जरूर किया जाना चाहिये और वह भी कुशलता का निर्वाह करते हुये अधिक से अधिक जल्दी"। इसलिए माननीय सदस्य यह देखेंगे कि बजट में सिंचाई सम्बन्धी निर्माण-कार्यों के रख रखाव, उनके बढ़ाने और नये निर्माण करने के लिये एक ऐसी रकम रक्खी गयी है जो पहिले कभी नहीं रक्खी गयी थी। फिर उन्होंने यह भी कहा—"इसी मद के अन्तर्गत 'अधिक अन्न उपजाओ' एक उप-मद बनायी गयी है, जिसके विषय में भी उनकी राय है कि 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं को पूरा करने के बाद हमारी सब से जरूरी मदों की सूची में यह मांग आती है। और इसके आगे उन्होंने एक और सुझाव रखा है कि शारदा नहर से क़रीब क़रीब ३ लाख एकड़ जमीन की नई सिंचाई होगी।

इस प्रकार से जब मैं श्रीमान् जी बजट पर नजर डालता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं भी एक मामूली किसान हूं और जब मैं यह भावना अपने वित्त मंत्री की तरफ से देखता हूं तो गद्गद हो जाता हूं और समझता हूं कि वास्तव में उनके विचार मैदानी किसानों के लिये बहुत उपयोगी और लाभप्रद होंगे। परन्तु यहां श्रीमान् जी के सामने यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैदानी इलाकों की सिंचाई ज्यादातर कुंओं से और नहरों से ही होती है। जहां कुओं से सिंचाई का सवाल है तो उनसे तो जैसे तैसे सिंचाई होती है। ज्यादातर सिंचाई नहरों से ही की जाती है।

शारदा कैनाल से मेरा संबंध है। इस संबंध में मेरी आम शिकायत है। जहां तक मुझे इंफारमेशन (सूचना) है शायद वह माननीय वित्त मंत्री जी को नहीं मिली है। इसमें इस विभाग के अधिकारी इतने लापरवाह हैं कि किसानों को वक्त पर पानी नहीं देते हैं। जब सूखा होता है तब तो पानी नहीं देते हैं, लेकिन जब प्राकृतिक पानी गिरता है यानी रेन्स होते हैं तो नहर भी खूब लबालब चलती हैं। ऐसी हालत में वित्त मंत्री जी का इधर ध्यान जाना चाहिये।

मेरे दिल में बहुत सी बातें हैं लेकिन सुर्खी सामने है। इसलिये अधिक मैं नहीं कह सकूंगा इतना जरूर कहूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाय। वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके बारे में बड़ा लम्बा किस्सा था। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। जैन साहब उनका नाम है। उनके ऊपर भी निगाह जानी चाहिये। साथ ही साथ मौरावां डिवीजन में एक नहर है। उसके अन्तर्गत एक नहर बनाई गई है। उसका नाम गूढ़ा रजबहा है। इसके लिये भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस नहर को बने तीन साल हो गये, लेकिन पानी बाहर नहीं जाता है। किसान परेशान हैं। मैंने कोशिश भी की और बहुत जिम्मेदार आदमी से भी मिला लेकिन कोई संतोषप्रद इंतजाम नहीं हो सका। इन दोनों नहरों के बारे में मैं कह सकता हूं कि वहां के जो पतरौल हैं वे पटवारियों की तरह से काम कर रहे हैं। जैसे पटवारी रिश्वत लेकर नाजायज तरीके से इंदराज किया करते हैं उसी तरह से ये पतरौल भी करते हैं। वहां के अमीन ओवरसीयर और पतरौल ये तीनों मिले हुये हैं। इन तीनों को मैं जानता हूं। अक्सर जो ५०-५० रुपये रिश्वत देते हैं उनको अस्थायी कुलाबा मिल पाता है। ऐसी हालत में नम्रता के साथ निवेदन करूंगा और साथ ही साथ अपने मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और आपको भी धन्यवाद देता हूं।

श्री रणञ्जयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान पर श्रीमान् जी का अधिक समय लेना नहीं चाहता। मुझे थोड़ी बातें ही निवेदन करनी हैं। मैं श्रीमान् जी द्वारा माननीय वित्त मंत्री और सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि प्रांत भर के लिये बहुत कुछ किया गया है और किया जा रहा है, परन्तु हमारे सुल्तानपुर जिले में जो अमेठी तहसील है और जो सदा से अंग्रेजों के शासन काल से आज तक भाग्यहीन रही है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं वहां पर धान की उपज विशेष रूप से होती है और सिंचाई के पर्याप्त साधन न होने से वहां के लोग जो वर्षा होती है उसी पर निर्भर रहते हैं। इसलिये ऐसे समय में जब कि "अधिक अन्न उपजाओ" आंदोलन चल रहा है और विदेशों से चावल मंगाया जाता है और चावल की जहां विशेष रूप से उपज होती है तो वहां सिंचाई का ठीक से प्रबंध होना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि अभी एक महानुभाव ने कहा था। सिंचन के साथ ही पानी के निकास का भी समुचित प्रबंध होना चाहिये। इसलिये विद्युत् के द्वारा सिंचाई का समुचित प्रबन्ध वहां हो। इस विनम्र निवेदन के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करके सदन का अब और अधिक समय नहीं लेना चाहता।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की ओर से कई बार यह प्रस्ताव रखा जा चुका था कि कृषि और सिंचाई विभाग कम से कम एक ही मंत्री जी के सुपुर्द कर दिया जाय। आज मैं एक दूसरा प्रस्ताव रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। जमाने से इर्रीगेशन (सिंचाई) और पावर (शक्ति) की रिपोर्ट साथ साथ छपती आई हैं। मेरे पास तीन रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अलग अलग रिपोर्ट इस बार ही आई हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इसमें सिंचाई और पावर और विद्युत् योजना सब मिले हुए हैं। मैं समझता हूं कि कम से कम भविष्य के लिये सिंचाई और पावर वगैरह के जो विभाग हैं वे एक ही मंत्री के सुपुर्द होने चाहिये।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में जो अनुदानें बढ़ाई गई हैं उनके बारे में तो कहा लेकिन जिनको घटाया गया है उनके कारणों पर प्रकाश नहीं डाला। मैं आपकी आज्ञा से भवन के सामने कुछ आंकड़ों को रखे देता हूं। पृष्ठ ३३७ में उत्पादन और निर्माण में जो प्रोडक्शन आइटम्स (उत्पादन की मदें) हैं उनमें ५ लाख ४० हजार की कमी इस बजट में की गई है। पृष्ठ ३३७ में जल विद्युत् उत्पादन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक में ४ लाख की कमी की गई है सन् १९५१-५२ के मुक़ाबले में। पृष्ठ ३३८ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें १० लाख ६४ हजार की कमी की गई है। बिजली के नये सरकारी कुयें जो खोदे जा रहे हैं उनमें ३३९ पृष्ठ पर १० लाख ८० हजार रुपये कम किये गये हैं। ऐसे ही कुमायूं डिवीजन में सिंचाई योजना में पहले १२ लाख रुपये रक्खे गये थे, लेकिन अब घटा कर ६ लाख रुपये कर दिये गये हैं। कहीं पर भी आप यह देख लीजिये घटाने के कारणों पर प्रकाश नहीं डाला गया क्यों कमी की गई। मैंने काफ़ी छानबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चलता। तो इसका मतलब एक ही है कि वैसे जब बजट एस्टिमेट्स (आय व्ययक प्राक्कलन) हमारे सामने आते हैं तो उस समय यह बतला दिया जाता है कि हमारी योजनायें इतनी बड़ी हो रही हैं, इस प्रकार विभाजन कर रहे हैं, लेकिन बाद में या तो वे अधूरी छोड़ दी जाती हैं काफ़ी रुपया खर्च करने के पश्चात् जब वे फेल हो जाती हैं या जब उनको कार्यान्वित करने में भविष्य में कठिनाइयां आती हैं। पहले से ही कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी इस बात की ओर ध्यान देंगे और इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि यह कमी क्यों की गई।

इसके अलावा एक बात शारदा केनाल (नहर) के बारे में बतलाना चाहता हूं। इसमें भी दो ग्रांट्स रक्खी गई हैं। एक तो जौनपुर जायस शाखा बढ़ाने के लिये १० लाख रुपये रक्खे गये हैं और दूसरे छठे सर्किल में शारदा केनाल में छोटी शाखायें निकालने के लिये १८ लाख रुपये रक्खे गये हैं। लेकिन शारदा केनाल में पानी कितना है इसका खयाल नहीं रखा गया है। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। शारदा केनाल में जो मौजूदा पानी है उसी के मिलने में किसानों को कितनी दिक्क़तें होती हैं। पिछले साल कई बार इस सदन में इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया। छोटी छोटी शाखायें निकालते चले जा रहे हैं लेकिन पानी का क्या इन्तजाम है, इस पर ध्यान देना चाहिये। इस साल फिर शारदा नदी के द्वारा केनाल में पानी बढ़ाने के लिये १० लाख रुपये रक्खे गये हैं। शारदा नदी में पानी कहां है जो कैनाल का पानी बढ़ेगा। मैं बनबसा बांध देखने गया था जहां से पानी कैनाल में जाता है। जाड़ों में गया था जब कि पानी ज्यादा रहता है। मैंने सारा बांध देखा तो वहां बांध के बाहर पानी, ५ क्युबिक (घन फुट) तो क्या १ क्युबिक फुट भी बहता नहीं मिला। इस बात को नहीं बतलाया गया है कि नदी में पानी किस प्रकार बढ़ेगा और शारदा केनाल किस प्रकार बढ़ाई जायंगी, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं माननीय वित्त मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि वह उस स्थान पर जायं और वहां पर बनबसा बांध को देखें कि शारदा कैनाल में नदी से पानी बढ़ सकता है या नहीं और अगर बढ़ सकता है तो किस प्रकार बढ़ सकता है। कम से कम इंजीनियर साहब अपनी रिपोर्ट दें कि किस प्रकार इसमें पानी बढ़ाया जायगा। यह स्पष्ट नहीं है कि शारदा कैनाल का पानी किस प्रकार बढ़ाया जायगा।

इसके साथ ही मैं एक बहुत बड़ी बात की तरफ माननीय वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने खुद लौहिया हैड जाकर देखा है। उस लौहिया हैड के लिये इस अनुदान में सबसे ज्यादा रक़म रखी गई है। १ करोड़ १० लाख रुपये की रक़म शारदा हाइड्रोएलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिये रखी गई है। मैंने देखा कि इस प्रोजेक्ट के लिये इतनी बड़ी रक़म मंजूर की गई है, लेकिन यह नहीं देखा गया कि किस प्रकार यह रक़म खर्च की जा रही है। जब मैं लौहिया हैड में गया तो मुझे वहां बतलाया गया और मैं इस बात का दावा कर सकता हूं और माननीय मंत्री जी इसकी इन्क्वायरी (जांच) करायें कि पिछले साल के अन्दर जितना रुपया इस लौहिया हैड में मंजूर किया गया था करोड़ों रुपया, वह किस तरह खर्च हुआ है। मैं यह कह सकता हूं कि पिछले सालों में हज़ारों मजदूरों के नाम जाली तरीक़े से बनाये गये और जाली

दस्तखत कराये गये हैं और उस रुपये का बेजा इस्तेमाल हुआ है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं और माननीय मंत्री कल ही चाहें उसकी इन्क्वायरी करा लें कि यह बात सही भी है या नहीं। वहां पर स्टोर में बहुत सा सामान बेकार पड़ा हुआ है और उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। इसकी कहानी तो बहुत लम्बी है और समय कम है लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि यह शारदा हाईड्रोएलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसमें सरकार १ करोड़ रुपया हर साल खर्च करती है लेकिन इस रुपये का बहुत दुरुपयोग हो रहा। हजारों मजदूरों के नाम जाली बनाये गये हैं और जाली तरीके से उसमें दर्ज किये गये हैं और रुपया हड़प लिया गया है। इसमें जो वहां पर बड़े बड़े अफसर हैं उनका भी हाथ है। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच की जाय। अभी ३ महीने पहले मैं लोहिया हैड में गया था तो वहां पर मुझको विश्वस्त रूप से यह बात मालूम हुई। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस बड़े भारी करेप्शन (भ्रष्टाचार) की इन्क्वायरी करने की तरफ माननीय मंत्री अपना ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री बाबूराम गुप्त (ज़िला पटा)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि बजट के सामान्य विवाद के अवसर पर मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला। उसमें समय की कमी थी, इसलिये वह मौक़ा नहीं मिला। आज आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिये जो अवसर दिया है इसके लिये मैं अत्यन्त आभारी हूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री का बजट जिसमें यह महत्वपूर्ण अनुदान आज इस सदन में उपस्थित है उस पर मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिये अवसर प्राप्त हुआ है। इस बजट में जो यह अनुदान महत्वपूर्ण है वह इस मायने में है कि इससे हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वह पूरी होती है और इसके जरिये से हमारी सरकार ने एक बड़ा मजबूत क़दम उठाया है। इस मजबूत क़दम के उठाने के बाद हमको अब ऐसा जंचने लगा है कि शायद हमने अपने चुनाव के समय जो जनता के प्रति वायदे किये थे उनको हम किसी हद तक पूरा कर सकेंगे। हमारे मुल्क में जो सब से बड़ा संकट है वह अन्न का संकट है। हमारे सामने अधिक अन्न उत्पादन का सवाल है और उसके लिये यह सिंचाई की योजना रखी गई है जो चतुर्मुखी योजना है। डैम से ही नहीं, नहरों से ही नहीं, बल्कि ट्यूबवेल्स के जरिये से भी पानी का इन्तजाम किया जायगा और गवर्नमेंट पानी का इन्तजाम करके अन्न उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रयत्न कर रही है।

इन डैम्स वगैरा का जहां तक ताल्लुक़ है उसमें सबसे पहला नम्बर रेहन्द का है लेकिन यह स्कीम ऐसी है कि जिसके लिये शायद बहुत दिनों तक अभी इंतजार करना पड़ेगा और वह शायद इस पंचवर्षीय योजना में पूरी न हो सकेगी। यह चीज अपनी जगह पर अच्छी है और निहायत मुनासिब है लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद करना कि वह हमारी इस वक्त की जरूरतों को पूरा कर सकेगी जरा मुश्किल ख्याल है। छोटे बांध जो बनने को हैं चन्द्रप्रभा, भाटाटीला, अहरौरा और अर्जुनपुर वगैरा उनसे हमें आशा होती है। मंत्री जी ने बताया है कि यह स्कीमें बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं और उनसे हम ५ लाख एकड़ की आबपाशी कर सकेंगे। यह बहुत आशाजनक चीज है और इनको हमें जल्द से जल्द पूरा करना चाहिये। देश के सामने जो अन्न का सवाल है उसमें हमें अधिक देर करनी नहीं है और ऐसी योजना हमारे सामने होनी चाहिये कि जिसको हम जल्द से जल्द पूरा कर सकें।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

हमें इस बात का ध्यान खास तौर से रखना चाहिये कि इस समय हम इस प्रकार की योजना बनावें कि जिसको हम जल्द से जल्द कार्यरूप में परिणत कर सकें।

[श्री बाबूराम गुप्त]

अध्यक्ष महोदय, कुछ जिलों में हजार ट्यूबवेल लगाने की योजना बनाई गई है और कुछ नलकूप (ट्यूबवेल) के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी ग्रान्ट मिलने की आशा है। मैं परेशान था कि यह ट्यूबवेल बिजली की पावर के बिना कैसे चालू होंगे। मैं देख रहा हूं कि मेरे जिले में भरगना पचलाना में ६ कुएं इस तरह के लगे लेकिन बिजली के न होने के कारण वे चालू नहीं हो सके। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि कुओं को चलाने के लिये एक प्रोजेक्ट रखी गई है और उम्मीद करना चाहिये कि वह बहुत जल्द पूरी हो जायगी। मेरा अन्त में कहना यही है कि जो भी धन अनुदानों में रखा जा रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिये और इस रुपये को ऐसे कर्मचारियों द्वारा खर्च करना चाहिये, जिससे धन खराब न हो और ठीक तौर से सब काम पूरा हो जाय। बस यही मेरी प्रार्थना है।

श्री बेचन राम गुप्त—अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की तरफ से शारदा केनाल की स्कीम के बारे में समालोचना की गई है और कहा गया कि शारदा नहर में इतना पानी कहां से आवेगा कि उसकी और शाखायें निकाली जा सकें। मैं अपने मित्र से कहूंगा कि वह जरा गौर से बजट देखें तो उन को मालूम होगा कि यह दस लाख रुपया शारदा केनाल के पानी की केपेसिटी (समावेशन) को बढ़ाने के लिये ही रखा गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—यह तो मैंने खुद ही कहा था।

श्री बेचन राम गुप्त—साथ ही साथ रिजरवायर (जलाशय) भी बनाये जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर हुई हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया था कि बनारस का जो पावर हाउस है उस में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है और इसीलिये बनारस में बिजली पर कंट्रोल नहीं है।

मुझे बजट के देखने से बड़ा ही अफसोस हुआ कि बनारस जिले में ट्यूबवेल्स की कोई योजना नहीं है। जब बनारस पावर हाउस में बिजली काफी है तो कोई योजना ऐसी होनी चाहिये थी जिससे वहां ट्यूबवैल बनाये जाते। मुझे खयाल है कि कुछ दिन पहले एक ऐसी स्कीम की चर्चा थी कि बनारस से बिजली ले जाकर और उधर इलाहाबाद से फैलाकर बनारस स्टेट और बनारस जिले के उस हिस्से में जो ग्राड ट्रंक रोड से परैलल (समानान्तर) चला जाता है वहां दी जाय और वहां दोनों तरफ ट्यूबवैल्स आसानी से बनाये जा सकते हैं। मैं नहीं जानता कि इस योजना का क्या हुआ। आया यह ड्राप (अपास्त) कर दी गई है या अभी विचाराधीन है।

दूसरी बात यह है कि ज्ञानपुर में काशी नरेश डिग्री कालेज खुला हुआ है वहां इस वर्ष से साइंस की शिक्षा भी आरम्भ हो जायगी वहां भी बिजली की आवश्यकता है। यह योजना चल रही थी। वहां एक पावर प्लांट हो, जिससे भदोही जो एक औद्योगिक जगह है, वहां भी बिजली पहुंचाई जा सके। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे। विशेषकर ट्यूबवैल्स की स्कीम न होने से हम लोगों को बड़ी चिन्ता है क्योंकि वहां बगैर ट्यूबवैल के सिंचाई नहीं हो सकती है। मुझे आशा है कि हमारे माननीय मंत्री जी इन बातों का ध्यान रखेंगे।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस पूर्वी जिले का रहने वाला हूं जो हमारे प्रान्त में सब से बड़ा है। आज के अनुदान पर हमारे जिले के निवासियों का जीवन-मरण निर्भर है। मैंने बजट के शुरू से आखिर तक पेजेज को देखा तो पाया कि जिस तरह हमारे जिले का नेग्लैक्ट (उपेक्षा) किया गया है शायद ही किसी जिले को नेग्लैक्ट किया गया हो। भले ही मैं तो इसका स्वागत करता हूं। हमारी सरकार की नीति को सोचते हुये मैं अपने को बहुत दूर पाता हूं। आज हमारे जिले से मेरे एक दोस्त का

पत्र मुझे मिला कि बाजारों में कृषकों के जमघट लगे हुये हैं और औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाजार में भिक्षा मांग रही हैं। अभी मेरे एक दोस्त ने पूर्वी और पश्चिमी जिलों की समस्या लाकर खड़ी कर दी थी। मैं स्वागत करता हूं कि एक पैसा भी पूर्वी जिलों को न दिया जाय और भुक्कड़ों की तादाद बढ़ाई जाय, लेकिन इसका परिणाम भी सरकार को सोचना है। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री हमारे कहने पर विचार करेंगे। मैंने देखा कि केवल १७ हजार रुपया स्वास्थ्य विभाग से हमें मिला है। भले ही आप सोच लें कि हमने सेल्स टैक्स में सन् १९५०-५१ में कितना रुपया दिया है। ३९ लाख रुपये के करीब हमने अपने जिले से दिया। पूर्वी जिलों से जो १४ हैं करीब करीब चौथाई हिस्सा उस रकम का जिसे आप प्राप्त करते हैं वसूल होता है। लेकिन आप उनको देते क्या हैं? पूर्वी जिलों में ५ सालों में आपने क्या किया? सचमुच पश्चिमी जिलों में लोग चैन से बंशी बजा रहे हैं और पूर्वी जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। मैं सदस्यों को दावत देने को तैयार हूं कि वे वहां चल कर देखें कि किसान किस तरह से परेशान हैं, मजदूर किस तरह से परेशान से है। अगर यही परेशानी की हालत बढ़ती रही तो दुनियां एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है। अगर उनके पास खाने को नहीं होगा तो क्या होगा? मैं भले ही उसको रोकने का प्रयत्न करता हूं। २५ लाख की आबादी मेरे जिले की है। उस जिले में कितनी नहरें हैं कितने ट्यूबवेल्स वहां पर लगाये गये? आप यह देखें कि लोग वहां पर किस तरह से गुजर कर रहे हैं। ८ लाख के करीब वहीं के मजदूर कानपुर में हैं और २ लाख के करीब मजदूर पूर्वी जिलों के लखनऊ में काम करते हैं और यहां पर जो रिक्शा हांकने वाले आपको दिखाई पड़ते हैं वे सब करीब-करीब पूर्वी जिलों के हैं। फिर भी आप उनको और गरीब करना चाहते हैं। आप वहां से सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और मालगुजारी वसूल करते हैं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसके बदले में आपने उन लोगों के लिये क्या किया? क्या आपने उन लोगों के लिये सड़कें बनाईं? क्या आपने उन लोगों के लिये कोई ट्यूबवेल या नहरें बनाई? अगर यही हालत रही तो भविष्य में क्या होगा? मुझे आपसे यही कहना है। और यह कह कर मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन जिलों पर ध्यान दें और अगर यकीन न हो तो आप जायं और जाकर देखें कि उन लोगों की क्या हालत है।

श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है। इसके लिये मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आम बहस में बोलना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। इस कटौती के मौके पर जो ५ मिनट के लिये बोलने का समय मिला है उसमें मैं सब तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बातें बतलाना आवश्यक समझता हूं। सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को बोलते हुए मुझे मालूम हुआ कि उनके अन्दर कुछ पूर्व, पश्चिम और मध्य ऐसी बातों की सी भावना आ गयी है। लेकिन हमारे लिये ऐसी बात नहीं है। पूर्व वाले जितने व्यक्तियों ने पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं वे उनको खास तौर से परेशानी और दिक्कत माने हुए हैं इस नाते वे बोलते हैं। उनके अन्दर साम्प्रदायिक या और किसी किस्म की कोई भावना नहीं है। ब्रिटिश काल में ये पूर्वी जिले शायद कुलियों के जिले बनाये गये ताकि यहां से सस्ते लेबर, सस्ते आदमी फौज के लिये या और कामों के लिये भेजे जा सकें। उनको किसी प्रकार से ऊपर उठने या पनपने का मौका नहीं दिया गया। आज प्रजातंत्र के युग या अपने स्वतंत्र भारत में पूर्वी जिलों की और किसी प्रकार की कमी रह जाय तो उसके लिये उनका कुछ कहना या शिकायत करना स्वाभाविक सी चीज है। वहां के लोगों के सिंचाई के बारे में

[श्री केशव पांडेय]

कुछ मसले हैं जिनको मैं अपने ख्याल से आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं जिला गोरखपुर का निवासी हूं यहां की आबादी आज भी साढ़े बाईस लाख है जब कि पिछले सालों में इसके दो टुकड़े हो गये, यानी एक गोरखपुर जिला और दूसरा देवरिया जिला, फिर भी यह सूबे का कोई छोटा हिस्सा नहीं हो सका है। वहां के लोगों के लिये जितनी भी चेष्टा हो सकती है की गयी है लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी वे थोड़ी हैं। सिंचाई के सम्बन्ध में वहां चाहे जितनी भी बातें की गयी हों, लेकिन उससे वहां के काश्तकारों को काफी लाभ नहीं पहुंचा है। मैं सम्मानित वित्त मंत्री जी को यह बतला देना चाहता हूं कि वे सब काम अधिकांश कागज पर ही रखे रह गये हैं। पिछले साल सिंचाई के निमित्त ८०० कुओं का प्रबन्ध था। वह कागज पर स्कीम बनायी गयी और कागज पर ही कुएं भी बन गये। वस्तुतः यह सही बात है अगर माननीय मंत्री जी कहेंगे तो मैं उनको इस कागज की कार्यवाही दिखला सकता हूं। बांसगांव तहसील जहां से मेरा निकट का सम्बन्ध है जहां पर सिंचाई के लिये ८०० कुयें बनाने की स्कीम थी, लेकिन वास्तव में एक भी कुवां जमीन पर नहीं बन सका और केवल कागज में बन गया है। हाइड्रोइलैक्ट्रिक (जलविद्युत्) पावर हाउस से सिंचाई का प्रबन्ध करने की स्कीम है। अगर इसका ठीक प्रबन्ध हो जाय तो किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। आजकल वहां के पतरौल जो वहां का इन्तजाम करने वाले हैं जल देने वाले हैं, वे बिलकुल समय के बाहर और मांग के विपरीत जल देते हैं जिससे किसानों को सिंचाई के लिये कुछ भी फायदा नहीं पहुंच पाता, जिसे देते हैं उन्हें भी तंग होना पड़ता है। मैं सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि वह नयी योजना जो अभी जिले में बनायी गई अगर काश्तकार उससे उत्साह खो देंगे तो मैं समझता हूं कि और कोई स्कीम उसके लिये लाभदायक नहीं हो सकेगी।

उसके बाद मैं उस नहर की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसकी ओर बजट में कभी-कभी बात आती है और वह नैपाल की सीमा के पास की डंडा नहर है। डंडा एक नदी है जो नैपाल की ओर से आती है और हमारे गोरखपुर की सरहद बनाती है। वहां से नहर निकाली गई है जिससे फरेंदा तहसील के कुछ हिस्से की सिंचाई हो सकती है लेकिन अभी सरकार नैपाल सरकार से कोई फैसला नहीं कर सकी है जिसकी वजह से नैपाल सरकार ने नहर के पानी को आने से रोक दिया है। उस नहर का तरीका यह है कि जहां से नहर निकलती है उसके थोड़ी दूर चल कर नाली बना दी जाय तो पानी आने लगे लेकिन नैपाल सरकार ने पानी को रोक दिया है और इसलिये पानी नहीं आ पाता है। सरकार की ओर से नैपाल सरकार से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे उस नहर का पानी मिल सके। दूसरे आस पास के काश्तकार हजारों, लाखों की संख्या में पानी लेने के लिये नदी बांध कर नहर में पानी लाते हैं, परन्तु सरकार उनसे मालगुजारी लेती है, काश्तकार दुखी है कि सरकार से पानी न मिले और यदि हम लोग परिश्रम से पानी लायें भी तो सरकार पानी की मालगुजारी क्यों लेती है? तीसरी चीज इसी बजट में रोहिणी नहर का जिक्र किया गया है। रोहिणी नहर की योजना बनी लेकिन वह अभी पूरी तौर से चालू नहीं हो सकी। नदी बांध कर जहां नहर में पानी गिराया जाता है उस नदी से काश्तकार जो पानी लेते थे वह पानी भी उनको नहीं मिलता है। इसलिये मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उसमें ऐसा कोई बांध लगा दिया जाय या कोई रेगुलेटर (नियायक) लगा दिया जाय या कोई और तरीका किया जाय जिससे इस नदी में भी पानी आता रहे और नहर में भी पानी आता रहे।

गोरखपुर शहर से दक्षिण की ओर से जो राप्ती नदी जाती है उसमें से एक छोटी सी नदी निकलती है उसका नाम है गोरा। गोरा में जब बाढ़ आती है तो हजारों गांव

जलमग्न हो जाते हैं। राप्ती नदी के बारे में इस सूबे के आदमी नहीं सारे हिन्दुस्तान के लोग जानते हैं कि ४ महीने समुद्र की तरह से हजारों एकड़ जमीन और सैकड़ों गांव पानी के अन्दर दबे से रहते हैं और जलमग्न रहते हैं। आस्टीअरिटी प्राविजन स्कीम के जरिये चाहे आप गल्ला दे कर उनको बचाते हैं लेकिन मैं यह प्रार्थना करता हूं कि कुछ ऐसा उपाय जल्दी किया जाय जिससे बाढ़ से त्रस्त क्षेत्रों को बचाया जा सके। नदी के दोनों किनारों पर बांध बांधे गये थे लेकिन बाढ़ में बांध टूट गये जिससे काफी नुकसान हुआ था। अगर उस बांध की मरम्मत करा दी जाय तो दोनों ओर के लोगों को काफी लाभ हो सकता है और काफी तबाही से बच सकते हैं। पारसाल सरकार ने उस बांध को बंधवाया था जिसके लिये भगवती प्रसाद दुबे जी ने काफी चेष्टा की थी उस बांध के लिये मैं सरकार को फिर से याद दिलाना चाहता हूं। देवरिया बांसगांव में जो राप्ती नदी सरहद बनाती है वहां पर बांध बनाने की जरूरत है। सदर तहसील का गौरा टप्पा बाढ़ग्रस्त–क्षेत्र है। बरसात के दिनों में सैकड़ों गांव और हजारों एकड़ जमीन पानी के नीचे दब जाती है। अगर उस पानी को निकालने की कोई व्यवस्था हो जाय तो वहां की जनता को राहत पहुंच सकती है और हर वर्ष की उनकी तथा जानवरों की तबाही रोकी जा सकती है। जय हिन्द।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भवन के सामने अनुदान संख्या ४३ अभी जो पेश हुई है मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं और इसके लिये वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं। मगर साथ ही मैं इस अनुदान के सम्बन्ध में एक दो सुझाव देना आवश्यक समझता हूं। सबसे पहले मैं शारदा हाइडेल स्कीम (जलविद्युत् योजना) के बारे में कुछ आपके सामने कहना चाहूंगा। सारदा हायडिल स्कीम जो कि पिथौरागढ़–चम्पावत कांस्टीटुएंसी के नजदीक है, वह सिर्फ छः मील की दूरी पर नैनीताल जिले में है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह शारदा नदी तीन सौ मील हमारी कांस्टीटुएंसी से बह कर आती है और इसी से यह हाइड्रोएलेक्ट्रिक स्कीम बनी हुई है। बावजूद इसके कि सबसे पहले इस स्कीम पर इस कांस्टीटुएंसी का हक होना चाहिये, मुझे यह मालूम हुआ है कि इस कांस्टीटुएंसी को इस स्कीम से कोई भी फायदा नहीं उठाने दिया जायगा क्योंकि बिजली जो भी यहां निकाली गयी वह और इलाकों को मिलेगी। मैं आपके जरिए इस सदन के मेम्बरों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह इस कांस्टीटुएंसी के लिये एक बहुत भारी अत्याचार है। पहाड़ी इलाकों में खेती अब बहुत कम हो गयी है। उस का नतीजा यह है कि वहां बेकारी बहुत फैल गयी है। आबादी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। खेत वहां ज्यादा खोदने को नहीं हैं। इंटेंसिव (घनी) और एक्सटेंसिव (विस्तीर्ण) किसी प्रकार की फार्मिंग (खेती) करने का कोई साधन नहीं है। स्वायल इराजन (मिट्टी का कटाव) वहां होता चला जाता है। कितनी ही खाद जमीन में डाली जाय वहां उपज बढ़ नहीं सकती। इसलिये जरूरी हो गया है कि वहां की जनता के लिये कोई काटेज इंडस्ट्री (कुटीर उद्योग) का जरिया ढूंढा जाय जिससे वहां की जनता की पूर्ण रक्षा की जाय। काटेज इंडस्ट्रीज तभी चलाई जा सकती हैं जब कि इस हाइड्रो एलेक्ट्रिक स्कीम से जो कि शारदा स्कीम के नाम से मशहूर है इस इलाके को बिजली दी जाय। वीविंग फैक्टरी, रेजिन टरपन्टाइन फैक्टरी कई किस्म की काटेज इंडस्ट्रीज वहां चलायी जा सकती हैं। माइनिंग (खान खोदना) को भी वहां चलाया जा सकता है लेकिन ये चीजें तभी हो सकती हैं जब कि शारदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम जो कि नैनीताल जिले में है और जो कि अल्मोडा जिले से छः मील की दूरी पर है वहां से जो इनरजी (शक्ति) पैदा की जा रही है उस का बहुत सा हिस्सा हमारे इलाके को भी दिया जाय।

[श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट]

इसके अलावा मैंने कुछ दिन पहले इस सदन के सामने जिक्र किया था एक टूरिस्ट ट्रेड (भ्रमण व्यवसाय) हमारे इलाके में बहुत उन्नति कर सकती है। उसके बारे में मैं फिर कहूंगा कि काश्मीर में पहलगांव और गुलमर्ग ऐसी जगहें हैं जिस में इस देशों से ही नहीं बल्कि सारे देशों से लोग वहां टूरिस्ट के रूप में आते हैं। मगर मैं आप को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन जगहों से हमारी कुमायूं हिल्स में कितनी ही जगहें हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य में उनसे कहीं बढ़कर हैं। अगर वहां तक यातायात व बिजली का प्रबन्ध कर दिया जाय और जैसे पहलगांव और गुलमर्ग में यात्रियों की सुविधा के लिये हट्स (झोपड़ियां) आदि हैं वैसे ही कुमायूं की पहाडियों पर भी बना दी जायं तो कुमायूं का इलाका एक उन्नतिशील इलाका बन सकता है और टूरिस्ट ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और बहुत जल्द इन पहाड़ियों को उन्नतिशील बनाने की ओर कदम उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये एक दो बात और सदन के सामने रखना चाहता हूं। दूसरी स्कीम जो माइनर पावर स्कीम कुमायूं में है उसके लिये मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिथौरागढ़ में ठुलीगाड एक जगह है जहां कई एक झरने हैं जहां पर इंजीनियर लोग गये और वहां स्कीम बनायी। वहां से छोटी-छोटी पावर स्कीम्स चलायी जा सकती है और उन्नति की जा सकती है।

साथ ही साथ इर्रिगेशन (सिंचाई) स्कीम आफ कुमायूं जोकि हम को पैम्फलेट्स (पुस्तिकाएं) मिले हैं इन सब चीजों का इस में जिक्र है उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन छोटी-छोटी इर्रिगेशन स्कीम्स से भी कुछ सुधार किया जा सकता है।

अन्त में मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि शारदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम में पिथौरागढ़ इलाका जोकि अब तक निग्लेक्ट (उपेक्षा) किया गया है जहां तक जेनरेशन का ताल्लुक है हम सन्तुष्ट है जहां तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन (वितरण) का ताल्लुक है उस इलाके को बिलकुल महरूम किया गया है। तो मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वहां ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी जानी चाहिये। हिल्स (पर्वतों) की इम्पार्टेंस (महत्व) तभी बढ़ सकता है। हमारे प्रान्त में हिल्स की इम्पार्टेन्स ऐसी है कि वह स्ट्रेटेजिकल इम्पार्टेंस की भी हैं और ज्योग्राफिकली भी वह सारे प्रान्त में अपना महत्व रखती है। जैसा कि शरीर में शिर का स्थान होता है और महत्वशाली समझा जाता है ऐसे ही ये पहाड़ी इलाके इतना महत्व रखते हैं। इसलिये यह सदन उनके महत्व को समझेगा और उनकी तरक्की करना ही अपने सारे प्रान्त की तरक्की को समझेगा।

श्री मोहन सिंह (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें शुबहा नहीं है कि जो माँग इस सदन के सामने इस समय है वह बहुत जरूरी है और इस सदन के हर कोने से उसके पास होने के लिये माँग है और यह माँग चूंकि सिंचाई के सम्बन्ध में है और बिजली के सम्बन्ध में है जो कि अन्न पैदा करने के लिये आवश्यक है और जिससे सब राजा और रंक और हम लोग सब जीते हैं वह इतनी जरूरी है कि अगर उसके लिये कोई माँग है तो यह माँग है कि और ज्यादा हो। जो भाई शिकायत करते हैं वह यही करते हैं कि ज्यादा माँग होनी चाहिए थी, पानी और बिजली का प्रबन्ध और ज्यादा होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में जिला बुलन्दशहर की ओर से आया हुआ हूं। यह बुलन्दशहर का जिला आपके प्रदेश के पश्चिम में बसा हुआ है और मैं इस समय उन भाइयों से जिनको यह शिकायत है कि पश्चिम और पूर्व का जिक्र क्यों किया गया, यह साफ कह देना चाहता हूं कि हमको अपने पूर्व के भाइयों से और सभी सदन से अति प्रेम है। हम उनके

लिये हर तरह की कुरबानी करने के लिये तैयार हैं। हम उनके लिये हर प्रकार की सहायता तन, मन, धन से देने के लिये तैयार हैं। मैं अपने उन सब भाईयों की ओर से जो पश्चिम की ओर से आये हैं यह बात साफ कहे देता हूं कि कोई शिकायत करने का मौका उनको नहीं होना चाहिए। अगर किसी माननीय सदस्य ने पूर्व और पश्चिम का जिक्र किया है तो वह इस खयाल से नहीं किया है कि उनको पूर्व की ओर से कोई शिकायत है या यह शिकायत है कि पूर्व की ओर यह अनुदान अधिक क्यों दी गयी है, यह रुपया क्यों अधिक दिया गया है, बल्कि यह तो सारे प्रदेश के लाभ के लिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिंचाई की योजना शुरू में अकाल से बचने के लिये और अकाल दुर्भाग्य से पड़ जाय और बारिश न हो तो उसका मुकाबला करने के लिये और उसका असर घटाने के लिये बनी थी। अब यह दुर्भाग्य है कि पूरब की ओर अकाल का भय रहता है और उस तरफ ज्यादा देने की जरूरत भी है। लेकिन एक बात और भी है कि अकाल को हटाना जरूरी है और अकाल के सामने प्रिकाशन (सावधानी) होना भी जरूरी है, अधिक जमीन पैदावार के लिये बढ़ाना भी जरूरी है। लेकिन जो जमीन कि काश्त में आ गयी है उसमें इंटेंसिव कल्टिवेशन (घनी खेती) भी निहायत जरूरी है।

पश्चिम की ओर, अध्यक्ष महोदय, जिन जिलों से हम लोग आये हुए हैं, जो जमीन कुल है उसकी ७० फी सदी से ८० फीसदी जमीन काश्त में इस समय आई हुई है, जिसे जेरे काश्त कहते हैं। उसके आधे भाग से ज्यादा ऐसा है जो कि पानी से, नहरों और बिजली से सींचा जाता है। वह जमीन ऐसी नहीं है कि जिस की ओर जैसा कि हमारे कुछ भाईयों ने कहा कि ध्यान न दिया जाय। इंटेंसिव कल्टीवेशन जरूरी है और जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि पानी होते हुए भी इंटेंसिव कल्टीवेशन वहां पर पूरा नहीं हो रहा है। जब वहां पर ट्यूबवेल लगाने का सवाल आता है, तो अध्यक्ष महोदय, रूल्स के अनुसार एक दिक्कत होती है कि साढ़े छः सौ एकड़ जमीन ऐसी दिखलाई जाय जो कि एक चक में हो और जिसमें किसी प्रकार से आबपाशी न होती हो। मैं समझता हूं कि एक चक में ऐसी साढ़े छः सौ एकड़ जमीन नहीं हो सकती है जिसमें आबपाशी किसी तरह से न होती हो। खेती का काम ऐसा है कि उसके लिये पानी होना चाहिये, जब माँगें तब होना चाहिये, और जितना माँगें उतना होना चाहिये। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन के लिये रूल्स में यह साढ़े छः सौ एकड़ का मतालबा उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि रूल्स की तरमीम होनी चाहिये। इसी प्रकार नहरों में जो रजबहे होते हैं उनके लिये यह रूल्स हैं कि ३५ एकड़ से कम भूमि के लिये तीन इंच का कुलाबा देते हैं। आप खयाल करें कि तीन इंच का कुलाबा होने से सारी रात किसान मेहनत करता है, लेकिन वह एक चौथाई एकड़ की भी आबपाशी नहीं कर पाता है। मेरा सुझाव यह है कि रूल्स में यह तरमीम होने की जरूरत है कि जहाँ ट्यूबवेल्स लगायें जायं वहाँ इतनी जमीन न माँगी जाय, और कुलाबे के लिये यह खेल न किया जाय कि छोटा कुलाबा हो, जमीन बहुत हो, उस पर आबपाशी बहुत दिखलाई जाय और वसूल भी बहुत हो। तो अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अर्ज किया इस सम्बन्ध में रूल्स को तरमीम करने की जरूरत है।

मुझसे पहले कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय मन्त्री से यह प्रार्थना की है कि कहीं कहीं जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसके लिये इस अनुदान में कोई रुपया नहीं है। वह भी बहुत जरूरी है। पानी के इकट्ठा हो जाने से ऐसी बहुत सी जमीन बेकार हो जाती है जो उपजाऊ होती है। बुलन्दशहर और मेरठ की जमीन बहुत उपजाऊ है। वहाँ तीन तीन फसलें पैदा हो जाती हैं। अगर वहाँ ठीक समय पर पानी मिले और जो पानी इकट्ठा हो वह निकल जाय तो वह बहुत काम की जमीन हो सकती है।

श्री गोवर्द्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है उसको देखते हुए, अगर हम अपने देश के अधिक से अधिक साधनों को, सिंचाई

[श्री गोवर्द्धन तिवारी]

तथा बिजली की योजनाओं को शीघ्र आगे बढ़ाने में नहीं लगावेंगे, तो हम अपने देश की आर्थिक समस्याओं को सुलझा नहीं सकेंगे, लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकेंगे। सीमित आर्थिक साधनों को देखते हुए वित्त मंत्री जी ने क़रीब साढ़े सात करोड़ की जो रक़म इस मद में रखी है, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन मैं अदब के साथ आपकी अनुमति से मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर वे केवल आर्थिक साधनों के आधार पर ही देश का निर्माण करना चाहते हैं, अगर वे केवल आर्थिक साधनों के सहारे पर ही देश का आर्थिक स्तर ऊंचा करना चाहते हैं, तो मैं यह कहूंगा कि इसमें इतना समय लगेगा कि जिसका इन्तजार यह ग़रीब देश नहीं कर सकता। यह सही है कि हमारे आर्थिक साधन सीमित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। वह है जन शक्ति। हम इस जन शक्ति के सहयोग के बल पर अपने देश के निर्माण के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने जनता के सहयोग से थोड़े से रुपयों के आधार पर हजारों और लाखों रुपयों की स्कूलों की इमारतें खड़ी कर दी हैं। इसी तरह, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर नहरों के निर्माण कार्य में जनता का सहयोग प्राप्त किया जाय, तो हम इस कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें केवल कांग्रेस का ही नहीं, बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों का सहयोग भी पूरी तौर पर मिलेगा। इस तरह हम अल्पकाल में ही निर्माण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा सकने, देश की ग़रीबी को दूर करने और देश के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकेंगे। जहां तक अल्मोड़े या कुमायूं का सवाल है, मैं यह कह सकता हूं कि नहरों के निर्माण कार्य को अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा न कर, गांव सभाओं के द्वारा किया जाय तो इसमें बड़ी सफलता मिल सकती है। इतनी रक़म में जितना नहर निर्माण कार्य विभाग द्वारा होगा उससे पांच छः गुना कार्य गांव सभाओं के द्वारा कराने में सरकार समर्थ होगी; इसका मैं वित्त मंत्री जी को यकीन दिलाता हूं।

जहां तक सिंचाई की मद में कुमायूं के लिये गत वर्ष से ६ लाख रुपयों के कम किये जाने का संबंध है, यह इलाक़े की आवश्यकताओं के अनुसार कम और ज्यादा होता रहता है, क्योंकि हमारा समूचा प्रदेश एक इकाई है और जहां जिस इलाके में जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से सरकार कम या ज्यादा रुपया रखती है। लेकिन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही मैं कह सकता हूं कि अगर अल्मोड़े के किसानों तथा अन्य लोगों की भुखमरी की दर्दनाक कहानी हमारे वित्त मंत्री जी के कानों तक पहुंची होती तो शायद वे छः लाख रुपये की रक़म इस वर्ष कम न करते। मैं अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि गंगोलीहाट, बेल, भेरंग, दानपुर, सोर, पिथौरागढ़, रंगोड़, दारुण आदि पट्टियों के कई परिवार अपने मासूम बच्चों को दो दो, तीन तीन दिन इसलिये भोजन नहीं दे सके कि वे अपने गहने जिसे खानदान की इज्जत समझा जाता है, पहिले ही बेच चुके थे और उसके बाद उनके पास जो जानवर थे उन्हें भी वे बेच चुके थे, अब उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं रह गयी थी जिसे बेचकर वे सरकारी गोदामों अथवा सहकारी समितियों से अन्न खरीद सकते। अब तो कई जगहों में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि यदि कोई कुछ बेचना भी चाहे तो उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। मैं जानता हूं कि सरकार ने टैस्ट वर्क्स खुलवा कर वहां के लोगों को रोजी दिलाने का प्रयास किया, लेकिन सवाल दसियों, बीसियों आदमियों की रोजी का नहीं, हजारों आदमियों की रोजी का है, किसी एक खास इलाके का नहीं बल्कि सारे अल्मोड़े जिले का है।

पिछली लड़ाई के बाद जो घटनायें घटीं उनसे सारे जिले की आर्थिक स्थिति बिगड़ गयी है। जोहार--दारम के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन तिब्बत का व्यापार था, तिब्बत का चीन के प्रभाव क्षेत्र में चले जाने के कारण उनका वह व्यापार समाप्त सा हो गया और उनकी माली हालत खराब हो गयी, जिले के पूर्वी हिस्से के लोग नैपाल से व्यापार करते थे लेकिन वहां जो राजनीतिक-उथल-पुथल पिछले दिनों हुई उसके कारण उनका भी व्यापार बन्द हो गया। अल्मोड़ा के बहुत से लोग अपनी ग़रीबी के कारण फौज में लड़ाई के जमाने में भर्ती हो गये थे। लड़ाई बन्द हो जाने के बाद उनमें से ज्यादातर लोग डिस्चार्ज (हटा) कर दिये गये। उनके पास

घर में न तो कोई रोजगार ही था और न जमीन ही थी इससे उनकी हालत बदतर होती गयी। फौज में रहकर वे लोग रुपया घर भेजते थे जिससे उनके परिवार वाले अन्न-वस्त्र खरीद कर अपनी गुजर-बसर करते थे। लेकिन लड़ाई बन्द हो जाने के बाद यह चीजें भी खत्म हो गयी। इसलिये मैं अदब के साथ वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अल्मोड़े जिले की आर्थिक समस्या बहुत बिगड़ गई है, इसलिये उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर सरकार ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं वहां का आर्थिक ढांचा इस तरह से लड़खड़ा कर गिर न पड़े जिसका संभालना मुश्किल हो जाय। ऐसी स्थिति के उत्पन्न होने पर अगर गोदामों में अन्न भी रहेगा तो भी उससे जिले को अधिक फायदा नहीं होगा क्योंकि वहां के लोगों की खरीदने की शक्ति इतनी गिर जायगी कि उसको खरीद नहीं सकेंगे। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह वहां की विशेष हालत को ध्यान में रखते हुए वहां के निर्माण कार्यों में जितना अधिक ध्यान दे सके दें और जितना अधिक रुपया लगा सके लगाने की कोशिश करे।

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इटावा जिले में सिंचाई के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिये कुछ रक़म उन्होंने रखी है। मैं चाहता हूं कि वह रक़म इस तरह से खर्च की जाय जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता का हित हो सके। पहले भी सिंचाई के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स यहां पर चलाये गये हैं और खास तौर से कैविटी वेल्स बनाये गये हैं। उन कैविटी वेल्स बनाने के लिये दो हजार रुपये गवर्नमेंट देती है और दो हजार रुपये जनता से कहा जाता है कि वे लोग खर्च करें। इस तरह से चार हजार रुपये के क़रीब खर्च होता है। तो जहां तक जनता द्वारा दो हजार रुपये देने का सम्बन्ध है, शायद ही कोई ऐसे गांव होते हैं जिनमें ऐसे किसान मिल सकें जो दो हजार रुपये दे सकें। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह अधिकतर कोआपरेटिव सोसायटी द्वारा बनाये जायं और उन्हीं को रुपया दिया जाय। इन कोआपरेटिव सोसायटीज द्वारा जहां यह कैविटी वेल्स बने हैं और हमारे जिले में भी बने हैं, उनमें सब से बड़ी दिक्क़त यह है कि सिंचाई बहुत क़ीमती पड़ती है क्योंकि यह क्रूड आयल से चलते हैं। साढ़े तीन रुपये बीघे के हिसाब से खर्च पड़ता है। गवर्नमेंट ने जो बनाये हैं उनमें भी साढ़े तीन रुपये बीघे के हिसाब से खर्चा पड़ता है और यह बहुत महंगा पड़ता है और अधिकतर किसान लोग उनसे पानी नहीं ले रहे हैं। इसलिये हमारा सुझाव है कि जहां आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनायें वहां इस बात का ख्याल रखें कि वह मिले हुये एरिया (इलाके) में हों और छोटा सा पावर हाउस भी बनवा दें, जिससे वे बिजली द्वारा संचालित किये जा सकें। अगर यह बिजली द्वारा संचालित किये जायेंगे तो कम खर्चा पड़ेगा और क्रूड आइल से ज्यादा खर्चा पड़ेगा।

दूसरा सुझाव यह है कि कैविटी वेल्स के मुताल्लिक़ किसान से कहा जाता है कि गवर्नमेंट के जरिये से इंजिन दे दिया जायगा और कर्मचारी जिस तरह इंजिन खरीदते हैं वह थर्ड क्लास होते हैं, कम हार्स पावर (अश्वशक्ति) के होते हैं और ज्यादा कीमत ले ली जाती है। यह भी दिक्क़त किसानों के सामने है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी आप रक़म देना चाहें वह सीधे आप किसानों को दे दें और उनसे कह दें कि जहां से वह चाहें ले लें, क्योंकि आपके विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इसको आप रोक नहीं सकते हैं। यह पूंजीवाद की वजह से हुआ करता है और जब तक पूंजीवाद का इंतजाम नहीं होता तब तक यह दूर नहीं हो सकता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट (सीधे तौर से) किसानों को इंजिन दें। कहा यह जाता है कि जो दो हजार रुपया जमा कर देगा उसको इंजिन खरीदने की इजाजत दे दी जायगी, लेकिन न आपके किसान इतना रुपया जमा कर पायेंगे और न आप उनको इंजिन दे सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप किसानों को डायरेक्ट दें।

[श्री गजेन्द्र सिंह]

मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इन वेल्स के लिये काफ़ी रुपया दिया गया है। लेकिन हमारा कहना यह है और भी माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह जो कुवें बनाये गये हैं वे खेतों पर नहीं बने हैं। यही बात हमारे जिले में भी हुई है। अधिकतर किसानों की शिकायत है कि उनसे ईंटों और सीमेंट के दस्तखत करा लिये गये हैं लेकिन उनको सीमेंट और ईंटें नहीं दी गई हैं। लोगों पर दावे किये जा रहे हैं और डिग्रियां कराई जा रही हैं। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह इस क़िस्म की शिकायतों की जांच के लिये एक जांच कमेटी बिठायें और जिन अधिकारियों ने ऐसी बातें की हों उनको समुचित दंड दिया जाय और वहां के किसानों को मुक्ति दिलाई जाय। यह परेशानी है। इसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

इसके साथ साथ किसानों के यहां जो बोरर्स (कुआं गलाने वाले) भेजे जाते हैं वह ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। वह ज्यादा वाकफियत भी नहीं रखते हैं। ऐसे आदमी किसानों के यहां भेज दिये जाते हैं जो किसानों के यहां जाकर महीनों लगा देते हैं और जब पम्पिंग सैट लगाया जाता है तो उससे कुछ फायदा नहीं होता इससे समय भी बरबाद होता है और खेती को भी नुक्सान होता है और उनको रोज जिले के दफ्तर में दौड़ना पड़ता है। यह परेशानी उनके सामने आ रही है। मैं आशा करता हूं कि इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा।

श्री मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मुझे पांच बजे तक बोलना है। मैं ऐवान के सामने आपकी इजाजत से यह इक़रार करता हूं कि पौने तीन घंटे की बहस में जो कुछ भी कहा गया है उनका इतने जरा से वक्त में यानी १५ मिनट में जवाब नहीं दे सकता हूं। अगर सब बातें छोड़ भी दूं तब भी ५–६ बातें तो ऐसी कही गई हैं जिनके बारे में मैं खुद चाहता था कि इस ऐवान के सामने पूरी पूरी बातें रखता लेकिन मुझे अफसोस है कि वक्त नहीं है और अगर मैं कोई बात न कहूं तो मेम्बरान यह न समझें कि मैं कहना नहीं चाहता था।

मुझे मेरे दोस्त नारायण दत्त साहब की एक बात सुन कर ताज्जुब हुआ। उन्होंने बजट को पढ़ा और उसमें पहले की प्रोवाइडेड (उपबद्ध) रक़म में से इस साल कम रक़म पाई और यह रिमार्क किया कि गवर्नमेंट की स्कीम्स का यह हाल है कि ऐसा मालूम होता है कि वे स्कीम्स चलती नहीं हैं, इसलिये रुपया कम कर दिया गया। यह बात नहीं है। न किसी स्कीम का रुपया घटाया गया और न किसी स्कीम को छोड़ा गया, बल्कि वे स्कीम जो पहले से चल रही थीं उनमें जितना रुपया खर्च होने को था पारसाल के मुक़ाबले अब इस साल उन पर कम खर्च करने की जरूरत होगी, लिहाजा बमुक़ाबले पिछले साल के वह कम कर दिया गया। क्योंकि ज्यादा काम बाक़ी नहीं है, लिहाजा बजट में जो रक़म रक्खी जायगी वह उसी खर्च के मुताबिक रक्खी जायगी। लिहाजा अगर वह इस रक़म के बारे में तफसील जानना चाहेंगे तो मुझसे समझ लेंगे, यहां ज्यादा तफसील का मौक़ा नहीं है। मगर उसकी हक़ीक़त यही है।

हमारे दोस्त राज नारायण साहब ने दोबारा आज बात दोहराई। मैंने अर्ज किया था कि मैं उसका जवाब दे दूंगा। बात बहुत छोटी सी है। चूंकि ऐवान उसको पहले से सुन चुका है, इसलिये मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो ट्रायबुनल (न्यायाधिकरण) है उसके कंसीलियेशन बोर्ड को यह केस रेफर (निर्दिष्ट) होने के बाद अपील हुई थी। उस अपील में उन्होंने एक तजवीज दी थी और वह यह थी कि जो मांग थी वह उनको दी जाय। गवर्नमेंट को क़ानूनन यह हक़ था कि वह अगर चाहे तो उस पर अमल करने से इंकार कर दे। लिहाजा गवर्नमेंट ने उस पूरे मामले पर सोचा और मैं उस किताब की तरफ तवज्जह दिलाता हूं जो किताब मेरे दोस्त पढ़ रहे थे। उसमें ये सब बातें पूरी तफसील के साथ हैं और वे तमाम रीजनिंग (युक्तियां) दी हुई हैं जिनकी बिना पर यहां की गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। कारण यह था कि नतीजा यह होता कि बिजली का खर्चा इंडस्ट्री (उद्योग) पर इतना पड़ जाता जिसकी वजह से चीजों के बनने में और उनकी क़ीमतों में बहुत

बड़ा फर्क होता। इसलिये गवर्नमेंट ने पब्लिक इंट्रेस्ट (जनहित) में यह मुनासिब नहीं समझा कि यह काम किया जाय और उसको नहीं किया। जो बात मैंने कही है मेम्बरान उसको समझ लेंगे। इससे ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। बाकी और जो रीजन्स (कारण) हैं जिनको मैं छोड़ देता हूं वे सब इस किताब में लिखे हुए हैं जिसको वह पढ़ रहे थे।

शारदा पावर स्टेशन जो बन रहा है उसकी निस्बत ऐवान में यह कहा गया कि हजारों मजदूरों को काम पर दिखला दिया गया और फर्जी रुपया उनके नाम से ले कर वहां के कर्मचारियों ने वह रुपया खा लिया होगा, खर्च कर लिया होगा। हजारों मजदूर तो मैंने अपनी आंख से वहां काम करते देखे। मेम्बरान साहब की तक़रीर से यह नतीजा निकला कि हम जो काम करते हैं उसे कभी देखते नहीं और हमें वहां जाने का इत्तिफ़ाक़ नहीं होता है। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि बराबर हम उन कामों को देखते रहते हैं, खुद जा जा कर वहां के काम से पूरे तौर पर अपने आप को वाक़िफ करने की कोशिश करते हैं और वाकिफ़ रहते हैं। हमें वहां के काम की खबर नहीं रहती ऐसी बात हक़ीक़त में नहीं है। हजारों मजदूर वहां काम करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखें हैं और ज्यादातर वहां पर गोरखपुर का लेबर (श्रमिक दल) था जो कि एक आर्गनाइज्ड (संघटित) लेबर था। वह लेबर वहां पर काम करता था। यह हो सकता है कि कुछ आदमी इधर उधर से भी आजायें और वे भी वहां पर काम करते हों। एक बात यह हो सकती है कि दुनिया के अन्दर जितने आदमी हैं उनमें ईमानदार भी हैं और बेईमान भी हैं। हर क़िस्म के आदमी दुनिया में होते हैं। इस तरह से सरकारी मुलाजिम भी हैं और उनमें ईमानदार और बेईमान हो सकते हैं क्योंकि वे भी दुनिया के आदमी हैं। उसका इलाज भी है और इलाज करना भी चाहिये लेकिन इतना मुबालगा किसी बात के अन्दर किया जाय तो कुछ जंचता नहीं। थोड़ी बहुत कार्यवाही हो सकती है जिसको किसी ने डिटेक्ट न किया हो। लेकिन हजारों की तादाद में मजदूर किसी जगह पर आकर काम करें और उनका मस्टर रोल नहीं बना और फर्जी पेमेंट (भुगतान) हो गया यह बात मेरी अक्ल में आनेवाली नहीं है। लेकिन मैं इस वक्त ऐवान के सामने यह अर्ज करता हूं और ऐवान से मतालबा करता हूं कि अगर इसके अन्दर कोई हक़ीक़त समझी जाती है और तहक़ीक़ात करने से इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं जैसा कि हमारे दोस्त ने फरमाया तो मैं उसको मानने के लिये तैयार हूं और हर तरह उनकी बात मानने के लिये, जो उन्होंने इन्क्वायरी (जांच) की बात कही, तैयार हूं।

अभी मेरे एक दोस्त ने फरमाया कि पहाड़ों पर बिजली स्कीम की बाबत कुछ मालूम नहीं है। एक साहब सोशलिस्ट पार्टी के थे उन्होंने कहा कि कुछ जगहें तजवीज हो चुकी हैं लेकिन उनको कोई इसके मुताल्लिक़ खबर नहीं है। बजट के अन्दर कुछ नाम लिखे हुए उन्होंने देखे तो उनको मालूम हुआ कि कुछ जगहों पर बिजली की स्कीम है। अंग्रेजों के जमाने में उनको मालूम हो जाता था। यह बात उनकी सही है। बात यह है कि बिजली की जगह जो बिजली का काम करने वाले हैं और जो इसके एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) हैं वही बतला सकते हैं और वही जगह ढूंढ सकते हैं। यह मेरे या किसी और मेम्बर के हाथ की बात नहीं है। जो इस फन के वाक़िफ-कार हैं वही इसको तलाश कर सकते हैं। हम उस जगह को दूसरी नजर से देख सकते हैं, हम उसको उस तरह से नहीं समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक एक्सपर्ट उसको समझता है। हमने कुमायूं में सर्वे (पर्यालोचन) कराया और सर्वे कराने के बाद हमको एक्सपर्ट ने बतलाया कि किस किस जगह पर बिजली का काम हो सकता है।

मेरे दोस्त गढ़वाल की शिकायत करते हैं। गढ़वाल में हमने सर्वे कराया तो हमारे एक्सपर्ट्स ने बतलाया कि किस जगह पर बिजली बन सकती है और उसका मौका हो सकता है। इस काम को एक्सपर्ट्स कर सकते हैं और सर्वे होने के बाद भी उस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है जो कि फिर गवर्नमेंट के लिये

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

गौर करने के लिये रह जाता है। सर्वे के निकाले हुए नतीजे पर ही गवर्नमेंट कोई काम कर सकती है, लेकिन मैं अगर इस बात में रख दूं कि यह इस काम के लिये मौजूं जगह थी, जबकि मैं उस काम का करने वाला नहीं हूं या कोई बिजनौर के भाई यह कहें कि वह जगह सही हो सकती थी, जबकि वह इस फन के माहिर नहीं हैं तो यह बात मुनासिब बात नहीं समझी जा सकती है। उसके लिये वही आदमी राय दे सकते हैं जो उस काम के करने वाले होते हैं और उस चीज को समझते हैं। गवर्नमेंट उनके बतलाये हुये मौकों के ऊपर जितनी तजवीज हो सकती है वह कर रही है और पूरी तरह से गौर किया जा रहा है।

एक और बात यह कही गयी कि रिहन्द डाम के ऊपर गवर्नमेंट ने इतना रुपया बरबाद कर दिया, पता नहीं कि वह बनेगा या नहीं और जब हम उसको बनाना चाहते थे तो उस स्कीम के चलाने में बहुत देर हुई। मैं कहता हूं कि देर नहीं हुई, कतअन नहीं हुई। आज हिन्दुस्तान के अन्दर जो एक्सपर्टस हैं जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट हैं उसमें भी यह दिया हुआ है कि इसके लिए काफी पहले से मालूमात और तहकीकात की जरूरत होगी और वह अगर ठीक तरह से की जायेगी तो उसमें इनवेस्टीगेशन (अन्वेषण) ही में चार पाँच साल लग जायेंगे। रिहन्द डाम में जो वक्त अब तक सर्फ हुआ है वह तो ऐसे काम में सर्फ हुआ है कि जिसके बिना हमें पता नहीं चल सकता था कि किस जगह पर वह डैम महफूज रह सकता है और क्या वहाँ की जमीन ऐसी है कि जिसको सैकड़ों फुट नीचे खोद कर ३०० फुट की गहराई में और जहाँ से यह मोटे मोटे पत्थर जमीन की गहराई से मशीनों से निकाले जाते हैं, क्या ऐसी जमीन में वह बन सकता है या नहीं। इसकी मालूमात भी तो करना लाजमी ही था और उसमें वक्त और खर्च की जरूरत थी और वह लगा और उसका जो नतीजा अभी तक हुआ है वह वही है जितना कि हमने चाहा था। जो वक्त लगा उससे हम उस नतीजे पर पहुंच सके हैं कि वह जगह निहायत मुनासिब और निहायत महफूज है और उसके बाद ही हमने इरादा किया कि उसको उस जगह पर बनाना शुरू किया जाय लेकिन जिस साल इन्वेस्टिगेशन का काम खत्म हुआ और उसको हम शुरू करना चाहते थे उसी साल हमारे पास रुपये का तोड़ा हो गया और फाईनेंशियल स्ट्रिजेन्सी (पैसे की तंगी) की वजह से हम उसको नहीं ले सकें। इसके बावजूद भी हमने उस पर खर्च को रोका नहीं, पहले के मुकाबले में कुछ कम जरूर कर दिया। मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि रिहन्द डैम की स्कीम को हम सीरियसली (गम्भीरतापूर्वक) लेना चाहते हैं और लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बजट में हमने इसके लिये रुपया रखा है और हम उसके लिये गवर्नमेंट आफ इन्डिया से रुपया माँग रहे हैं। उनसे मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ से लेंगे, किसी से लेंगे मगर इसका बनाना हम छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको यह भी बतला देना चाहता हूं कि उसके बनने से पहले उसी रकबे में हम पावर हाउस बना रहे हैं और वह इस वजह से कि जिस वक्त वहाँ पावर तैयार हो तो उस रकबे में हर किस्म की तैयारी पहले से रहे और उस वक्त फिर किसी किस्म की देर न लगे और इन्तजार न करना पड़े। वहां ट्यूब वेल्स का लगाना शुरू कर दिया गया है।

एक मेरे दोस्त ने कहा कि वह जो १५ साल की स्कीम थी उसको भी गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है और उनको इसका बहुत अफसोस है। उसको भी हमने छोड़ा नहीं है यह बात गलत है। उसके बारे में हमने एक कमेटी बिठाई थी और उस वक्त गवर्नमेंट आफ इन्डिया के प्लान का कोई जिक्र तक नहीं था। उस कमेटी के सुपुर्द हमने यह काम किया था कि वह यू० पी० के हर जिले के बारे में बतलावे कि क्या-क्या इन्तजाम वहाँ इरिगेशन (सिंचाई) और पावर का हो सकता है और उसी रिपोर्ट की बिना पर हमने अपना १५ साल का प्लान बनाया था। आपको यह भी मैं बतला दूं कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया की पाँच साल की योजना में भी इसी चीज को लेकर रखा गया है। वह भी उसी का हिस्सा है जो स्कीम हमने भेजी थी। यू० पी० के हर जिले में यह देखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम लग सकता है और कौन कौन सी स्कीम

बन सकती हैं। यह सब तलाश करना है और उसके बाद ही हम प्रायरिटी (प्राथमिकता) दे सकते हैं कि किसको पहले लिया जाय और किसको बाद में लिया जाय। किनको फर्स्ट स्टेज में (प्रथम प्रक्रम) में और किनको उसके बाद के सेकेन्ड (द्वितीय) और थर्ड (तृतीय) स्टेज में रखा जाय यह सब प्रायरिटी से मुकर्रर करना है।

कहा गया है कि जमुना स्कीम में जो बुनियाद का पत्थर जवाहरलाल जी ने रखा था वह भी नहीं रहा और उखड़ गया है। वहाँ पर चूंकि काम अभी नहीं हो रहा था, इसलिये इस वक्त वहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट ने अपनी कोई टी० बी० की स्कीम खोल दी है, लेकिन वह हमारी इस प्लान में यानी सेकेन्ड स्टेज में शामिल है। यमुनास्कीम को हम पहले लें या रिहन्द डैम को लें, यह सब सवाल हमारे सामने आते हैं। हम पूर्वी जिलों के लिये जो कुछ कर सक रहे हैं वह कर रहे हैं, लेकिन हम मगरिबी जिलों को भी नजरअन्दाज नहीं कर सकते और न उनके साथ बेइन्साफी कर सकते हैं। यह बात तो नहीं है कि पश्चिम के जिलों की जरूरतें अब खत्म हो गयी हैं और अब कोई काम वहाँ बाकी नहीं रह गया है। लेकिन हमें मालूम हुआ कि वहाँ बिजली की बहुत जरूरत है तो इसलिये हमने रिहन्द डैम को प्रायरिटी दी कि पूर्वी जिलों में आबपाशी का इन्तजाम जल्दी हो सके। हम उसे बनावेंगे, उसके बाद दूसरे को लेंगे, फिर तीसरे को। मैं यह भी अर्ज कर दूं कि जो लाखों रुपया उस तकहीकात के ऊपर खर्चा हुआ है कोई दुनियाँ की नेशन उसे वेस्ट (अपव्यय) नहीं कह सकती है। मैं रिहन्द डैम की निस्बत सवालों के जवाब में बतला भी चुका हूं कि रिहन्द डैम की खातिर मरोरा डैम को हमने छोड़ दिया, लेकिन अगर चालीस-चालीस या साठ-साठ बरस बाद भी, जब भी उस पर काम शुरू किया जायगा, तभी वहाँ काम शुरू हो सकेगा। वह रुपया बरबाद नहीं हुआ है। हम अगली हुकूमतों के लिये असेट्स (पूंजी) छोड़ते जावेंगे, ताकि वह पैसा खर्च करें और हमारी स्कीमों से फायदा उठावे। कितनी स्कीमों में देर हुई? मैं कहता हूं कि किसी भी स्कीम में जरूरत से ज्यादा कतअन देर नहीं हुई। वक्त कम है, लेकिन बड़ा दिलचस्प किस्सा है।

अध्यक्ष--भवन की इच्छा हो तो कुछ समय बढ़ा दिया जाय।

सदस्यगण--अवश्य, अवश्य।

अध्यक्ष--तो कुछ समय बढ़ाया जाता है।

श्री मुहम्मद इब्राहीम--कोई स्कीम ऐसी नहीं है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने जितना समय सोचा था उससे ज्यादा लगा हो। उसमें से एक मुहम्मदपुर पावर स्टेशन है। उसमें वक्त ज्यादा लगा। क्यों लगा? वहाँ जो मशीनरी लगने वाली थी वह पार्टीशन (विभाजन) के वक्त जब पाकिस्तान बन चुका था, कराची पहुंच गयी थी आती बार। पाकिस्तान वालों ने उसे दो साल बाद, काफी खतोकिताबत के और लोगों के जाने के बाद दिया। फिर भी वह इस तरह से हमारे यहाँ आई कि जिन दो पार्टी का एक साथ इरैक्शन (लगाना) होने को था, उसमें से एक तो आगया और दूसरा आया ६ महीने बाद। अब अगर माननीय मेम्बरान यह चाहते कि इब्राहीम लन्दन जाकर जहाज में बैठ कर यहाँ तक उस मशीन को ले आता तो मजबूरी है। बाकी हमारे इंजीनियरों ने किसी किस्म की देर नहीं की, यह मैं जरूर कह सकता हूं।

दूसरी स्कीम शारदा पावर स्टेशन की है। अगर कोई एक्सपर्ट यह समझे कि इस जगह सोना निकलेगा और न निकले तो मैं उसे हर्गिज इल्जाम नहीं दे सकता जब तक उसकी खोज ठीक है। वहाँ ६० फुट की गहराई तक का पानी निकालना था। उसे ड्राई करना (सुखाना) था। उसे ड्राई करने के लिये जब कार्यवाही शुरू की तो मालूम यह हुआ कि वहाँ जितने ट्यूबवेल लगाकर पानी निकालना काफी समझा गया था, शायद १३ या १४ तो कम

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

हुए और वहां एक सौ कई ट्यूब वेल पानी निकालने के लिये लगाने पड़े, इतना ज्यादा पानी वहां निकला। पानी जो निकला था, वह उन साहबान ने जाकर देखा और जो ज्यादा वक्त लगा इत्तफाक से उस पानी के निकालने में इतना वक्त लगने की वजह से ही लगा। इसलिये जो ज्यादा वक्त लगा वह उतना ही था जितना लगना चाहिये था। एक्सपर्ट्स जो बाहर से आये उनसे मैंने पूंछा उनकी सब की राय यह थी कि उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों ने यहाँ पर जो काम कर दिखाया है यानी उस जगह को खुश्क कर दिया, यह दुनिया के इंजीनियरों ने नहीं किया। यह तो इत्तफाक की बात हो गयी कि ऐसी जगह निकल आई और उसमें इतनी देर लग गई। अब वह बन रहा है और तैयार हो रहा है, तामीर हो रहा है। वहाँ मशीनें भी आ चुकी हैं और वहाँ पर लग भी रही हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं। थोड़े दिनों में वह तैयार भी हो जायेगा। तिस पर यह कहना कि गवर्नमेंट ने स्कीम्स को बन्द कर दिया और जो पैसा खर्च किया वह बेकार गया, यह मुनासिब और सही बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसके अन्दर कोई मुगालता हो सकता है। अगर फिर भी उनका यह खयाल है कि ये स्कीम आज नहीं चलेगी और चलेंगी तो बनने की नहीं, तो मैं नहीं समझता कि उनको कैसे यकीन दिलाऊं सिवाय इसके कि यह कह दूं कि देख लीजिये। जो भी है वह आगे आयेगा, जो कुछ किया है वह आगे आयेगा और जो कुछ आगे होगा वह भी आगे आयेगा। दोनों देख लेंगे, किसने सही कहा और किसने गलत कहा।

एक बात और है। एक साहब ने कहा कि पूर्वी जिलों के लिये एक ऐसी नहर निकाली जाय जैसी की गंगा की नहर है। आपका ख्याल बहुत सही है। मुझे उससे बिल्कुल इत्तफाक है। अगर वह कोई ऐसा एक्सपर्ट्स रखते हों, जिसके जरिये से वह नहर को तजवीज करा सकें तो गवर्नमेंट की तरफ से मैं वायदा करताहूं कि गवर्नमेंट उस नहर को निकलवा देगी। मेरा ख्याल है, मुमकिन है गलत हो, कि जो ग्रेविटी कैनाल के लिये जरूरी है वह वहाँ नहीं है मैंने यह जाँच कराई कि पूर्वी जिलों में इस किस्म की एक नहर हो जाय जो शारदा नहर या गंगा नहर के मुताबिक हो, लेकिन वह फीजीबिल (संभव) नहीं है। जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनकी राय ऐसी ही हुई है। जो वहाँ हो सकता है वह किया जा रहा है। ट्यूबवेल्स लगाये जा रहे हैं। जगह जगह पर इन बातों की जानकारी हासिल की जा रही है कि क्या कोई ऐसी जगहें भी हैं, जहाँ एक जगह से दूसरी जगहों को छोटी-छोटी नहरें निकाली जा सकती हैं, बन्धे बन सकते हैं या किसी किस्म के कुओं के जरिये से आबपाशी हो सकती है। उनके सर्वे करने का इन्तजाम स्कीम के अन्दर शामिल है कि और क्या क्या किया जा सकता है और किन किन जरायें से आबपाशी बढ़ाई जा सकती है।

जौनपुर की बात और बनारस की बात को भूल ही गये। एक साहब ने बहुत ही दुख भरे अल्फाज में यह कहा। पूर्वी जिले के एक मेम्बर साहब अपने जिले के मुताल्लिक बहुत दुखी मालूम होते थे और बहुत ही दुखी दिल से इस बात की शिकायत कर रहे थे कि हमारे जिले के लिये यह भी नहीं हुआ वह भी नहीं हुआ। जौनपुर के लिये भी यह शिकायत की गयी। जहां तक बनारस का और जौनपुर का ताल्लुक है उसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि एक तजवीज तो यह हुई कि वहां नहरें बनाई जायं। बनारस और जौनपुर के लिये यह जो शारदा नहर है इसके रिजर्वायर (जलाशय) का एक प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अपनी तकरीर में कहा, ना मालूम उन्होंने अपनी तकरीर पढ़ी है या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि शारदा नहर में पानी कैसे बढ़ेगा। मैंने जाड़े में जाकर देखा है, वहां तो पानी ही नहीं था। उनकी बात सही है लेकिन महीने-महीने का, मौसम-मौसम का, साल-साल का रिकार्ड हमारे पास रहता है कि किस किस जगह कितना पानी किस वक्त रहता है बिलखसूस उस जगह के जहां से नहरें निकली हैं। इस नहर में बहुत सा पानी कैरिंग कैपेसिटी (निष्कासन सामर्थ्य) से बाकी रह जाता है। तो एक तजवीज यह है कि जो पानी वहां बाकी रह जाता है उसमें कुछ पानी और मिला कर रिजर्वायर में पहुंचाया जाय और उससे सिंचाई का काम लिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैंने पानी के बारे में कहा था कि वहां पानी नहीं रहता है।

श्री मुहम्मद इब्राहीम--जो कुछ भी हो लेकिन जो आपने कहा वह यही है कि वहां पानी नहीं है और वहां शारदा नहर में पानी नहीं बढ़ सकता है और वह इसलिये कि वहां पानी होता ही नहीं तो फिर वह बढ़ेगा कैसे? अब हमने उसके लिये यह किया है कि अब तक शारदा नहर में यह सिस्टम नहीं था कि बर्फ को घुला कर उसके पानी को यूटि-लाइज (प्रयुक्त) किया जाय। लेकिन अब हमने यह किया है कि बर्फ के पानी को घुला कर, कुछ शारदा नदी का पानी मिला कर उसे सिंचाई के लिये यूटिलाइज किया जाय। हमारी स्कीम बन गई है। अब उसके जरिये से उस पानी को रिजर्वायर में लाया जायगा और इस तरह से उस पानी का इस्तेमाल होगा। वहां से चैनल (नहरें) निकालेंगे और फिर जौनपुर और बनारस में भी जायेंगे। एक सूरत तो उसकी यह है। दूसरी सूरत उसकी यह है कि यह जो ट्यूबवेल्स की स्कीम है उसको डिस्कार्ड (तिरस्कृत) नहीं कर दिया गया है। यह जनरल स्कीम है, लेकिन इसमें एक साल की बात जरूरी है। उसके लिये मैं अर्ज करूंगा कि उसका इलाज यह तो नहीं हो सकता है जैसा कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि तमाम उत्तर प्रदेश के रहने वालों को, हर जिले के रहने वालों को एक सा बराबर कर दिया जाय। यह चीज तो गैर मुमकिन है और किसी तरह से भी मुमकिन नहीं हो सकती है। लेकिन यह बात सही है कि ५ वर्ष के बीच में जो हो जायेगा वह बहुत ज्यादा हो जायेगा और लोग यह कहेंगे कि दुनिया को ऊपर उठाने में उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ किया है।

श्री राजनारायण--आदरणीय स्पीकर महोदय, यद्यपि माननीय मंत्री जी को अपने १५ मिनट के समय में सारी बात कहनी थी, लेकिन आधा घंटा लेने के बाद भी जिन प्रश्नों को मैंने माननीय मन्त्री जी की सेवा में निवेदन किया था उनमें से एक का भी उत्तर नहीं मिला। रिहन्द बांध में सबसे बड़ी आपत्ति मुझे थी और अब भी है कि इतनी बड़ी योजना जिस पर सवा सोलह करोड़ रुपये का खर्चा हो उसकी पंचवर्षीय योजना में चर्चा क्यों नहीं है।

श्री मुहम्मद इब्राहीम--है। उत्तर प्रदेश के प्लान में है। गवर्नमेंट आफ इंडिया का प्लान दूसरा है और हमारा दूसरा है। वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के ओरीजनल (मौलिक) प्लान में नहीं है और अब हम उसको शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं और रुपया उसके लिये मांग रहे हैं।

श्री राज नारायण--मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज पहली बार यह कहा गया है कि वह पंचवर्षीय योजना शामिल हो जायगी और इस समय उत्तर प्रदेश की योजना में है। बार-बार मांग की गई, लिखित मांग की गई कि उत्तर प्रदेश की कोई योजना हो तो वह दी जाय लेकिन वह नहीं दी गई।

श्री मुहम्मद इब्राहीम--मेरे पास आपका कोई खत नहीं है।

श्री राज नारायण--खुशी है कि पंचवर्षीय योजना में यह चीज आ जायगी। वित्त मन्त्री महोदय ने यह कहा कि वह कोशिश करेंगे केन्द्रीय योजना में उसका समावेश कराने के लिये। मगर मेरा बिल्कुल निश्चित मत है और मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि जिस योजना की चर्चा चल रही थी और जिसमें दो कम्पनियों की चढ़ा-उतरी हो रही थी और जिस समय किसानों को निकाला जा रहा था, उस समय मेरा यह निश्चित मत था।

श्री मुहम्मद इब्राहीम--आज तक एक किसान को नहीं निकाला गया।

श्री राज नारायण--यह रिहैन्द डैम का स्कैण्डल (अपवाद) बहुत दूर तक निकल चुका है और आप देखें कि नामालूम कितने अखबारों के पन्ने के पन्ने भरे हुए हैं और मैं जो चाहता हूं कि अगर हमारे वित्त मन्त्री जी अब भी विश्वास करते हैं कि जो योजना चलाई गयी थी, वह सुनियोजित योजना थी और उस पर जितना खर्च हुआ है वह बिल्कुल कायदे का खर्च हुआ है, तो मैं निहायत अदब से वित्त मन्त्री से अर्ज करूंगा कि सरकार कोई कमेटी क्यों नहीं बैठाती दो वर्षों से बराबर हमारी मांग रही है और अब भी मांग है कि सरकार कमेटी बैठावे, तब यह मालूम होगा कि किस तरह से सरकारी खर्चे का दुरुपयोग हुआ है और अगर यह बात गलत साबित हो जाय तो मैं यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा की मेम्बरी से इस्तीफा दे दूंगा। मेरा निश्चित मत है कि इस रिहैन्द डैम पर सरकार ने जितना धन पानी की तरह बहाया है उसका दुरुपयोग हुआ है, वह दुनियां के किसी भी सरकार के लिये अशोभनीय बात है।

मैं फिर अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय वित्त मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मैंने उसको अपने प्रश्नों में लिखकर भी दे दिया था मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने कानपुर की कम्पनी को जब लेने के लिये योजना बनाई तो उसके कितनों दिनों के बाद वह ली गई ?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--सन् १९४६ ई० में हमने पास किया और सितम्बर सन् १९४७ में उसको ले लिया।

श्री राज नरायण--आदरणीय स्पीकर महोदय, बड़ा अच्छा हुआ, उन्होंने बताया तो। इस एक साल का समय जो सरकार ने ले लिया तो वहां पर कारखाने वालों ने वह कार्य किया, जिससे हजारों लाखों रुपया का नुकसान हुआ। वहां का जो प्लान्ट था, उसको ही कम्पनी वालों ने खराब करवा दिया जिसकी वजह से आगे चल कर सरकार को घाटा देना पड़ा और सरकार का पैसा खर्च हुआ और सरकार के पैसे के यानी जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ।

श्री मुहम्मद इब्राहीम--सरकार को कोई घाटा नहीं देना पड़ा।

श्री राज नारायण--अगर इस तरह का समय उनको न मिला होता तो ऐसी परिस्थिति न पैदा हुई होती। और आज जो अपीलेट कोर्ट के फैसले को न मानने के कारण देना पड़ा है, वह भी न हुआ होता।

तीसरी बात मैंने वित्त मन्त्री जी से यह जानना चाहा था कि कई म्यूनिसिपैल्टियाँ हैं, जिन्होंने अपने यहाँ बिजली लगाने के लिये प्रस्ताव पास करके सरकार की खिदमत में भेजा है, लेकिन उनके लिये क्या हुआ, यह भी माननीय वित्त मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे। अभी तक उसका उत्तर वित्त मन्त्री जी ने नहीं दिया। चौथी बात मैंने यह कही कि जब सरकार स्वयं पावर हाउस खोलती है, बिजली पैदा करती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) प्राइवेट कम्पनियों के हाथ में क्यों देती है ? उसका भी उत्तर वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में नहीं दिया। इसके बाद हमने कहा था हाइडेल रेट्स कमेटी जो बनायी गयी थी जिसमें हमारे सम्मानित सदस्य श्री निहालुद्दीन भी थे, उसकी रिपोर्ट सदन के सामने अभी तक क्यों नहीं प्रस्तुत की गयी ? क्या हम इसी से समझें कि वित्त मन्त्री महोदय बिजली की योजना तेजी से चलाना चाहते हैं ? १९४८ के ऐक्ट के अन्दर जो प्रान्तीय बोर्ड बनाना था उसके लिये मैंने सुझाव दिया था कि उसमें वर्कर्स (श्रमिक) और कंज्यूमर्स (उपभोक्ता) के भी प्रतिनिधि रखे जायं। तब जाकर वह आंशिक रूप में जनहित का काम कर सकेगा, वरना वह भी नहीं कर पावेगा। उसके बाद हमने वित्त मन्त्री जी से यह जानने की कोशिश की कि सोशलिस्ट पार्टी के जो सदस्य हैं .....।

श्री मुहम्मद इब्राहीम--अगर जनाब मुनासिब समझें तो मैं इसके लिये तैयार हूं कि एक एक बात का मुझ से सवाल कर सकते हैं। मैं चन्द लफ्जों में जवाब दे दूंगा।

अध्यक्ष--मैं यह तरीका उचित नहीं समझता। मैं समझता हूं कि उत्तर देने का उनको अधिकार है और सब्र के साथ हमें सुनना चाहिये। माननीय मंत्री जी उनको अपने कमरे में बुला लें। वहाँ उनसे पूंछ लें और जवाब दे लें यह ज्यादा उचित होगा।

श्री राजनारायण--आदरणीय स्पीकर महोदय, मैंने वित्त मंत्री जी से निवेदन भी कर दिया था कि सोशलिस्ट पार्टी के जितने भी सदस्य असेम्बली में हैं उनकी एक कमेटी बनाकर हम सारे विकास की योजना के बारे में केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करने जा रहे हैं। हमारा निवेदन है कि वित्त मन्त्री भी उसमें सहयोग देंगे। उनको भी न्योता है।

इसके बाद एक बहुत बड़ी शंका है। नयार डाम में १० लाख रुपया खर्च हो चुका है और वह स्कीम ठप कर दी गई है। हमारे यहाँ तीन चार बांध हैं। उसमें चन्द्रप्रभा का भी है। ऐसे ऐसे बांधों के लिये रुपया रखा गया है। मैं वित्त मन्त्री से सविनय, सादर, साग्रह निवेदन करूंगा कि यदि वे किसी ऐसे प्रान्तीय बोर्ड का निर्माण नहीं करेंगे जो सरकार को समुचित सुझाव दे, जो सरकार के दोष को भी विचार कर अच्छी तरह से बतायें, तब तक वह योजना कार्यान्वित नहीं होगी और सरकारी धन का दुरुपयोग होगा। जिस तरह से अनप्लान्ड (अनियोजित) व्यवस्था को हमारी सरकार चलाना चाहती है इससे जनता के धन का दुरुपयोग होगा।

अध्यक्ष--माननीय राजनारायण जी अपनी कटौती के प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण--इस पर राय ले लीजिये।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३-राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई और जल-विद्युत् निर्माण कार्यों का सम्पादन-लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बाँध और पानी के निकास संबन्धी कार्यों के निर्माण के अन्तर्गत ७,५०,०३,६०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१५ जुलाई, १९५२।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० २१--एल० ए०--१९५२--८३०